राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10] चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का द्वितीय दिवस [संख्या 2

मंगलवार

दिनांक 16-3-71

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.1 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(शिक्षा, वन, यातायात, खाद्य, सिचाई, पंचायत, समाज कल्याण विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री फतहसिंह ।

सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर के छात्रों द्वारा हड़ताल

1. **श्री फतेहसिंह** (ब्यावर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर के छात्रों ने तारीख् 17 व 19 दिसम्बर, 1970 को हड़ताल की थी ?

(2) छात्रों की मांगें क्या हैं और उन्हें पूरा करने का सरकार का क्या इरादा है ?

उप-शिक्षा मंत्री, (श्री वीरसिंह) : (1) जी हां।

(2) छात्रों की मांगे तथा उनके उत्तर की सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री रावत राम ।

श्री फतेहसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि शिक्षा मंत्री महोदय ने 7 जनवरी, 1971 को अजमेर में यह आश्वासन दिया था कि आने वाले शिक्षा सत्र से जुलाई, 1971 से एलएल० बी० की क्लासेज ब्यावर में चालू कर दी जावेंगी ?

श्री वीरसिंह : इस प्रकार के आश्वासन की जानकारी मुझे नहीं है। यह मामला विचाराधीन जरूर है और अगले सत्र में विचार करके निर्णय किया जावेगा ।

Page No.2

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर प०) : क्या यह सही है कि चुनाव से पूर्व इस प्रकार के आश्वासन देने का एक तरीका बना लिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री फतेहसिंह : क्या यह जानकारी है कि 4 फरवरी, 71 को केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्री चव्हाण ने ब्यावर का दौरा किया था। छात्रोंने उनकी मांगोंको लेकर प्रदर्शन किया। बिलाड़ा के डाक बंगले में राज्य सरकार की ओर से वित्त मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि जुलाई, 71 से एलएल० बी० की क्लासेज शुरू कर दी जावेंगी।

श्री धीरसिंह : आश्वासन की मुझे जानकारी नहीं है।

श्री फतेहसिंह : आप स्वयम् इसकी शिक्षा मंत्रीजी से जानकारी कीजिये। वित्त मंत्रीजी से भी वहां मिले थे। आपको मालूम नहीं है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि हिन्दी में भी एम० ए० क्लासेज खोलें, वहां कई अध्यापक ऐसे हैं जो हिन्दी में एम० ए० किये हुए हैं। आपको आपत्ति क्या है उन क्लासेज के खोलने में ?

श्री धीरसिंह : हिन्दी और केमेस्ट्री की क्लासेज हैं। आश्वासन दिया होता तो अपने उत्तर में लिख देता। ऐसा आश्वासन देना मेरी जानकारी में तो नहीं है। यदि होता, तो वे मुझे बता देते। गवर्नमेन्ट के रिकॉर्ड पर इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि इस प्रकार का कोई आश्वासन दिया गया था।

श्री फतेहसिंह : 7 जनवरी, 71 को एक शिष्टमंडल से मिला था और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि जुलाई, 71 के सत्र से एलएल० बी० की क्लासेज खोल दी जावेंगी।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा कि विचाराधीन है।

श्री फतेहसिंह : आश्वासन होता तो निर्णय भी होता।

श्री अध्यक्ष : आश्वासन आश्वासन ही होता है। निर्णय बाद में होता है।

श्री फतेहसिंह : जो सूची दी गयी है उस में मांग संख्या 5 के लिये कहा गया है कि स्थानीय जन सहयोग राज्य सरकार को उपलब्ध कराने पर, राज्य सरकार आवश्यक योगदान देने पर विचार कर सकती है। तो कितनी धनराशि देने पर राज्य सरकार विचार करेगी ?

श्री धीरसिंह : उनके लिये वर्क्स इन प्रोग्रेस में सेंगशन नहीं हुई है। अगर उनके लिए आप बहुत जरूरी समझते हैं तो पब्लिक कांट्रीब्युशन देते हैं उन क्षेत्रों में सेविंग्स में से रुपया दिया जाता है। जितना भी जन सहयोग दे सकते हैं उसके देने पर विचार किया जावेगा।

श्री फतेहसिंह : कितनी धनराशि आप जनता से इकट्ठी करवाना चाहते हैं ?

श्री धीरसिंह : 50 परसेन्ट लिखा है मैंने।

श्री फतेहसिंह : 50 परसेन्ट कितने रुपयों का परसेन्टेज है। एक लाख, दो लाख, पचास हजार। एस्टीमेट तो बनाया होगा ?

श्री धीरसिंह : जब आपका प्रस्ताव आवेगा तो एस्टीमेट बना कर दे दिया जावेगा।

श्री फतेहसिंह : प्रिन्सिपल की मार्फत यह जवाब भेज दिया गया है. पचास परसेन्ट देने के लिये तैयार हैं।

श्री धीरसिंह : हमारे पास नहीं आया है।

श्री फतेहसिंह : मैं कह रहा हूं।

श्री धीरसिंह : हमारे पास तो आया नहीं है।

श्री फतेहसिंह : मैं उस कमेटी का सदस्य हूं।

श्री अध्यक्ष : सरकार के पास ऐसे एस्टीमेट नहीं आये।

श्री फतेहसिंह : सरकार की ओर से प्रिन्सिपल के पास यह लिखा हुआ आया कि जनता सहयोग करने के लिये तयार है या नहीं। जनता ने यह लिखा है......

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री फतेहसिंह : इसको इवेड किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : उनकी ओर से ऐसे एस्टीमेट नहीं आये हैं यह कहा गया है।

श्री फतेहसिंह : कितने जन सहयोग की आपको आवश्यकता है ?

श्री धीरसिंह : आपके एस्टीमेट आने पर लिख दिया जावेगा।

श्री फतेहसिंह : लिखित उत्तर दिया है।

प्रश्न संख्या 2

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री मनोहरसिंह मेहता।

भीलवाड़ा से जहाजपुर जाने वाली बसें

3. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा से जहाजपुर वाया मानपुरा, धामनिया और काछोला होती हुई जो बसें जाती हैं, उनमें अन्दर तथा छत पर खूब सवारियां बैठती हैं ?

(2) क्या सरकार की जानकारी में है कि रास्ते में इतने कस्बे तथा बड़े बड़े गांव आते हैं कि हर दो घंटे में एक एक बस आना जाना चाहिये ? यदि हां, तो फिर अधिक बसें लग सकें, इसके लिये क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

(3) कई बार बसों के मालिक अपने स्वार्थ के कारण हाई कोर्ट से स्टे ले आते हैं ऐसी सूरत में क्या सरकार उन सभी कानूनी खामियों को निकाल रही है जिसके कारण स्टे मिल जाता है ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) ऐसे मार्गों पर आवश्यकतानुसार स्कोप पुन: निर्धारित किया जाता है और राज्य परिवाहन प्राधिकरण ने अभी तक 3 बसों का ही स्कोप इस मार्ग पर निर्धारित किया है।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(3) हाल में ही केन्द्रीय सरकार ने मोटर व्हिकल्स एक्ट में पर्याप्त संशोधन किये हैं जिससे बहुत सी खामियां दूर हो गई हैं और यदि फिर भी कोई कार्य विधि में खामियां पाई गई तो उन्हें दूर करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने फरमाया कि कोई शिकायत नहीं आयी है। मैं चार साल से बराबर निवेदन कर रहा हूं कि छत पर और अन्दर सौ सौ सवारियां बस वाला बिठा कर ले जाता है। भेड़ बकरी की तरह बैठा कर बसों में ले जाता है। स्टे ले आता है अगर कोई दूसरा लाना चाहे बस तो। मंत्री महोदय को यह खबर नहीं है कि अध्यक्ष महोदय ने भी हिदायत की थी और आपकी हिदायत के बावजूद भी मंत्री महोदय इस प्रकार का जबाब दे रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कभी चल कर मांडलगढ़ से जहाजपुर बस में विराज कर पधारें तो मालूम होगा। ये तो एक लाख की गाड़ी में बैठते हैं, इनको क्या पता।

श्री अध्यक्ष : क्या आप तैयार हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं तैयार क्यों नहीं होऊंगा ?

श्री अध्यक्ष : तैयार हैं ?

नेक्स्ट। श्री वृद्धिचन्द जैन।

'जिलाधीश, बाड़मेर द्वारा जिला रसद अधिकारी के कार्यालय का निरीक्षण

4. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के बाड़मेर नगर में खाद्य गोदामों का जिलाधीश द्वारा निरीक्षण करने पर खाद्य गोदामों में खाद्यान्न स्टाक कम पाया गया ? अगर हां, तो सम्बन्धित दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं की गई, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1967-68 व 1968-69 में जिला रसद कार्यालय बाड़मेर के आॅडिट के समय यह पाया गया कि खाद्यान्न का वितरण सीधा रेलवे स्टेशन से खाद्यान्न व्यापारियों को कर दिया गया, व खाद्यान्न रजिस्टरों में उस खाद्यान्न को गोदामों में ले जाना व वहां से वितरण करना बताया गया तथा खाद्यान्न के लोडिंग एवं अनलोडिंग के फर्जी बिल बनाकर भुगतान किया गया ? अगर हां, तो कृपया यह बतावें कि दोषी अधिकारी कौन थे और उनके विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं की गई, तो क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जिलाधीश, बाड़मेर द्वारा जिला रसद अधिकारी का समस्त रेकॉर्ड अनियमितताओं से भरपूर होने के सन्देश म सील किया गया व राज्य सरकार को जांच हेतु निवेदन किया गया तथा जिला रसद अधिकारी का चार्ज स्वयं जिलाधीश ने जिला रसद अधिकारी से लिया? अगर हां, तो राज्य सरकार ने अब तक जांच करवाने व जिला रसद के उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का निदेश दिया? अगर नहीं, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, खाद्य (श्री रामदेवसिंह) : (1) जी नहीं, जिलाधीश के निरीक्षण के दौरान खाद्यान्न कम नहीं पाया गया।

(2) जी नहीं, आॅडिट रिपोर्ट वर्ष 1967-1968, 1968-69 जिला रसद

(श्री रामदेव सिंह)

कार्यालय बाड़मेर में इस प्रकार की अनियमितताएं नहीं दर्शाई गई हैं।

(3) जी हां, जिलाधीश, बाड़मेर से जांच करवाने हेतु निवेदन प्राप्त होने पर एक लेखादल द्वारा जांच करवाई गई। लेखादल की रिपोर्ट में जिन जिन बातों का उल्लेख था उनकी प्रारम्भिक जांच करवाने हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। हाल ही में प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसका अध्ययन किया जा रहा है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, 1967-68 और 68-69 की ऑडिट रिपोर्ट में किस प्रकार की अनियमितताएं पाई गईं ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जिलाधीश महोदय ने क्या लिखा है ?

श्री परसराम मदेरणा : पहला यह कि पूरे स्टाक की कमी है। दूसरा, जो रेलवे गोदाम से माल लाद दिया गया था उसे भी पूरी तरह से तोल कर लादा गया या नहीं इसमें भी सन्देह है। इस पर ऑडिट पार्टी भेजी गई। उसने भी कहा कि सन्देह है पर कोई स्पेसिफिक नहीं बताया। इस पर जांच अधिकारी को नियुक्त किया गया। उसकी रिपोर्ट आ गई है। उसका अध्ययन किया जा रहा है। पर इसमें कोई अनियमितता जैसी बात नहीं बताई गई है। कहीं कहीं पांच सात या दस बारह रुपया एक्सेस पेमेन्ट ठेकेदार को कर दिया गया इतनी सी बात मालूम हो सकी है। इसके लिये ठेकेदार की सिक्योरिटी और बिल कई हजार के हमारे पास पड़े हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह कबसे अध्ययन किया जा रहा है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह रिसेन्टली आई है। इसके अलावा कई मामूली मामले हैं गोदाम कीपर की गलती है, बहुत से मुद्दे हैं। पचास साठ पोइन्ट हैं। अभी आठ दस दिन से रिपोर्ट आई है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह कब तक अध्ययन कर लिया जावेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : चार पांच रोज में कर लिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री हंसराज।

मिट्टी हटाने पर खर्च

5. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले बजट में गंगानगर जिले की गंगनहर, भाखरा की ब्रान्चों में धूल भरी आंधियां चलने के कारण जो मिट्टी भर गई थी उसको निकलवाने तथा कमजोर नहरों को पक्का कराने के लिए 31 लाख रुपया मन्जूर किया गया था, क्या वह सब खर्च हो चुका है ?

(2) यदि हां, तो किस किस ब्रान्च पर कितना कितना रुपया खर्च हुआ है ?

(3) यदि नहीं खर्च हुआ, तो यह रुपया कब तक खर्च कर दिया जावेगा ?

(4) क्या इतना रुपया खर्च करने पर नहरों से कुछ अधिक भूमि कमाण्ड होगी ?

Page No.6

(श्री हंसराज आर्य)

(5) उपरोक्त सूचना का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री मनफूलसिंह) : (1) जी हां, धूल भरी आंधियों से नहरों में भरी मिट्टी को निकालने तथा नहरों को पक्की करने के लिए 33.30 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था। इसमें से 31.24 लाख रुपया खर्च किया जा चुका है।

(2) सूची (अ) संलग्न है।

(3) बाकी का रुपया 31 मार्च, 1971 तक खर्च कर दिया जायेगा।

(4) जी नहीं।

(5) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री हंसराज आर्य : क्या यह सही है कि जिन नहरों में पानी कम चलता है वहां रुपया कम दिया गया, जबकि उनको अधिक दिया जाना चाहिए था, और जिन नहरों में पानी अधिक आता था, उन को अधिक रुपया दिया गया है, जबकि उनको कम देने से ही काम चल सकता था। जहां 92 के बजाय 65 और 28 चल रहा था उनको कम दिया गया और जिनमें 65।70 और इससे भी अधिक चल रहा था उनको अधिक दिया गया ?

श्री मनफूलसिंह : जिनमें अधिक मिट्टी थी उनमें ज्यादा दिया और जिनमें कम मिट्टी निकालनी थी, उनमें कम दिया गया।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : जरा यह बता दें कि कौन कौनसी नहरों में कम मिट्टी थी और किन किन में ज्यादा थी ?

श्री अध्यक्ष : अमुक नहरों में ?

श्री रामचन्द्र आर्य : आप बतावें।

श्री मनफूलसिंह : इसके लिए सूची सदन को मेज पर रख दी गई है।

श्री हंसराज आर्य : माननीय मन्त्री महोदय का यह उत्तर सही नहीं है। मादरा नहर को जहां पानी मुश्किल से 35।28 ही चल रहा था उसमें बहुत कम रुपया दिया गया है और हनुमानगढ़, पीलीबंगा आदि को जहां 72।62 और 92 तक पानी चलता था उनको अधिक दिया गया है। यह पक्षपात है।

श्री मनफूलसिंह : जैसा मैंने निवेदन किया जहां अधिक मिट्टी थी वहीं पैसा अधिक लगा है।

श्री हंसराज आर्य : क्या यह सही है कि मिट्टी निकालने के अतिरिक्त भी इस पैसे से नहरों के कई टेल भी पक्के सीमेन्ट के करवाये गये हैं, कई नहरें पक्की करवाई जा रही हैं ?

श्री मनफूलसिंह : जहां टेलों पर पानी नहीं पहुंचता था और मिट्टी ज्यादा आती थी उन जगहों पर कई ब्रीचेज पक्के करवाये गये हैं।

श्री हंसराज आर्य : तो फिर इससे बढ़ कर आपके पक्षपात का क्या प्रमाण होगा कि जहां 35।28 परसेन्ट पानी चला वहां फिर भी आपकी सूची के मुताबिक सबसे कम पैसा दिया गया है।

श्री मनफूलसिंह : इस बात को स्वीकार करता हूं कि बहुत से ग्राम ऐसे हैं जहां बहुत कम पानी टेल पर पहुंच पाता है। उनको पक्का करवाया गया है ताकि उनकी इन्टेन्सिटी बढ़े।

Page No.7

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह पंवार, आपका क्या प्रश्न है ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (गांधीनगर) : कम मिट्टी होती है वहां कम देते हैं जहां ज्यादा होती है वहां ज्यादा देते हैं, फिर यह उसूल क्यों बताते हैं ? जगह का नाम लेकर बताइये ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री फूलचन्द बाफना ।

ग्राम पंचायत, सुमेरपुर द्वारा आबादी भूमि का विक्रय

6. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले आठ वर्षों में ग्राम पंचायत, सुमेरपुर द्वारा सुमेरपुर में कितने कितने क्षेत्रफल की आबादी भूमि कब कब, किस किस को, कितने कितने रुपयों में किस किस भाव बेची गई ?

(2) क्या यह सही है कि टाउन प्लानिंग द्वारा सुझाई ग्राम विकास कार्यों के लिए सुरक्षित रखी जाने वाली आबादी भूमि भी ग्राम पंचायत द्वारा बेच दी गई ? यदि हां, तो किस किस विकास कार्य के लिये कितने क्षेत्रफल की कहां कहां (सुमेरपुर में) सुरक्षित रखी गई थी भूमि और वह सुरक्षित आबादी भूमि कितने कितने क्षेत्रफल की कब कब किस किस को कितने कितने रुपयों में किस किस भाव से बेची गई ? इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(3) उपर्युक्त भाग संख्या (1) तथा (2) से सम्बन्धित भूमि किस किस सरपंच के समय में बेची गई और बिक्री के समय पंचायत द्वारा बिक्री भाव व बाजार भाव (साइट वेल्यू) में कितना कितना अन्तर था ? यदि अन्तर था, तो क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : यह प्रश्न काफी लम्बा है, इसमें समय अपेक्षित है ।

श्री रामकिशन (वैर) : एकदम विपरीत दिशा में कैसे चले गये साहब ?

श्री फूलचन्द बाफना : इस सत्र में तो ले लिया जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : जी हां ।

नैक्स्ट । श्री लादूराम सुलानियां ।

विभागीय और अनुदानित छात्रावास, जिला जयपुर

7. **श्री लादूराम सुलानियां** (फागी) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में कुल कितने छात्रावास विभागीय व अनुदानित चलाये जा रहे हैं ? सूची पूर्ण पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) वर्तमान में कौन कौन कर्मचारी कब कब से छात्रावासों में कार्य कर रहे हैं, तथा इनमें से ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो सन् 64 से जयपुर जिले में ही कार्य कर रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या इन सब छात्रावासों में अधीक्षक अनुसूचित जाति, जन-जाति व अन्य पिछड़ी जातियों के हैं यदि हां, तो कितने ?

(श्री लाडूराम सुलानियां)

(4) क्या यह भी सत्य है कि इन छात्रावास अधीक्षकों में अधिकतर सवर्ण जाति के हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या यह सही है कि कुछ सवर्ण जाति के छात्रावास अधीक्षकों को केवल उच्च शिक्षा दिलवाने हेतु जयपुर शहर में रखा गया है?

(5) वर्ष 1960 से 1969 तक कितने छात्रावास अधीक्षकों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई? तथा बिना स्वीकृति प्राप्त किये कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा कर।

(6) क्या यह भी सत्य है कि इन छात्रावासों में नियम विरुद्ध अनुत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया गया है? यदि हां, तो कितनों को?

राज्य मन्त्री, वित्त विभाग (श्री विश्वम्भरनाथ जोशी): (1) जयपुर जिले में समाज कल्याण विभाग विभागीय 9 एवं 9 अनुदानित छात्रावास चलाये जा रहे हैं जिनकी सूची 'अ' और 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जयपुर जिले में संचालित विभागीय छात्रावासों में इस समय नियुक्त छात्रावास अधीक्षकों की सूची 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है जिसमें यह दर्शाया गया है कि उनमें से कौन से छात्रावास अधीक्षक कबसे कार्य कर रहे हैं? इनमें से केवल एक छात्रावास अधीक्षक श्रीमती सुशीला अग्रवाल सन् 1964 से जयपुर स्थित कन्या छात्रावास में कार्य कर रही हैं। जयपुर स्थित विभागीय छात्रावासों में कार्य कर रहे अन्य कर्मचारियों की सूची 'ख' भी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) विभागीय 9 छात्रावासों में से चार में अधीक्षक अनुसूचित जाति के कार्य कर रहे हैं।

(4) जी हां। जयपुर स्थित 9 विभागीय छात्रावासों में से 5 में अधीक्षक सवर्ण जाति के हैं। राज्य सरकार के आदेशानुसार विभिन्न श्रेणियों की नियुक्ति करते समय विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति व जन-जातियों के लिए सुरक्षित स्थानों के अनुसार विभाग म नियुक्तियां की जाती हैं। अमुक स्थानों पर तबादले प्रशासनिक दृष्टि से किये जाते हैं। यह सही नहीं है कि कुछ सवर्ण जातियों के छात्रावास अधीक्षकों को केवल उच्च शिक्षा दिलाने हेतु जयपुर शहर में रखा जाता है। जयपुर शहर स्थित छात्रावास अधीक्षकों में से जिन्होंने स्वीकृति चाही है उन सबको उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। जिससे कि उनकी योग्यता में वृद्धि हो जो सूची 'ग' से स्पष्ट है।

(5) सन् 1960 से 69 तक उक्त छात्रावास अधीक्षकों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दी गई अनुमति स्वीकृति की सूचना 'ग' में दर्शित है। बिना अनुमति प्राप्त किये उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अधीक्षकों के विषय में विभाग में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No.9

श्री लादूराम सुलानियां : इनमें किस किस जाति के कितने कितने छात्र हैं ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : इसके लिए नोटिस चाहिए ।

श्री लादूराम सुलानियां : क्या आप शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के छात्रों को इकट्ठा नहीं रखना चाहते हैं ?

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : नियम इस प्रकार है कि शिड्यूल्ड कास्ट छात्रावास में 25 परसेन्ट ट्राइब्स के छात्रों के लिए स्थान सुरक्षित रहेंगे और ट्राइब्स के छात्रावास में शिड्यूल्ड कास्ट के छात्रों के लिए 25 परसेन्ट स्थान सुरक्षित रहेंगे । सामान्य तौर पर प्रयास यह रहता है कि यह कोटा पूरा रहे।

श्री लादूराम सुलानियां : आपकी जानकारी में किन किन छात्रावासों में इस प्रकार का कोटा पूरा है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : अधिकांश में है।

श्री लादूराम सुलानियां : वैसे तो 240 हैं मैं तो इन 9 छात्रावासों के लिये पूछ रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है ।

श्री लादूराम सुलानियां : मैं जानकारी के लिये सरकार को बता दूं कि इनमें दूसरी जाति का एक भी छात्र नहीं है। आपने तो यह ऐसी प्रणाली डाल रखी है कि जिससे छूआछूत की जड़ जमे । आप छूआछूत की जड़ जमाना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है ?

श्री लादूराम सुलानियां : क्या आपने छात्रावासों को इनका किसी का निरीक्षण किया है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : विभाग में जब कभी भी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि अमुक छात्रावास में दूसरी जाति के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि उसे प्रवेश मिले । इसी साल इस सत्र में ऐसे दो केस हमारे पास आये थे । मैंने इस बारे में स्ट्रिक्ट एटीट्यूड लिया । उन्हें भरती भी कराया और जब उनके साथ लड़कों ने छेड़खानी की तो उन दो ट्राइब्स के बच्चों को मैंने एक्सपेल भी कराया एन्क्वायरी की ।

एक माननीय सदस्य : गलत गलत ।

श्री लादूराम सुलानियां : आपका बांदीकुई का छात्रावास चल रहा है, उसमें कितने ट्राइब्स के छात्र हैं ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : वह नया खुला था । डाइरेक्ट हमारे कन्ट्रोल में वह अभी 1।। दो महीने से ही आया है ।

श्री लादूराम सुलानियां : मन्त्री बनने के बाद आपने कहां कहां ऐसे छात्रावास खोले ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : कई जगह खोले ।

श्री लादूराम सुलानियां : फागी में भी खोला है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह तो आप भी जानते हैं ।

श्री लादूराम सुलानियां : क्या वहां के लिये कभी आपके सामने प्रस्ताव आया था?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : याद नहीं पड़ता ।

श्री लादूराम सुलानियां : आपकी जानकारी के लिये मैं बता दूं कि फागी में पचास हजार की बिल्डिंग इसके लिये तैयार करके लोगों ने आपसे कहा पर आप वहां खोलते नहीं हैं । मनमानी करते हैं । अगर आप चाहें तो वहां चल कर निरीक्षण कर लें। 50 हजार की बिल्डिंग खड़ी है । आप उसको अनुदान नहीं दे सकते । आपने तो घर की पटेलाई बना रखी है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें । ऑर्डर प्लीज माननीय सदस्य ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : माननीय अध्यक्षजी, मैं राज्य सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यह अलग से अनुसूचित जाति और जन-जाति के लिये छात्रावास खोलने की प्रवृत्ति क्यों सरकार चालू रखना चाहती है ? इससे छुआछूत की प्रवृत्ति बढ़ती है, छुआछूत पनपती है । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों के लड़कों को कामन छात्रावास में रखा जाना चाहिये । उनके लिये जो खर्चा निर्धारित किया हुआ है वह उनको वहां पर दे दिया जाये और जो सामान्य छात्रावास हैं उनके अन्दर ही उनके लिये स्थान सुरक्षित रख दिये जायं ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्य इस प्रश्न पर पूरी तरह से समझने की कोशिश करें । राजस्थान में ऐसे भी भाग हैं जहां पर कि ट्राइबल की जनसंख्या अधिक है और इसलिये वहां पर ट्राइबल होस्टल की ही आवश्यकता रहती है । दूसरे ऐसे एरिया है शिड्यूल्ड कास्ट की संख्या अधिक है तो वहां पर शिड्यूल्ड कास्ट के लिये होस्टल खोले जाने की आवश्यकता रहती है । दूसरी जगह पर इन जातियों की संख्या नहीं के बराबर है इसलिये.....

श्री दौलतराम सारण : आप मेरा प्रश्न नहीं समझे । वह स्पष्ट है ...

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिये । आगे स्पष्ट हो जायेगा । कृपया उत्तर होने दीजिये ।

श्री दौलतराम सारण : रेल पटरी से उतर गई है ।

श्री अध्यक्ष : वापिस चढ़ा देंगे ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के बहुत से भागों में अनुसूचित जन-जाति की आबादी घनी है और इसलिये वहां पर उनके ही होस्टल्स की आवश्यकता होती है । और वहां पर ट्राइबल होस्टल ही खोले जाते हैं । दूसरे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अनुसूचित जन-जाति की आबदी घनी है वहां पर कास्ट के लिये ही होस्टल खोले जाते हैं । इसके अलावा और भी बात हैं.....(एक माननीय सदस्य के कुछ कहने पर) आप सुनिये, मैं जवाब दे रहा हूं ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): यह सही नहीं है......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं । उसके बाद सही गलत होगा। स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य ।

Page No.11

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : इसके अलावा दूसरी बात यह है अध्यक्ष महोदय, कि सामान्य जगहोंपर हमारे होस्टल अधिक नहीं है। ये छात्रावास बहुत ही कम हैं और इनमें बहुत ही कम स्थान होते हैं। दूसरी बात यह है कि सामान्य छात्रावासों में सवर्ण बच्चोंको रखा जाता है वहां पर दूसरी प्रकार की व्यवस्था रहती है। पूरा खर्चा उनसे लिया जाता है और दूसरी तरफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के जो छात्रावास होते हैं उन छात्रावासों में बालकों के लिये विस्तर दिया जाता है, साबुन, तेल, तौलिया दिया जाता है, पुस्तकें वगैरह दी जाती हैं जबकि जो सामान्य छात्रावास होते हैं उनमें यह नहीं दी जाती है। एक ही छात्रावास में दो, तीन तरह की व्यवस्था हो तो उससे छात्रों में हार्टबर्निंग होती है। इसलिये प्रशासकीय दृष्टि से यह सम्भव भी नहीं है और उचित भी नहीं है कि एक के लिये दूसरी व्यवस्था हो और दूसरे के लिये दूसरी प्रकार की व्यवस्था हो। इसलिये जो व्यवस्था चल रही है वह विद्यार्थियों और समाज के लिये श्रेष्ठतम है और उचित है। और इसी को चालू रखना उचित और आवश्यक है।

श्री लादूराम सुलानियां : क्या यह सही नहीं है कि आपके यहां जो छात्रावास चल रहे हैं यदि वे ट्राइब्स के हो तो उसमें ट्राइब को ही भरती करेंगे। ऐसी स्थिति नहीं है ..

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री लादूराम सुलानियां [illegible] छात्रावास में हरिजनों के बच्चों को रखा जाये और यदि अधिक खर्चा होता है तो कम छात्रों को लिया जाये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार राजस्थान प्रदेश से छुआछूत को खतम करने के लिये, उस मंशा से, राज्य सरकार क्या अपनी पोलिसी में इस तरह से तब्दीली करना चाहती है कि जो साधारणत: छात्रावास होते हैं जिसम कुछ वर्ण के, और सवर्ण लोगों के लड़के रहते हैं उन्हीं के साथ अनुसूचित जाति और जन-जाति के छात्रों को रखा जाये ...

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑर्डर प्लीज। श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : सरकार की पोलिसि क्या है वह बताई जाये।

श्री लादूराम सुलानियां : यह जरूरी है। यह बताया जाये। अध्यक्ष महोदय, जरूरी बात यह है कि हमारे लाखों छात्रों के जीवन की वह बात है। यह कोई मामूली बात नहीं है। आज मंत्रीजी सदन को यह जानकारी दें। मैं सदन की जानकारी के लिये यह अर्ज करदूं कि जितने भी छात्रावास हैं और करीब 200 छात्रावास राजस्थान के अन्दर चलाये जा रहे हैं, उनके अन्दर अगर कहीं पर भंगी के लड़के हैं तो वहां पर सभी भंगी के लड़के ही आपको मिलेंगे। रेगर के बच्चे उस छात्रावास में हैं तो वहां पर सभी रेगर के बच्चे ही मिलेंगे। ब्राह्मण के बच्चे हैं तो सभी ब्राह्मण ही मिलेंगे। यह मैं आपको ठीक ही बता रहा हूं। यदि आप को कोई सन्देह हो तो मेरे साथ चल कर देखिये मैं आपको यह सब बता सकता हूं। आप चाहें तो इसकी जांच करा लें। अगर छात्रावास में बलाई भरती कर

Page No.12

(श्री लालूराम सुलानियां)

लिया गया है तो वहां पर बलाई को ही भरती किया जायेगा ।

हम, अध्यक्ष महोदय, यह चाहते हैं कि राजस्थान सरकार का जो पैसा है वह हमारे गरीबों के बच्चों के जीवन को सुधारने के लिये ही खर्च किया जाये । हम यह चाहते हैं कि सवर्णों के बच्चों के साथ हरिजनों के बच्चे शामिल होकर पढ़ें और जो आज देश में छुआछूत का वातावरण पैदा हो गया है वह समाप्त हो। यह हमारी मांग है। अगर हमारी सरकार समाजवादी है और जिस बात का वह नारा देती है तो उसे चाहिये कि पहले वह सारे छात्रावासों को जो हरिजनों के लिये अलग से खोले जाते हैं उनको बंद कर दें और जो सामान्य छात्रावास हैं उनके साथ ही अनुसुचित जाति और जन-जाति के छात्रों को रखा जाये । उनको उनमें ही एडमिशन दिया जाये और तुरन्त ऐसी व्यवस्था कर दी जाये वरना आप हरिजनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : यह क्या करेंगे, यह तो जमीन पहले ही हड़प कर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर माननीय सदस्य ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : उसमें आप को कोई लेना देना नहीं है। वह कोई अनियमित नहीं है । मैं चैलेन्ज के साथ कह सकता हूं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : उसमें से कितनी शिडयूल्ड कास्ट के लोगों को वितरित की है ।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं. . .

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : अव्वल तो जैसी कि यहां पर बात कही गई है कि सामान्य छात्रावासों में भरती किया जाये लेकिन 95 प्रतिशत राजस्थान के स्थानों पर ऐसे होस्टल्स नहीं हैं । वहां पर सामान्य छात्रावास कोई नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : बारां में है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, ये गलत बात कह रहे हैं ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैं यह कह रहा हूं कि 95 प्रतिशत स्थानों पर सामान्य छात्रावास नहीं हैं. .

श्री अध्यक्ष : (मंत्रीजी से) . . व्यवधान हो तो उस पर अधिक ध्यान न दीजिये ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा था हाई स्कूल या हायर सैकेन्डरी स्कूल की स्टेज तक यह सुझाव व्यवहारिक इसलिय नहीं कि 95 प्रतिशत छात्रावास हाई स्कूल और हायर सैकेन्डरी स्कूल के साथ अटैच नहीं हैं राज्य सरकार की पॉलिसी है वह बहुत स्पष्ट रूप से है । पोस्ट ग्रेजूएट और स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने वालों को 40 रु० माहवार दे रहे हैं इसलिये कि सामान्य छात्रावास में जो अधिक खर्चा है उसको वे वहन करने में समर्थ ह । हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं है। यह के व

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

राजस्थान राज्य में है ताकि सब लोग आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज आर्य।

श्री लादूराम सुलानियां
श्री देवीदत्त गाडिया } : (बीच में व्यवधान करने पर)

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न ले लिया है। ऑर्डर प्लीज।

(पुन: व्यवधान होने पर)

दूसरा प्रश्न ले लिया है। श्री हंसराज आर्य।

श्री लादूराम सुलानियां : यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिये......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज सिंचाई मंत्रीजी।

श्री लादूराम सुलानियां : अध्यक्ष महोदय, यह गरीब छात्रों से सम्बन्धित है..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानियां : अध्यक्ष महोदय, हम यह मानकर चलते हैं कि....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। क्या आप (मंत्री महोदय की ओर देखकर) इनका उत्तर दे सकते हैं ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : (मौन अस्वीकृति)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या आठ। सिंचाई मंत्रीजी।

(व्यवधान होने पर)

ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री देवीदत्त गाडिया : जिन गरीब बच्चों के छात्रावास हैं उनमें रिश्वत लेते हैं उन छात्रावासों की हालत तो यह है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज।

सिंचाई मंत्रीजी।

राज्य-मंत्री, सिंचाई (श्री मनफूलसिंह) :
(1) जी हां।

(2) मुख्य कारणों के सूची......

श्री अध्यक्ष : उच्च स्वर से।

श्री डूंगाराम राजोरिया : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाखों बच्चों के जन-जीवन का प्रश्न है।

श्री लादूराम सुलानियां : अगर आपकी नीति अच्छी है तो फिर अध्यक्ष महोदय इस प्रश्न को महत्व देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। दूसरा प्रश्न ले लिया है। प्रश्न का उत्तर दे दिया है आपने (मंत्री महोदय ने)।

श्री लादूराम सुलानियां : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बार बार आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं......

श्री अध्यक्ष : आपको अभी आगे बहुत बोलना है। माननीय सदस्य। आप (सिंचाई मंत्रीजी) उत्तर दीजिये।

(व्यवधान)

आरम्भ रखिये। ऑर्डर प्लीज।

भाखरा नहर से किसानों को पानी देने का प्रावधान

8. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि भाखरा नहर से किसानों को 62 प्रतिशत पानी देने का प्रावधान है ?

(2) यदि हां, तो नोहर तहसील में जसाना ब्रांच से 28 प्रतिशत पानी और भादरा तहसील में अमर सिंह ब्रांच से 35 प्रतिशत पानी क्यों दिया जाता है ?

(3) करणीसिंह, खारा सादुल उत्तर, घग्घर और दक्षिण घग्घर की ब्रांचों में 62 के बजाय पानी 68, 79, 80, 90 प्रतिशत देने का क्या कारण है ?

(4) नोहर भादरा में जसाना और अमरसिंह ब्रांचों में पानी 28 और 35 के बजाय 62 प्रतिशत कब तक कर दिया जावेगा ?

(5) यह पानी की कमी किस प्रकार पूरी की जावेगी ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मनफूलसिंह): (1) जी हां ।

(2) मुख्य कारणों की सूची 'अ' संलग्न है ।

(3) इन ब्रांचों में भाखड़ा बान्ध के अतिरिक्त.....

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, सुना नहीं ।

श्री अध्यक्ष : वापिस पढ़ दीजिये । माननीय मंत्रीजी ।

श्री लादूराम सुलानियां : माननीय अध्यक्षजी आप हमारा उत्तर दिलवाइये। मंत्री महोदय सारे हरिजनों के अधिकारों का हनन करते हैं ।

(अश्रव्य, शोरगुल)

हम आपसे पूछना चाहते हैं आप छात्रावास रखना चाहते है या नहीं यह......

श्री अध्यक्ष : कौनसे मंत्रीजी को हुकम दिया है ?

उत्तर न दिया जाय। अब आप कृपया. .

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : He should be called to order.

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखिये (श्री मनफूलसिंहजी से) ।

श्री मनफूलसिंह : (1) जी हां ।

(2) मुख्य कारणों की सूची 'अ' संलग्न है ।

(3) इन ब्रांचों में भाखड़ा बान्ध के अतिरिक्त घग्घर नदी एवं रावी व्यास नदियों के पानी की उपलब्धि के कारण अधिक तीव्रता प्राप्त करना सम्भव न हो सका है ।

(4) यह अभी विचाराधीन है ।

(5) इसका उत्तर प्रश्न चार में दिया जा चुका है ।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री हंसराज आर्य : यह विचाराधीन कब तक रहेगा ?

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : जबतक आपका वोट इनके साथ रहेगा।

श्री हंसराज आर्य : यह 35 प्रतिशत और 28 प्रतिशत पानी कब तक चलता रहेगा, 62 प्रतिशत कब कर देंगे ?

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : ये जब तक रहेंगे तब तक रहेगा। पहले इनको हटाने की कार्यवाही करें।

श्री मनफूलसिंह : अध्यक्ष महोदय, दो बातें हैं – एक तो यह है कि हथिया बाग एक नहर है हरियाणा में उसका पानी अमरसिंह ब्रान्च को मिलता है। यह ब्रान्च सेन्डी एरिया में रहती है। कुछ इसका एरिया अन-कमान्ड भी है। सेन्ड इसमें आ जाती है और घास फूंस भी इतना ज्यादा है कि उसका पानी पूरा नहीं पड़ता है। हरियाणा के सिंचाई विभाग ने इस पर पूरा ध्यान नहीं दे रखा है। उनके एरिया में ज्यादा पानी लगता है और उसी नहर से हम अमरसिंह ब्रान्च में पानी लेते हैं। हमने हरियाणा सरकार से भी बात की है कि इस नहर की कैपेसिटी बढ़ाई जाय और दूसरी बात राजस्थान कैनाल हरियाणा की टेरीटरी में आती है, उसमें हम राजस्थान कैनाल से पानी दे देंगे और इस नहर की कैपेसिटि बढा देंगे और अमरसिंह ब्रान्च में ज्यादा पानी ले सकेंगे। वैसे नहीं ले सकेंगे। हम राजस्थान कनाल से भाखरा का एक लिंक बना रहे हैं। वह तीन चार महीने में पूरा हो जायगा इससे सादूल और करणी सिंह में पानी लेंगे और उसमें जो पानी बचेगा उसको हथिया बाग को पानी देंगे और उसके बाद अमरसिंह में पानी बढ़ा सकते हैं। इससे पहले सम्भव नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट कब तक प्रकाशित होजायेगी।

श्री मनफूलसिंह : यह तो कहना अभी मुश्किल है।

श्री हंसराज आर्य : भाखरा से कितना पानी बचेगा।

श्री मनफूलसिंह : भाखरा से सादूल-सिंह और अमरसिंह ब्रान्च में जितना पानी बचेगा उतना दिया जा सकता है।

श्री हंसराज आर्य : कोई अनुमान तो लगाया गया होगा कि इससे इतना पानी भाखरा से बचेगा और इतना इसका उपयोग हो सकेगा।

श्री मनफूलसिंह : राजस्थान कैनाल से ले लेंगे।

श्री हंसराज आर्य : लिन्क कब तक बन जायगा ?

श्री मनफूलसिंह : लिन्क बनने के बाद उसका काम तेजी से होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि तीन महीने में आ जायगी लेकिन आज तक मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने नहीं आई है। अब मैं यह जानना चाहता हूं इस रिपोर्ट को कितने दिन में प्रकाशित करवा देंगे ?

श्री मनफूलसिंह : उसके एक्सट्रेक्ट्स तो

Page No.16

(**श्री मनफूलसिंह**)
अध्यक्ष महोदय मेरे पास है। उसको तो मैं सदन के समक्ष रख सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष: अभी रहने दीजिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : तीन महीने में प्रकाशित करने के लिये मुख्य मंत्रीजी ने कहा था। आज तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। क्या सर्वेक्षण किया है उसकी सारी जानकारी हमें मिलनी चाहिये ।

श्री मनफूलसिंह : इसके लिये अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री दौलतराम सारण : एक ऐसे डॉक्यूमेंट का संदर्भ लिया है जो इस सदन के सामने प्रस्तुत नहीं है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस डॉक्यूमेंट को सदन में पेश किया जाय ताकि सदन के सामने सारी बातें आ सकें। उस डॉक्यूमेंट का रेफरेन्स देते हैं जो हमारी जानकारी में नहीं है और यह अप्रासंगिक नहीं है इसलिये मेरा आग्रह है कि इस डॉक्यूमेंट को सदन में पेश कराया जाय।

श्री मनफूलसिंह: प्रश्न का जो उत्तर दिया है यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : यहां कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं चल सकती है ।

श्री अध्यक्ष : यह उस रिपोर्ट से किस संदर्भ में आपकी जानकारी है ?

श्री मनफूलसिंह : मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट के एक्सट्रेक्ट्स मैंने सदन की मेज पर रखें हैं ।

श्री अध्यक्ष :मोतीराम की रिपोर्ट आपके पास है ?

श्री मनफूलसिंह : मेरे पास रिपोर्ट नहीं है एक्सट्रेक्ट्स हैं वह सदन की मेज पर रखें हैं ।

श्री अध्यक्ष: कहीं न कहीं हैं । वह दिखाई जा सकती है ? मैं इस सारे प्रश्न को देखकर निर्णय दूंगा ।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, सुना नहीं ।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया इस सारी पृष्ठभूमि को देखकर मैं बाद में निर्णय दे दूंगा ।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि यह सरकार जिन कमेटीज की रिपोर्ट के संबंध में या जिन मुद्दों के संबंध में यह सरकार घोषणा करती है और सदन में जो घोषणायें की जाती हैं उनके संबंध में सरकार को सदन के अन्दर वक्तव्य देना चाहिए । लेकिन यह सरकार उन घोषणाओं के संबंध में पुनः सदन को जानकारी नहीं देती और यह प्रायः होता है कि सदन में की हुई घोषणाओं के बावजूद भी रिपोर्ट सदन में पेश नहीं की जाती है और सरकार वाला बाला उनका उल्लेख करती रहती है इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार को पाबन्द किया जाये कि इस प्रकार की की हुई घोषणाओं के संबंध में ज्योंही सदन दुबारा बैठे सरकार पुनः वक्तव्य दे और उनके संबंध में कार्यवाही करे।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर ध्यान दूंगा ।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक सिद्धान्त का प्रश्न है कि माननीय सदस्य ने जो मुद्दे उठाये हैं मैं समझता हूं कि

Page No.17

(श्री लक्ष्मणसिंह)

बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस सदन की परम्पराओं के अनुसार भी हम आसन से आशा रखते हैं कि माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं हैं उसके संबंध में आप गम्भीरता-पूर्वक और निष्पक्षता पूर्वक विचार करें और सरकार को मजबूत करें कि माननीय सदस्य के जो मुद्दे हैं और उनके संबंध में जो मांग है उसकी पूर्ति करें ।

श्री अध्यक्ष : मैंने स्पष्ट निवेदन किया कि मैं सारे प्रश्नों को देख लूंगा कि कितनी घोषणायें हुई है और सदन को किन किन मसलों पर अवगत नहीं किया गया है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): माननीय महोदय, मैं एक जानकारी करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने कोई प्रिवेलेज क्लेम नहीं किया है और न यह सीक्रेट डाकुमेन्ट ही है और जैसा आपने कहा कि एक्सट्रेक्ट पढ़कर बता दें तो इससे स्पष्ट है कि वह रिपोर्ट गवर्नमेन्ट के पास है । तो मैं समझता हूं कि जो आपने कहा कि इसमें कोई प्रिविलेज है और उसके कारण से उसकी डिटेल में जाना पड़े, इट इज नाट ए प्रिविलेज डॉकुमेन्ट ऐसी कोई बात नहीं है, तो इसके संबंध में रिपोर्ट है और उसको पेश करने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है और वह रिपोर्ट आनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : प्रिविलेज का प्रश्न नहीं है और न उन्होंने क्लेम ही किया है और न मैंने दिया है और न देने वाला हूं । प्रश्न सिर्फ इतना है कि उसका प्रकाशन हुआ या नहीं और किस स्थिति में वह रिपोर्ट है उसको देखकर मैं उस पर निर्णय लूंगा ।

श्री दौलतराम सारण : मुझे क्षमा करें इस संबंध में स्थिति यह है कि सरकार बैठी है यह कौन स्पष्ट करेगा कि वह रिपोर्ट किस स्टेज पर है । सरकार के पास रिपोर्ट आ गयी है या नहीं और पीसमील में आई है या किस स्टेज में कन्सीडरेशन हो रहा है और गवर्नमेन्ट ने एक्सेप्ट किया है या नहीं?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न इतना पेचीदा नहीं है । मैं कल ही इस प्रश्न पर सदन को अवगत करूंगा ।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, एक पेचीदगी है कि जब सरकार द्वारा रिपोर्ट ही पेश नहीं की गयी है और न मंत्री महोदय ने कहा कि किस स्टेज पर है...

श्री मनफूलसिंह: यह रिपोर्ट विचाराधीन है ।

श्री दौलतराम सारण : उस रिपोर्ट को यहां कोट किया गया है, उसके सन्दर्भ में उल्लेख किया है तो यह उत्तर जो माननीय मंत्री जी ने रिपोर्ट के संबंध में दिया है वह या तो तथ्यों से परे है, सही नहीं है और अगर सही है तो फिर रिपोर्ट के तथ्य राज्य सरकार ने मान लिये हैं । अगर मान लिये हैं तो रिपोर्ट यहां प्रस्तुत की जानी चाहिए और अगर स्वीकृत नहीं की गयी है तो माननीय मंत्री जी का उत्तर एक मुगालते का उत्तर है और सदन को वेग दिखाई दिया है ।

श्री अध्यक्ष : सारे प्रश्नों को मैं समझ गया हूं । माननीय सदस्य ने जितने मुद्दे उठाये हैं । यह रिपोर्ट सरकार के पास है और उन्होंने विचार कर लिया या नहीं किया । विचार कर लिया तो किस हद तक किया । इन सारे प्रश्नों के संबंध में मैं राज्य सरकार से जानकारी लेकर और अगर यह विचाराधीन है तब भी और यदि विचार परिपक्व हो गया है तब भी

Page No.18

(श्री अध्यक्ष)

इन सारे प्रश्नों को देखकर मैं कल ही इस पर निर्णय ले लूंगा। आखिर रिपोर्ट तो रिपोर्ट है-यह कोई प्रिविलेज्ड डाकुमेन्ट नहीं हो सकता, प्रश्न बड़ा स्पष्ट है और मैं कल निर्णय दे दूंगा। श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह सदन की मेज पर एक्सट्रेक्ट्स आ गये हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष : नहीं आये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है।

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा है कि एक्सट्रेक्ट्स रिलेवेन्ट नहीं हैं बल्कि रिपोर्ट रिलेवेन्ट है।

श्री देवीदत्त गाड़िया: अभी अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि सदन की मेज पर रख दिये हैं।

श्री मनफूलसिंह: मैं निवेदन कर दूं कि मैं सदन की मेज पर रखने के लिए तैयार हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया: अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा है कि मैंने रख दिये हैं।

श्री अध्यक्ष: मैंने वहीं इन्टरवीन किया था कि यह एक्सट्रेक्ट नहीं रिपोर्ट रिलेवेन्ट है। मैं इस को देख लूंगा।

आर्डर, माननीय सदस्य।

नैक्स्ट, श्री मनोहरसिंह मेहता।

भीलवाड़ा जिले की पंचायत समितियों की ओर से चलने वाले फार्म

9. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में पंचायत समितियों की ओर से अपने फार्म चल रहे हैं ?

(2) यदि हां, तो किस किस पंचायत समिति के फार्म चल रहे हैं और कितने कितने बीघों के हैं ?

(3) हर पंचायत समिति को अपने फार्म से क्या लाभ अथवा हानि हुई है ? कृपा करके लाभ व हानि के तीन वर्षों के आंकड़े सभी भीलवाड़ा पंचायत समितियों के अलग अलग सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) जो फार्म हानि में चल रहे हैं उनमें हानि के क्या कारण हैं ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (1) मांडल व मांडलगढ पंचायत समितियों को छोड़कर जिले की शेष सभी नौ पंचायत समितियों में फार्म चल रहे हैं।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) वांछित विवरण सदन की मेज पर रखी गई सूचना में दे दिया गया है।

(4) सदन की मेज पर रखी गई सूचना में उल्लेख कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां 9 जगह फार्म्स चल रहे हैं जिनमें 6 तो घाटे में चल रहे हैं और केवल एक में 600 रुपये का फायदा हुआ है और शाहपुरा में घाटा 4,28,536 रु० का है। किसी में तो 17 हजार का घाटा है, किसी में 18 हजार का, किसी में 19 हजार का घाटा

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

और किसी में 13 हजार का घाटा है और इसमें कुल मिलाकर 4,352 एकड़ भूमि में खेती करते हैं। यह एक जगह का हाल है तो मैं पूछना चाहता हूं कि सब जिलों में फार्म्स चल रहे हैं तो उनमें कितने करोड़ का घाटा होता होगा ? अच्छा हो यह सारी जमीन भूमिहीनों को बांट दें 4-4 एकड़, तो इससे देश का धन भी बढ़ेगा और भूमिहीन काश्तकारों को काश्त करने को जमीन मिलेगी तो क्या आप इन फार्म्स को बन्द करने की सोच रहे हैं ? क्या आप कमेटी बैठा रहे है कि 4 लाख का घाटा क्यों हुआ ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : शाहपुरा पंचायत समिति द्वारा चलाए जा रहे फार्मों के आय-व्यय के लेखों की जांच के लिए स्थानीय, निधिलेखा अंकेक्षण विभाग के विशष जांच दल द्वारा जांच की जा रही है और उसके ऊपर रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जायगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो चावल मसकायें हैं। आप 26 जिलों की ही जांच करवायें कि कितने करोड़ का घाटा है ? क्या आप 26 जिलों की जांच कराने के लिए तैयार हैं।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री): 26 जिलों में 232 पंचायत समितियां हैं और सभी पंचायत समितियों म फार्म्स नहीं है, हां अधिकांश में है और उन पंचायत समितियों द्वारा चलाये जाने वाले फार्म्स की जांच कराने के लिए किसी कमेटी द्वारा राज्य सरकार तैयार नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्यों ? किन कारणों से ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : और जगहों के लिए तैयार नहीं है तो भीलवाड़ा जिले के लिए तो तैयार हैं ? क्या आप इस जमीन को छोड़ने के लिए तैयार हैं ताकि वह भूमिहीनों में बांटी जा सके जिससे देश का उत्पादन बढ़े और जिससे समाजवाद भी आयेगा और भूमिहीनों को भी जमीन मिल जायगी ?

श्री परसराम मदेरणा : अगले दो-एक महीने में पंचायत संस्थाओं का अधिवेशन जयपुर में होने जा रहा है और मैं उनके प्रतिनिधियों से बात करके उस पर विचार करूंगा और तब राज्य सरकार निर्णय ले सकती है।

श्री रामकिशन (वैर): मैं कहना चाहता हूं कि आप उन संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बात करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा ? प्रश्न तो यह है कि कितनी पंचायत समितियों में नुकसान जा रहा है और उसके लिए आप कोई कदम उठायें। आप संस्थाओं से क्या बात करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : सभी पंचायत समितियों में घाटा नहीं जा रहा है और जिनमें घाटा हुआ है उसके कुछ कारण हैं जो हमने रख दिये हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह बिलकुल वेग कारण हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक शाहपुरा का ताल्लुक है हमने स्पेशल ऑडिट पार्टी को भेजा है और जैसी वह रिपोर्ट देगी उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि बारिश नहीं

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

होने के कारण घाटा हुआ है तो इसका मतलब तो यह हुआ कि जितने भी किसान हैं और जिनके क्षेत्र में बारिश नहीं हुई तो वह सब भूखों मर गए ? इसका कारण यह है कि वहां पर गुलछर्रे उड़ाते हैं और राजनैतिक कारण हैं। मेरा कहना है कि आप इन फार्म्स की जमीन लेकर किसानों को दें ताकि वे वहां पर खेती करें।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक धन की सुरक्षा का प्रश्न है इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से बताना चाहता हूं कि जब राज्य सरकार ने पंचायत समितियों की आमदनी बढ़ाने के लिए और अधिक उत्पादन करने के लिए किसानों को मार्गदर्शन हेतु फार्म्स दिये थे और वह ठीक तरह से संचालित नहीं हो रहे हैं, उनमें घाटा हो रहा है उसके कोई भी कारण होंगे तो इसमें राज्य सरकार को क्या आपत्ति है कि घाटे के कारणों को दूर करने के लिए किसी विशेष प्रकार की प्रकिया को अपनाकर कोई जांच करायें ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, पूर्व में बहुत सी पंचायत समितियों में जो एग्रीकलचर फार्म हैं वे घाटे से चलते थे वे उनसे लेकर एग्रीकलचर डिपार्टमेंट को दे दिये गये हैं।

श्री रामकिशन : एग्रीकलचर डिपार्टमेंट में भी घाटे में चल रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : उनके लिए कन्सर्न्ड मंत्री महोदय से बात करें।

जहां तक यह प्रश्न भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से सम्बन्ध रखता है तो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे कि पहले शुरूआत में कई फार्म्स में घाटा हुआ है। इन फार्मों में से चार के अलावा 5–6 फार्म्स एक साल घाटे में हो गये हैं तो दो साल मुनाफे में हो गये हैं। एक साल घाटे में रहने के भी कारण हैं। परन्तु शाहपुरा का ही एक ऐसा फार्म है जहां कि ज्यादा घाटा हुआ है। वहां जमीन भी 6053 बीघा है और उस जमीन में मशीनरी लगी हुई है तो उसका भी डेप्रिसियेशन होकर काफी घाटा दिखता है। राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में जो पंचायत समितियों को खेती के लिए जमीन दी थी वह काश्तकारों को लिख वाई है। डिप्टी कमिश्नर को फरवरी 19 को भेजा था कि वे जाकर इसके कारणों में यह देखें। कलेक्टर की चेयरमैनशिप में भी एक कमेटी बिठायी थी। स्पेशल ऑडिट पार्टी को दुबारा भेजा गया है ताकि वह डिटेल्स में उसका ऑडिट कर सके और ऑडिट करने के बाद में रिपोर्ट करें। यह एक बहुत बड़ा फार्म है और पंचायत समिति ठीक तरह से मेनजमेंट नहीं कर सकती है तो राज्य सरकार उस पर विचार करेंगी। इसमें जमीन लीज पर ली हुई है। पूरी जमीन राज्य सरकार ने पंचायत समिति को नहीं दी है। राज्य सरकार ने तो केवल 50 एकड़ जमीन एलाट की है। बाकी जमीन 10 साल की लीज पर ली हुई है। पंचायत समिति ने एश्योरेन्स दिया था कि लार्ज स्केल पर एग्रीकलचर करके उत्पादन में बढ़ोत्तरी करेंगे। अगर वे नहीं कर सके हैं तो उनकी आज तक कितने असेट्स और कितनी लायेबिलिटीज है उनकी पोजीशन को डिटेल में देखने के लिए ऑडिट पार्टी भेजी हुई है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद में राज्य सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलानियां।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक प्रश्न, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय ।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि एक सिद्धान्त का प्रश्न है और सरकार की जो नीति इस सम्बन्ध में है उससे मैं असन्तोष प्रकट करता हूं और उसका मैं विरोध करता हूं पंचायत समितियों को अगर आप फार्म खेती के लिए देते हैं तो मैं मानता हूं कि छोटे फार्म अगर दें तो कोई हर्ज नहीं । हजारों बीघा देते हैं तो पंचायत समिति का काम शासन का है या खेती करने का ? काश्तकारों को एलाटमेंट करने का बहुत सारा लम्बा-चौड़ा प्रश्न है । तो यही कहना चाहता हूं कि हजारों बीघा जमीन पंचायत समितियों के पास से लेकर क्यों नहीं आदिवासी और हरिजनों को एलाट करते हैं ? अगर पंचायत समिति के पास जमीन आप रखते हैं तो सिद्धान्ततः सरकार को यह निर्णय क्यों नहीं लेना चाहिए कि अमुक रकबे से अधिक किसी भी हालत में पंचायत समिति को जमीन नहीं दी जायगी ? इस सम्बन्ध में सरकार को गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। लहतलाली का जवाब जो मंत्रीजी महोदय से आया है उसके लिए मैं घोर असन्तोष प्रकट करता हूं। आज उत्पादन बढ़ाने का प्रश्न है और उत्पादन को प्राथमिकता देना चाहिए । पंचायत समितियों को जमीन देकर आप खिलवाड़ कर रहे हैं । सरकार की यह नीति मेरे खयाल में बहुत ही निन्दनीय है ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष, जहां तक शाहपुरा के फार्म को जमीन देने का प्रश्न है वह अलग है । उसके अलावा कोई भी ऐसा फार्म नहीं है जिसके पास 100 एकड़ से ज्यादा जमीन हो ।

श्री लक्ष्मणसिंह: 80 पर्सेन्ट में मिसमेनेजमेंट है और सब में आपाधापी और गुलछर्रे उड़ा रहे हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : वहां पर जनता के रिप्रेजेन्टेटिव्ज हैं और उनकी एक कमेटी बनी हुई है । वह इसके मैनजमेंट को देखती है। पंचायती राज संस्थाओं में किसी प्रकार की वीकनैस है तो उसको सुधारने के लिए सब को कोशिश करनी चाहिए । लेकिन आप देखते हैं....

श्री लक्ष्मणसिंह : इलेक्टेड रिप्रेजन्टेटिव्ज की कुछ नहीं चलती है और ब्यूरोक्रेसी की ही सब कुछ चलती है। बी० डी० ओज० और मुलाजिमान जो हैं वे सब आपाधापी कर रहे हैं और इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव्ज को बालाये ताक रख देते हैं मंत्री महोदय, से, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा शिकायत बिलकुल करता हूं, मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं पूर्ण रूप से ध्यान दे रहा हूं जो कुछ भी आप कह रहे हैं उस पर कोई फार्म 65 बीघे का कोई है, 70 का है, कोई 100 का है, कोई 50 एकड़ का है और कोई 100 एकड़ का है। इससे ज्यादा का कोई फार्म नहीं है । वह जमीन इस साल काबिले काश्त नहीं बन सकी है क्यों कि ज्यादातर काश्त

(श्री परसराम मदेरणा)

होती है वह नदी के पेटमें होती है। इस साल बरसात ज्यादा हुई है और नदी में पानी काफी दिनों तक भरा रहा और पानी के रहने के कारण जमीन सूखी नहीं है। अब जमीन सूखी है।

श्री दौलतराम सारण : कितने साल से है यह फार्म ?

श्री परसराम मदेरणा : शाहपुरे का फार्म 66-67 से ही दिया गया है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस फार्म में जो जमीन है वह लीज पर ली हुई है। वसे यह बात सत्य है कि इसमें काफी घाटा हो रहा है। इसलिए जैसे ही यह बात राज्य सरकार के ध्यान में आई है तो हमने पंचायत समिति को यह लिखा था कि इस फार्म में घाटा हो रहा है इसलिए काश्त न करें तो ठीक है। उन्होंने कहा कि घाटा हो गया है शुरू शुरू में तो उसकी हम क्षतिपूर्ति कर लेंगे। वह क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं। फायदा तो जरूर हुआ एक लाख का इयर बिफोर लास्ट। इस साल हमने वह करवा दिया है कि तुम से ज्यादा काश्त नहीं हो सकती है तो वह जमीन काश्तकारों को दे दें। आडिट पार्टी बिठा दी है और उसके एसेट्स और लायेबिलिटीज की पोजीशन राज्य सरकार के सामने आजा जायेगी। अगर उसमें कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने की राज्य सरकार सोच रही है। पूरा फार्म पंचायत समिति के पास रखा जाय या नहीं रखा जाय इस बारे में जल्दी ही निर्णय लिया जायगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है......

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय......

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह नीति अगर आप अपनायें तो ठीक नहीं होगा कि हरेक पंचायत समिति को 30 से 35 एकड़, जो भी सीलिंग की लिमिट हो उससे अधिक जमीन नहीं दी जाय सिद्धान्तः और यह देखा जाय कि अगर पंचायत समिति जो उस पर काश्त करती है अगर वह ठीक करती है तो उस पर ऐसा विचार किया जाय, लेकिन लार्ज स्केल पर न दें। अगर आप इस चीज को, इस सिद्धान्त को अपनायेंगे तो सरकार को इसमें क्या आपत्ति है ? क्या मैं यह नहीं जान सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री सुलानियां।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री सुलानियां।

श्री लाबूराम सुलानियां : नं० 10।

श्री अध्यक्ष : 10 नम्बर पर माननीय सदस्य और 10 नम्बर पर ही मंत्री महोदय।

श्री दुर्गालाल बाददार : उत्तर 10 नम्बर के मंत्री देंगे।

बापू आश्रम, जालूपुरा, जयपुर का भवन

10. **श्री लाबूराम सुलानियां** (फागी) : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जयपुर शहर में जालूपुरा स्थित बापू आश्रम नाम की कोई संस्था का भवन बना हुआ है ? यदि हां, तो यह वर्तमान में किस उपयोग में लिया जा रहा है ?

(श्री लादूराम मुलानियां)

(2) इस भवन में कुल कितने कमरे हैं तथा वर्तमान स्थिति कैसी है ?

(3) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा उद्योग केन्द्र जयपुर शहर में चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो कहां और क्या भवन सरकारी है ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि मांग संख्या (1) में वर्णित बापू आश्रम भवन में हरिजन कल्याणार्थ उद्योगशाला चलाये जाने की योजना थी ? यदि हां, तो इसमें किस 'ट्रेड का कौनसा केन्द्र, कबसे चलाया जा रहा है ?

(5) क्या राज्य सरकार निकट भविष्य में उक्त भवन में जयपुर शहर में चल रहे उद्योग केन्द्र को स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस तिथि तक और अगर नहीं तो, क्यों नहीं ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री बिश्वम्भरनाथ जोशी) : (1) जी हां इस भवन में विभागीय अनुसूचित जाति छात्रावास चलाया जा रहा है।

(2) इस भवन में तीन बड़े और तीन छोटे कमरे और एक रसोई, कुल सात कमरे हैं। भवन की चार दीवारी बनी हुई नहीं है। भवन की रिपेयर, दरवाजे और खिड़कियों की दुरस्ती नहीं हुई है।

(3) जी हां। विभागीय अनुसूचित जाति प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर शहर के घाट दरवाजे मोहल्ले में किराये के भवन में चलाया जा रहा है।

(4) जी हां। जैसा कि प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में बताया गया है भवन को छात्रावास हेतु अधिक उपयोगी मानकर वहां छात्रावास चलाया जा रहा है अतः इस भवन में अन्य केन्द्र चलाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी नहीं, इस भवन के समीप कई पाठशालाएं स्थित हैं। अतः छात्रों की सुविधा की दृष्टि से इस भवन में अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए छात्र वास चलाना उपयुक्त समझा गया है। औद्योगिक केन्द्र के लिए वर्तमान भवन उपयुक्त समझा गया था। किन्तु बाद में प्रशिक्षार्थियों के लिए आवास सुविधा की स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप इस औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र को अन्यत्र उपयुक्त भवन में चलाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री लादूराम मुलानियां : इस भवन का निर्माण कब हुआ था ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मंत्रीजी के पैदा होने से पहले।

श्री बिश्वम्भरनाथ जोशी : इस प्रशिक्षण केन्द्र के लिए सेठ सोहनलाल दूगड़ ने 25 हजार रुपये दिये 56 में और उसके बाद करीब 57-58 में यह बनकर तैयार हो गया था।

श्री लादूराम मुलानियां : क्या इसकी कमेटी निर्माण की गई थी ?

श्री बिश्वम्भरनाथ जोशी : भवन-निर्माण के लिए कोई कमेटी कब की गई या नहीं की गई इसका इस प्रश्न से सीधा सम्बन्ध नहीं है। इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री लादूराम मुलानियां : क्या उसके बाद संचालन के लिये कोई कमेटी बनाई थी ?

श्री रामकिशन : यह भी अलग से प्रश्न है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह तो जिस समय बना था उस समय उस का परपज सर्व नहीं हुआ तो बराते ठहरने के काम म ले ली गई। उसमें बराते ठहरने लगी तो उस समय के तत्कालीन मन्त्री यादव साहब ने सुपुर्द विभाग कर दिया।

श्री लादूराम मुलानियां : उसमें आज तक कम्पाउण्ड वाल नहीं है। उसमें सुअर बैठते हैं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : आपका यह फरमाना सही नहीं है। उसमें छात्रावास चल रहा है।.

श्री लादूराम मुलानियां : क्या आप हमारे साथ चलकर देखना पसन्द करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये।

श्री लादूराम मुलानियां : क्या आप निरीक्षण करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री लादूराम मुलानियां : अध्यक्ष महोदय,......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, आर्डर। श्री हंसराज आर्य।

श्री हंसराज आर्य : प्रश्न संख्या 11

श्री लादूराम मुलानियां : अध्यक्ष महोदय,..

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न। ऑर्डर प्लीज।

श्री लादूराम मुलानियां : मन्त्री महोदय इस पर क्या कार्यवाही करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री लादूराम मुलानियां : अध्यक्ष महोदय, उत्तर दिला दीजिये।

श्री अध्यक्ष : उत्तर नही है।

राज्य को प्रायमरी स्कूलें

11. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या सरकार ने यह सर्वे करा ली है कि राजस्थान में दो मील से अधिक दूरी के गांव प्राइमरी स्कूलों से वंचित नहीं हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) कितने गांव प्राइमरी स्कूलों से वंचित हैं ?

(3) क्या सरकार को यह विश्वास हो गया है कि अब इस प्रकार का कोई गांव स्कूल से वंचित नहीं है ?

(4) क्या सरकार भविष्य में प्राइमरी स्कूल नहीं खोलेगी ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (1) जी हां।

(2) इस सर्वे के आधार पर 3,500 छोटे गांव ऐसे हैं जहां प्राइमरी शाला नहीं

(राव श्री घीरसिंह)

है। 90 फीसदी जनसंख्या को दो मील की परिधि में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। शेष में भी भविष्य में उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्न ज़ारी है।

(3) इस प्रश्न का उत्तर भाग दो में निहित है।

(4) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में 250 नई प्राथमिक शालायें खोली जावेंगी जिनमें से 150 शालायें राजस्थान नहर क्षेत्र में व 100 अन्य शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जावेंगी।

श्री हंसराज आर्य : ये कब तक स्कूल खोल दिये जायेंगे ?

राव श्री घीरसिंह : यह निवेदन किया जहां सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां उपलब्ध कराई जायेगी। वहां 58%, 6 वर्ष से 11 वर्ष तक के छात्र पढ़ने आते ह। संख्या वृद्धि के कारण भी यह हुआ है। अब इस दिशा में जल्दी से जल्दी प्रगति की जायेगी।

श्री हंसराज आर्य : आखिर साल में, दो साल में यह कब तक हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : रेगिस्तानी क्षेत्र में हजारों गांव ऐसे हैं जो 4, 6 और 8 मील की दूरी पर है। उन में प्राइमरी स्कूल नहीं हैं।

राव श्री घीरसिंह : जिन क्षेत्रों में संख्या कम है, उनमें दो मील के अन्दर नहीं हैं। जहां छात्र उपलब्ध हैं वहां प्रयत्न करके स्थापित कर दिये हैं।

श्री दौलतराम सारण : 70 से ऊपर गांव ऐसे पड़े हैं। पंचायत समितियों को सरकार इजाजत नहीं देती है। नोहर, डूंगरगढ़ और सरदार शहर में कई ऐसे हैं जहां आप का शिक्षा विभाग इजाजत नहीं दे रहा है। बच्चों को पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। न तो स्वयं खोलते हैं और न पंचायत समितियों को इजाजत देते हैं ?

राव श्री घीरसिंह : अध्यक्ष महोदय, 150 नहरी क्षेत्र में खोले जायेंगे। बाकी अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जायेंगे।

श्री दौलतराम सारण : नोहर में डूंगरगढ पंचायत समिति में कई वर्ष से लोग आप को आवेदन दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : वहां की छात्र संख्या कहां जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : जैसलमेर में कब तक स्कूलों की व्यवस्था कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य। उनका प्रश्न आने दीजिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि पंचायत समितियों के पास......

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री रामचन्द्र आर्य : अलग से नहीं है। उनको इजाजत दे देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

राव श्री बीरसिंह : उसमें खोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, उनको भी देखेंगे।

श्री हंसराज आर्य : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे। क्या क्षेत्र की संख्या का लिहाज नहीं रखा है?

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ताल छापर, जिला चूरू में वन विभाग की भूमि

2. **श्री रावतराम** (छापर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) ताल छापर, जिला चूरू में कितना बीघा जमीन वन विभाग के अन्तर्गत है?

(2) पिछले पांच सालों में उक्त भूमि के प्रयोजनार्थ विभाग का कितना खर्चा हुआ है और वहां पर कितना स्टाफ डेप्यूट कर रखा है?

(3) क्या यह सही है कि वहां के निवासियों ने सरकार से यह मांग की है कि उक्त जमीन बहुत ज्यादा है, और बेकार पड़ी है, अतः कुछ जमीन गोचर 'भूमि' में बदली जाय ताकि गांव का मवेशी आदि उसमें चर सकें? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

(4) क्या यह सही है कि गांव की मवेशियों को लेकर वन विभाग के कर्मचारियों से झगड़े होते रहते हैं और पशुओं को नजदीक के फाटक में दे दिया जाता है?

उत्तर

(1) 3,080 बीघा अर्थात 2,050 एकड़।

(2) ताल छापर केवल हिरनों की सेन्चुरी है। इसकी सुरक्षा एवं विकास में दो वर्षों से निम्नानुसार व्यय हुआ है:--

वर्ष 69-70 14,000) (सितम्बर, 69)
" 70-71 27,372) (फरवरी 71 तक)

इस क्षेत्र की सुरक्षा हेतु अभी एक रेन्जर, एक वनपाल व दो वन रक्षक तैनात हैं।

(3) जी हां, मांग की है किन्तु यह भूमि वहां रहने वाले हिरनों की संख्या को देखते हुए न तो अधिक है और न बेकार पड़ी है।

(4) इस क्षेत्र में अवैध चराई कराने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है तथा अवैध चराने वाले मवेशियों को निकटस्थ फाटक में भिजवाया जाता है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

काछोला प्राइमरी हैल्थ सेन्टर

1. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि काछोला में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर है जो मांडलगढ़ पंचायत समिति का एकमात्र सेन्टर है?

(2) क्या यह सही है कि प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के भवन बनाने में काछोला के लोगों ने हजारों की मदद की है?

(3) क्या यह सही है कि प्राईमरी हैल्थ सेन्टर को जितना स्टाफ देना चाहिए नहीं दिया गया है?

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

(4) क्या यह भी सही है कि पूरा स्टाफ न दिए जाने के कारण ही हैल्थ सेन्टर में अक्सर डॉक्टर का अभाव रहता है ?

(5) क्या जल्दी ही वहां पूरा स्टाफ भेज दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उप-केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए जन सहयोग से दस हजार रुपये जमा कराये गये थे।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मैला सर पर उठाने की प्रथा

2. **श्री लादूराम सुलानियां** (फागी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार जयपुर में मैला सिर पर उठाने की प्रथा को शीघ्र ही समाप्त कर आधुनिक उपकरणों का उपयोग करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि इस योजना के लिए राज्य सरकार ने फ्लश, तहारत बनाने हेतु आर्थिक सुविधा का प्रावधान रखा है ? यदि हां, तो क्या व कितना कितना ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि राज्य सरकार इस योजना के साथ ही इस कार्य के करने वाले व्यक्तियों के विकास हेतु जयपुर में कोई औद्योगिक संस्था प्रारम्भ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? योजना की प्रति मय बजट प्रावधान के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। समाज कल्याण विभाग द्वारा जयपुर में निजी खुले पाखाने को फ्लश में बदलने के लिये अनुदान देने हेतु 3,00,000/- रु० और सार्वजनिक खुले तारतों को मल प्रवाहित तारतों में परिवर्तित करने के लिये 2 लाख रुपये जयपुर नगरपालिका को स्वीकृत किये गये हैं।

(3) भंगी कष्ट मुक्ति कार्य के अन्तर्गत मैला साफ करने वाले लोगों के लिये अलग से औद्योगिक कार्यक्रम संचालित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

अनिवार्य शिक्षा

3. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि चौथी योजना से राजस्थान में अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी जायेगी ?

(2) यदि हां, तो अनुमानतः कितने बच्चे 6 से 11 वर्ष तक की आयु के स्कूलों में पढ़ने को जायेंगे ?

(शिक्षा मंत्री)

उत्तर

(1) जी नहीं। ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है।

(2) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रखे गए लक्ष्य के अनुसार लगभग 4.80 लाख अतिरिक्त बच्चों को शालाओं में लाया जायगा जिससे 6-11 वर्ष के स्कूल आने वाले बच्चों का प्रतिशत बढ़कर 60 हो जायेगा।

पंचायत समिति, फागी को ऑडिट

4. **श्री लादूराम सुलानियां** (फागी): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पंचायत समिति, फागी, जिला जयपुर के भण्डार का भौतिक सत्यापन 2-10-1959 के बाद बराबर होता रहा है? यदि हां, तो कब कब किन किन अधिकारियों द्वारा किस किस तिथि को किस अवधि का किया गया?

(2) क्या इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या भंडार में गबन हुआ है?

(4) क्या पंचायत समिति, फागी ने वर्ष 1959 से अब तक कोई सामान क्रय किया है? यदि हां, तो क्रय किये गये माल के कोटेशनों की प्रति, बिल की प्रति व व्यय विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या 1960 से 1969 तक पंचायत समिति, फागी का ऑडिट किया गया है? यदि हां, तो किस किस विभाग द्वारा?

(स्थागित किया गया)

भीलवाड़ा पंचायत समितियों की जीपों पर व्यय

5. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भीलवाड़ा जिले में कितनी पंचायत समितियें हैं?

(2) क्या हर पंचायत समिति में जीपें हैं?

(3) इन जीपों के ड्राइवर, टूट-फूट और पैट्रोल आदि पर 1 अप्रेल, 70 से आखीर जनवरी, 71 तक जितना भी खर्च हुआ उसका पूरा विवरण हर पंचायत समिति का अलग अलग बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) कुल 11 पंचायत समितियां हैं।

(2) जी हां।

(3) पंचायत समितिवार खर्च का विवरण निम्न प्रकार है:—

पंचायत समिति	ड्राईवर	पैट्रोल	टूट-फूट
1. हुरडा	2,919.95	5,452.72	2,796.17
2. अमेड़ा	3,051.71	4,280.90	8,226.26
3. मांडल	4,526.87	3,733.65	4,824.99
4. आसीन्द	3,130.70	5,796.55	3,215.15
5. शाहपुरा,	6,243.66	11,282.55	4,898.52
6. कोटड़ी	3,206.90	6,211.93	3,000.21
7. सहाड़ा	2,625.67	3,268.60	5,376.60
8. जहाजपुर	2,080.70	7,788.43	2,924.74
9. मांडलगढ़	3,478.55	2,681.55	1,837.75
10. सुवाणा	2,659.96	5,108.46	5,768.18
11. रायपुर	सूचना एकत्रित की जा रही है।		

पंचायत समितियों के टैक्टर्स

6. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

प्रान्त के विभिन्न जिलों की विभिन्न पंचायत समितियों में कितने कितने ट्रैक्टर्स हैं ? आकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिय)

लिफ्ट नहर से लूणकरणसर को पानी

7. **श्री हंसराज आर्य** (मादरा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर को जाने वाली लिफ्ट नहर से लूणकरणसर तहसील के प्रायः सभी खारे पानी वाले गांवों को पीने का पानी दिया जावेगा ?

(2) यदि हां, तो कितनें गांवों को और कौन कौनसे गांवों को ?

(3) क्या इसकी सर्वे हो चुकी है ?

(4) यदि हां, तो खारे पानी वाले गांवों को पीने का पानी कब तक दे दिया जावेगा?

(5) इस कार्य पर कुल कितनी धन-राशि खर्च होगी ?

(6) सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

उत्तर

(1) लूणकरणसर-बीकानेर लिफ्ट नहर से तहसील लूणकरणसर के फिलहाल उन्हीं गांवों को जो इस नहर के कमाण्ड में आते हैं पीने का पानी देने की योजना है ।

(2) फिलहाल 50 गांवों को पीने का पानी दिया जावेगा । सूची संलग्न है ।

(3) जी नहीं ।

(4) योजना के अनुसार नहर का निर्माण कार्य वर्ष अक्टूबर, 1971 तक पूरा करने का लक्ष्य रहा गया है। इसके पूरा होने पर ही इन गांवों को पीने का पानी देना संभव हो सकेगा ।

(5) इस पर जो धनराशि खर्च होगी उसका अनुमान लगाना फिलहाल संभव नहीं है क्योंकि जो धनराशि खर्च होगी वह उपभोक्ताओं द्वारा वहन की जावेगी ।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

श्यामपुरा मालकाखेड़ा में सिचाई की सुविधा

8. **श्री मनोहरसिंह महता** (मांडलगढ़) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि श्यामपुरा मालकाखेड़ा के पास ऐसे स्थान हैं जहां थोड़े ही खर्च पर पानी को रोका जाकर अच्छी सिचाई का साधन बनाया जा सकता है ?

(2) यदि ऐसे स्थान हैं तो वे कौन कौनसे हैं ?

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

(3) क्या बादरमूता नामक स्थान भी इनमें से एक है ?

उत्तर

(1) इसका सर्वेक्षण किया जा रहा है। संभवतया प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही वास्तविकता का पता लग सकता है।

(2) सर्वेक्षण के पश्चात् ही वास्तविकता का पता लग सकेगा।

(3) सर्वेक्षण के पश्चात् ही वास्तविकता का पता लग सकेगा।

अजमेर जिले में सिंचाई कार्य

9. **श्री फतेहसिंह** (ब्यावर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले दुर्भिक्ष (1969-1970) के समय अजमेर जिले में सिंचाई विभाग द्वारा कौन कौनसे कार्य हाथ में लिये गये?

(2) इन प्रत्येक पर कितना धन खर्च हुआ ?

(3) कौन कौन से कार्य अधूरे पड़े हैं और उन्हें पूरा कराने की सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) सूची 'अ' संलग्न है।

(2) सूची 'अ' में अंकित है।

(3) सूची 'अ)' में अंकित है।

आवश्यक धनराशि की उपलब्धि होने पर इन्हें पूरा कराया जा सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर-झोटवाड़ा मार्ग पर यातायात सुविधा

10. **श्री लादूराम सुलानियां** (फागी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि नगर परिषद् सीमा जयपुर के झोटवाड़े क्षेत्र के लिए जयपुर शहर व जयपुर रेलवे जंकशन से आने जाने के लिए बसों की समुचित व्यवस्था है ? यदि हां, तो वर्तमान में उपरोक्त मार्गों पर कितनी बसें प्रति दिन किस किस समय पर उपलब्ध होती हैं ? सूची मय बस नम्बरान समय सारणी व रवानगी स्थान से पहुंच के स्थानों के नामों सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि वर्तमान बसों की अव्यवस्था के कारण झोटवाड़े क्षेत्र से कोई शिकायत सम्बन्धित विभाग को की गई है ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें व साथ ही उस पर की गई व्यवस्था का भी उल्लेख करने का कष्ट करें।

(3) वर्तमान में उपरोक्त मार्गों पर कितनी बसों के परमिट जारी किये हुए हैं ? जारी परमिटों के संबंध में सूचना, बस मालिक का नाम, पता, बस नम्बर सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या राज्य सरकार शीघ्र ही जयपुर जंकशन से झोटवाड़े तक बस सर्विस चालू करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(5) क्या सरकार चांदपोल से झोटवाड़े तक चलने वाली बस सेवा में जनता की शिकायतों एवं सुझावों को दृष्टिगत रखकर

Page No.31

(श्री लादूराम सुलानिया)

कठिनाइयों को दूर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सत्य है कि नगर परिषद् सीमा जयपुर के झोटवाड़े क्षेत्र के लिए जयपुर शहर व जयपुर रेल्वे जंकशन से आने जाने के लिये बसों की समुचित व्यवस्था है । यह व्यवस्था जयपुर रेल्वे जंकशन से चांदपोल मार्ग की छः बसों एवं चांदपोल से झोटवाड़ा मार्ग की 5 बसों द्वारा की हुई है एवं ये बसें प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से रात्रि के साढे नौ बजे तक आधा घन्टे के अन्तर से उपलब्ध होती हैं । बसों की सूची समय सारिणी एवं रवानगी स्थान से पहुंच के स्थानों के नामों सहित अनुबन्ध "क" सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) वर्तमान बसों की अव्यवस्था के कारण झोटवाड़ा क्षेत्र से प्राप्त शिकायत एवं उस पर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा किया गया निर्णय अनुबन्ध "ख" में अंकित है जो सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) वर्तमान में चांदपोल से झोटवाड़े तक के लिए पांच परमिट जारी किये हुए हैं । उनके बस मालिक का नाम, पता व बस नम्बर अनुबन्ध "ग" में अंकित है जो सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(4) जयपुर जंकशन से झोटवाड़े तक सीधी बस सर्विस चालू करने के लिए प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के पास अभी कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । प्राधिकारी को इस मार्ग को खोलने के विषय पर विचार करने हेतु लिखा जा रहा है ।

(5) राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ० 1(1)(9) एवं (जीगु) -164, दिनांक 2-12-69 द्वारा नगर परिवहन सेवा के कार्यों का मूल्यांकन । पुनर्विलोकन करने तथा नगर परिवहन सेवा के कार्य की कमियों को दूर करने । उसमें सुधार करने के उपाय सुझाने हेतु एक सलाहकार समिति नियुक्त की गई है तथा पांच स्थानों पर शिकायत पेटियां रखने की व्यवस्था की गई है । इन शिकायतों पर भी उक्त सलाहकार समिति विचार कर उचित कार्यवाही करेगी ।

ग्राम पीतारू में एनीकट का अधूरा कार्य

11. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गांव पीतारू (तहसील कोटड़ी) में एक एनीकट का काम अधूरा पड़ा हुआ है ?

(2) यदि यह सही है, तो क्या इसी वर्ष इसे पूरा कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्रामों को बिजली

12. **श्री हंसराज आर्य** (मादरा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में अब तक कुल कितने गांवों में बिजली दे दी गई है ?

(2) जिलेवार गांवों की सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

Page No.32

(श्री सराज आर्य)

(3) आगामी वर्ष जिलेवार कितने कितने गांवों को बिजली देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

(4) सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(1) जनवरी, 1971 के अन्त तक राजस्थान के 2,862 ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है।

(2) सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) आगामी वर्ष में बिजली दिये जाने हेतु जिलेवार लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

बाड़मेर जिले की विद्युत् योजना

13. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में बिजली की कितनी कितनी किलोवाट शक्ति विभिन्न स्थानों में है ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में विभिन्न तहसीलों एवं पंचायत समितियों के हैड क्वार्टर पर भी बिजली की व्यवस्था नहीं है ?

(3) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले के बाद में बाड़मेर जिला विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला है ?

(4) राजस्थान विद्युत् मण्डल की ओर से बाड़मेर जिले में विद्युत् विस्तार की अग्रिम चार सालों में क्या योजना है ? विवरण सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में बाड़मेर कस्बे में डीजल विद्युत् गृह है जहां पर 2,218 किलोवाट प्रतिष्ठापित क्षमता के डीजल एंजिन लगे हुए हैं जिनकी डिरेटेड क्षमता करीब 900 किलोवाट की है। कस्बे के अतिरिक्त इस जिले में कुछ ग्रामों में चम्बल से बिजली उपलब्ध कराई जाती है जिसमें दो स्थानों पर 33 के० वी० ए० सब-स्टेशन हैं जिनकी क्षमता समदड़ी में 1250 के० वी० ए० एवं मोकलसर में 500 के० वी० ए० है।

(2) बाड़मेर जिले में बाड़मेर, बालोतरा, पचपदरा एवं सिवाना तहसील एवं पंचायत समिति के हैडक्वार्टर का विद्युतिकरण किया जा चुका है तथा अन्य हैडक्वार्टर्स शिव, चौहटन, बायतू एवं सिणदरी आदि का विद्युतिकरण नहीं किया गया है।

(3) जी हां, विद्युत् की दृष्टि से।

(4) अगले चार वर्षों की योजना अभी नहीं बनाई गई है। प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम जालवाली में कृषि कार्य के लिये बिजली

14. **श्री हरलालसिंह खर्रा** (सवाई-माधोपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

की कृपा करेंगे :

(1) ग्राम जालपाली रेवेन्यू रिकार्ड, तहसील श्रीमाधोपुर (सीकर) के कितने व किस किस कृषक ने सन् 1965 से 31 मार्च, 1967 तक कृषि के लिए बिजली लेने के प्रार्थना-पत्र कब कब दिये?

(2) उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों में किस किस के कब कब कनेक्शन हुए व किस किस के प्रार्थना-पत्र किन किन कारणों से खारिज हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) कुल नौ कृषकों ने अर्जियें दी थीं। प्रार्थना-पत्र देने की तिथि संलग्न सूची में दी गई है ।

(2) वांछित सूचना बताते हुए सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री अध्यक्ष : सचिव महोदय द्वारा सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : एक प्रश्न है अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री सचिव : राजस्थान विधान सभा (श्री० बी० के० डी० बैजल) ।

मैं राजस्थान विधान सभा द्वारा गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:—

(1) राजस्थान टिनेन्सी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1970 ।

(2) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1970 ।

(3) राजस्थान राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, 1970 ।

(4) राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 ।

(5) राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1970 ।

(6) राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण विधेयक, 1970 ।

(7) राजस्थान निवारक निरोध विधेयक, 1970 ।

(8) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 ।

(9) राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1970 ।

श्री अध्यक्ष : श्री गृह मन्त्री, राजस्थान भू-गृहादि (किराया और बेदखली नियन्त्रण) संशोधन अध्यादेश, 1970 (अध्यादेश संख्या 13, सन् 1970) को सदन की मेज पर रखेंगे ।

श्री हीरालाल देवपुरा (राज्य मंत्री, गृह) : मैं, राजस्थान भू-गृहादि (किराया और बेदखली नियन्त्रण) संशोधन अध्यादेश,

Page No.34

(श्री हीरालाल देवपुरा)

1970 (अध्यादेश सं० 13, सन् 1970) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : पंचायत मंत्री, अध्यादेश सं० 1 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री): मैं, राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (अध्यादेश सं० 1, सन् 1971) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्री, अध्यादेश सं० 2, सन् 1971, सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री): मैं, राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (अध्यादेश सं० 2, सन् 1971) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : आयुर्वेद मंत्री, अध्यादेश सं० 3 सन् 1971, सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री जयकृष्ण शर्मा : (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : मैं, राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (अध्यादेश सं० 3 सन् 1971) को सदन की मेज़ पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : उद्योग मंत्री, अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : व्यवस्था का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, ये अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखने को कहा गया है। ये अधिसूचनाएं है, 30 अप्रेल, 1966, 20 मई, 1968, - 14 जून, 1965, 8 नवम्बर, 1968, 12 मार्च, 1970-22 अक्टूबर, 1970 ये सन् 1966 की अधिसूचनाएं हैं। 67 में आम चुनाव हो गया है। 5-5 साल तक अधिसूचनाएं रखी गई है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? जब कि इस सदन में कई बार यह कहा गया है कि अधिसूचनाएं तुरन्त सदन पटल पर रखी जानी चाहिएं। अत्यधिक विलम्ब होता है। क्योंकि 5-5 साल के बाद अधिसूचनाएं सदन की मेज पर लाते हैं।

श्री अध्यक्ष : उद्योग मंत्रीजी।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): रामकिशनजी कह रहे हैं, जयपुर में रहने से नहाने-धोने लग गये हैं इसलिए जूं नहीं रेंगती हैं, पहले रेंगती थीं।

श्री रामकिशन (बैर) : आप कह रहे हैं कि कानों पर जूं क्यों नहीं रेंगती है? हम कह रहे हैं कि पहले दोनों टाइम नहीं नहाते थे इसलिए रेंगती थीं, अब नहाने लग गये हैं इसलिए नहीं रेंगती है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : अध्यक्ष महोदय, मैं खेद प्रकट करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या कहा?

श्री जयनारायण सालोदिया : खेद से क्या? निसरड़े हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : कोई उच्चारण नहीं हुआ है किसी विषय पर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अप्रेल, 66 की कैसे रखी जा सकती है?

श्री अध्यक्ष : उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : कारण इस समय मालूम नहीं है। मैं खेद प्रकट करता हूं।

Page No.35

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : समथिंग वेरी फनी। यह सारी अधिसूचनायें चतुर्थ विधान सभा के समय की हैं, इसलिए चतुर्थ विधान सभा के सामने ही यह अधिसूचनायें रखी जानी चाहिए थीं, पंचम विधान सभा के सामने नहीं रखी जा सकती हैं। इसके जो लीगल कान्सीक्यूएन्सेज होंगे वह होंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मंत्री महोदय कहते हैं कि वह कारण नहीं बता सकते। गवर्नमेंट हेज नो एक्स्प्लेनेशन टू ऑफर।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : वह कह चुके हैं, उसके संदर्भ में निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा चुका है। स्पष्टीकरण के पूर्व ही....

श्री दुर्गालाल बाड़दार : उसी के संदर्भ में निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : एक ही बात है तो दूसरे की क्या आवश्यकता है।

श्री नारायणसिंह मसूदा: अध्यक्ष महोदय, इस समय तो मैं खेद प्रगट कर सकता हूं विलम्ब से हुआ इसके लिए।

श्री अध्यक्ष : उससे अधिक क्या!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार विधान सभा के सामने अधिसूचना रखी गई थी उस समय मैंने आपत्ति प्रस्तुत की थी। उस समय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि वह जांच करेंगे। उन्होंने उसको सीरियसली लिया था। मैं नहीं समझता कि चतुर्थ विधान सभा के सामने जो अधिसूचनायें रखी जानी चाहिएं थीं वह पंचम विधान सभा में कैसे रखी जा सकती हैं, 66 की अधिसूचनायें अब नहीं रखी जा सकतीं, यह वैधानिक आपत्ति है। जो अधिसूचनायें 66 वाली हैं इन अधिसूचनाओं को सदन की मेज पर रखे जाने का प्रश्न प्रस्तुत नहीं होता।

श्री रामचन्द्र आर्य : जीत की खुशी में रखी हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : विलम्ब की बात है, यह 66 की बात है, इसको रखने में विलम्ब के कारण को आप ठीक समझते हैं तो आप माफ कर सकते हैं सदन की तरफ से। आपको अधिकार है, आप क्षमा कर दीजिये।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं देरी के कारणों की जांच करने के लिए मुख्य सचिव को आदेश जारी कर दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: किसके लिए?

श्री नारायणसिंह मसूदा : देरी के कारणों की जानकारी करने के लिए।

श्री रामकिशन : पहले तो खेद प्रगट कर दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने अधिसूचनाओं को प्रस्तुत किये जाने संबंधी जो आपत्ति का प्रश्न उठाया है, उस प्रश्न को माननीय मंत्री ने स्वयं स्वीकार करते हुए खेद प्रकट किया है। लेकिन खेद की बात यह अवश्य है कि इतना विलम्ब अधिसूचनाओं

(श्री अध्यक्ष)

को सदन की मेज पर प्रस्तुत करने में, बिना इसके कारणों की जानकारी किये—यह, सब खेद का विषय अवश्य है। पहले भी माननीय सदस्यों की चिंता इस संबंध में व्यक्त की गई है। आसन से भी सरकार को आगाह किया गया, सतर्क किया गया कि वह, विलम्ब के कारणों में जायें। कि आखिर विलम्ब, शिथिलता क्यों होती है। मैं अब राज्य सरकार को यह आगाह करना चाहता हूं। इसमें विलम्ब हुआ है जिसके कारण मंत्री महोदय को निष्कारण, किनकी शिथिलता के आधार पर खेद प्रकट करना पड़ा है। वे इस संबंध में कारणों का पता लगायें।

श्री नारायणसिंह मसूदा: मैं निवेदन कर चुका हूं, मुख्य सचिव को आदेश दे दिया गया है कि कारणों का पता लगायें और जांच करें।

श्री अध्यक्ष : पता लगायें और माननीय सदस्यों द्वारा जो चिन्ता अभिव्यक्त की गई है वह संदर्भ भविष्य में पैदा नहीं हो।

श्री रामकिशन : यही हर बार फैसला होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आदेश दे दिया है या दे दिया जायगा ?

श्री नारायणसिंह मसूदा: देदिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : यातायात मंत्री :

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको अधिकार नहीं है आदेश देने का।

श्री अध्यक्ष : आप प्रस्तुत कर दीजिये।

श्री नारायणसिंह मसूदा: अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग (क) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 203, दिनांक 30 अप्रेल, 1966 जिसके द्वारा इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ० 29(5)उ। क। 63, दिनांक····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उद्योग आपके पास कब से आ गया ?

श्री जयनारायण खाजोदिया : माफी मांग लेते हैं इसलिये आ गया।

श्री रामकिशन:- लाइसेन्स देने के लिये आया है या माफी मांगने के लिये आया है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : 9 सितम्बर, 1965 में संशोधन किया गया है।

(2) अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 205 दिनांक 20 मई, 1968 जिसके द्वारा राजस्थान उद्योगों के लिये राजकीय सहायता (ऋण) नियम, 1963 में संशोधन किया गया है।

(3) अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 202 (ख) दिनांक 14 जून, 1965 जिसके द्वारा राजस्थान उद्योगों के लिये राजकीय सहायता (ऋण) नियम, 1963 में संशोधन किया गया है।

(4) अधिसूचना संख्या जी० एस०आर० 208 दिनांक 8 नवम्बर......

श्री दुर्गालाल बादवार : अध्यक्ष महोदय, है यह अधिसूचना सदन की मेज पर नहीं रखी जा सकती है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : 1968 जिसके द्वारा राजस्थान उद्योगों के लिये राजकीय सहायता (ऋण) नियम, 1963 में संशोधन किया गया है।

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

(5) अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 210 दिनांक 12 मार्च, 1970 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (लवण क्षेत्रों का आवंटन) नियम....

श्री दुर्गालाल बादवार : पॉइन्ट ऑफ आर्डर, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री जयनारायण सालोदिया : पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री दुर्गालाल बादवार : पान्इन्ट आफ आर्डर रूल 169।

श्री नारायणसिंह मसूदा: 1970 जारी किये गये हैं ।

(6) अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 211 दिनांक 12 मार्च, 1970 जिसके द्वारा राजस्थान सहकारी संस्थाओं द्वारा चालित लघु....

श्री दुर्गालाल बादवार : नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय ने मुझे आज्ञा दे रखी है। मंत्री महोदय अध्यक्ष महोदय के आदेश की अवज्ञा करते हैं इसके लिये He is liable to be............ There is a rule 169 and under that rule, I raise a point of order....

श्री जयनारायण सालोदिया : दोनों बोलते रहे ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : उद्योगों को (प्रबन्धकार कर्मचारियों के वर्ग पर) सहाय्यिकी की मंजूरी नियम, 1970 जारी किये गये है।

श्री दुर्गालाल बादवार: मैं इतना निवेदन कर सकता हूं कि मंत्री महोदय आसन की अवज्ञा करते हैं, On a point of order..

श्री अध्यक्ष : देअर इज पाइन्ट आफ आर्डर। आपने रखदी है क्या? (विराम) क्या है व्यवस्था का प्रश्न।?

श्री दुर्गालाल बादवार : Where a regulation, rule, sub-rule, by-law etc. framed in pursuance of the Constitution or of the legislative.

श्री अध्यक्ष : क्या पढ़ रहे हैं ?

श्री दुर्गालाल बादवार: प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 169 ।

श्री रामकिशन : कहां से लाये हैं ?

श्री दुर्गालाल बादवार : आपको भी विधान सभा द्वारा दी गई है।

श्री रामकिशन: विधान सभा में नहीं है ।

श्री दुर्गालाल बादवार : विधान सभा से मिली है।

श्री दौलतराम सारण: यह अंग्रेजी में है नहीं पढ़ सकते हैं।

श्री दुर्गालाल बादवार : इनको भी मिली थी, घर पर रख आये होंगे।

"Where a regulation, rule, sub-rule, bye-law etc. framed in pursuance of the Constitution or of the legislative functions delegated by Legislature to a subordinate authority is laid before the House, the period specified in the Constitution or the relevant Act for which it is required to be laid

Page No.38

(श्री दुर्गालाल बादवार)

shall be completed b fore the House is adjourned *sine-die* and later prorogude, unless otherwise provided in the Constitution or the relevant Act."

Where the specified period is not so completed, the regulation, rule, sub-rule, bye-law etc. shall be re-laid in the succeeding session or sessions until the said period is completed in one session."

अब, अध्यक्ष महोदय, आपके सामने निर्णय के लिए प्रश्न केवल यह उत्पन्न होता है, 1965 में जो अधिसूचना जारी की गई, यह अधिसूचना इतनी महत्वपूर्ण है जिस पर आपको विचार करना होगा कि जिसके द्वारा राजस्थान उद्योगों के लिए राजकीय सहायता, ऋण नियम, 1963 में संशोधन किया गया है। 1963 में राजस्थान की राज्य सरकार ने कुछ अनुदान देने के लिए, कुछ राजकीय सहायता देने के लिए उन उद्योगों के लिए नियम बनायें, उन नियमों में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बड़ा सीधा सा प्रश्न है। यह क्या चौदह दिन के स्पेसिफाइड पीरियेड के लिए है?

श्री दुर्गालाल बादवार : इसीलिए तो मेरा निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न दूसरा है।

श्री दुर्गालाल बादवार : यही निवेदन कर रहा हूं, 1963 में नियम बनें, 1963 में जो नियम बने उन नियमों में संशोधन किया गया 1965 में और 1965-66 के बाद में 1967 में नयी विधान सभा का निर्माण हो गया। अब अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह रहता कि उस समय जो कुछ पीरियड था, उसके अन्तर्गत सारी अधिसूचनाओं को सदन की मेज पर रखा जाना चाहिये था। यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि उद्योगों को राजकीय सहायता देने का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : महत्व पर नहीं जायं, स्पेसिफिक प्राविजन है।

श्री दुर्गालाल बादवार : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजकीय सहायता देने में राज्य सरकार द्वारा किस प्रकार से आपा-धापी की गई है-इसको छिपाने के लिए सात साल तक राज्य सरकार खामोश रही है।

श्री अध्यक्ष : यह स्वेच्छिक प्रोविजन इस पर एप्लाई नहीं होता इसलिए आपत्ति का प्रश्न रूल आउट करता हूं। इसके अतिरिक्त यह सारी अधिसूचनायें प्रस्तुत कर दी गई हैं। नेक्स्ट! श्री यातायात मंत्री!

श्री हीरालाल देवपुरा (राज्य मंत्री, गृह): अध्यक्ष महोदय, गृह (ख-1) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:

(1) अधिसूचना संख्या एफ 1 (3) (25) परिवहन।70 दिनांक 22 अक्टूबर, 1970 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर गाड़ी (संशोधन) नियम, 1970 जारी किये गये हैं।

(2) अधिसूचना संख्या प० 1(3) 129/परिवहन। 163 दिनांक 24 नवम्बर 1970 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर गाड़ी (संशोधन) नियम, 1970 जारी किये गये हैं।

(श्री हीरा लाल देवपुरा)

(3) अधिसूचना संख्या एफ 1 (3)। 2। परिवहन। 71 दिनांक 7 जनवरी, 1971 जिसके द्वारा जम्मू एवं काश्मीर यूथ कल्चरल एसोसियेशन, श्री नगर द्वारा भाड़े पर ली गई मोटर गाड़ी संख्या जे० के० वाई० 373 को राजस्थान में दिनांक 29 दिसम्बर, 1970 से 8 जनवरी, 1971 तक राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम, 1951 (राजस्थान अधिनियम 11 सन् 1951) द्वारा अधिरोपित करके भुगतान से छूट दी गई है।

(4) अधिसूचना संख्या प० (2)। 2 एच० बी० ग्रु० ।।63 दिनांक 20 जनवरी, 1971 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर गाड़ी (प्रथम संशोधन) नियम, 1971 जारी किये गये हैं।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री) : मैं पंचायत एवं विकास विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :–

(1) अधिसूचना संख्या एफ० 4 एल० पी० एस० ए० आर० 4।70।3710-19, दिनांक 20 नवम्बर, 1970 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति (सदस्यों को भत्ते का भुगतान) (संशोधन) नियम 1970 जारी किए गए हैं।

(2) अधिसूचना संख्या एफ० 4।एल० पी०।एस। ए। आर। 4।70।3720-29, दिनांक 20 नवम्बर, 1970 जिसके द्वारा राजस्थान जिला परिषद् (सदस्यों को भत्ते का भुगतान) (संशोधन) नियम, 1970 जारी किए गए हैं।

(3) अधिसूचना संख्या एफ० 4।एल० जे०। 3 (5) (70) 4286, दिनांक 26 दिसम्बर, 1970 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत तथा न्याय पंचायत (सामान्य) (संशोधन) नियम, 1970 जारी किए गए हैं।

(4) अधिसूचना संख्या एफ० 4। एल। पी।एस। ए। आर 6 (66-67। 3422-29, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति (विकास अधिकारियों, विस्तार अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें) (संशोधन) नियम, 1970 जारी किए गए हैं।

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री।

श्री बी० एन० जोशी (राज्य मंत्री, वित्त) : मैं वित्त (वाणिज्यिक कर अनुभाग) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें पुनः सदन की मेज पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या एफ 5 (30) एफ०डी० सी० टी० 69 दिनांक 6 जून, 1970 (जी० एस० आर० 25)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह गत सेशन में क्यों नहीं रखी ?

श्री बी०एन०जोशी : यह बहुत पुरानी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्यों है ?

श्री बी० एन० जोशी : (2) अधिसूचना सं० एफ 5 (46) एफ० डी० ।(सी० टी०)। 70 दिनांक 1 जुलाई, 1970 (जी० एस० आर० 32)।

श्री अध्यक्ष : सहकारिता मंत्री।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं राजस्थान

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

राज्य भंडार व्यवस्था निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1968-69 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उद्योग मंत्री और सहकारिता मंत्री की हाजिरी की माफी आ गई है?

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि विधान सभा के सदस्य, श्री सुमेरसिंहजी की हत्या के संबंध में निम्नांकित माननीय सदस्यों से स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं:–

(1) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(2) श्री रामकिशन।

(3) श्री जयनारायण सालोदिया।

(4) श्री दुर्गालाल वाढ़दार।

(5) श्री विजयसिंह मकराना।

(6) श्री रूपसिंह।

(7) श्रीमती शिवकुमारी।

(8) श्री मनोहरसिंह मेहता।

(9) श्री केसरीसिंह हाडा।

(10) श्री देवीदत्त गाड़िया।

(11) श्री नंदलाल बैरवा।

(12) श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

(13) श्री बालसिंह सोढा।

(14) श्री जुझारसिंह।

(15) श्री हरिवल्लभ शर्मा।

(16) श्री दिग्विजयसिंह।

(17) श्री फतहसिंह।

(18) श्री नाथूलाल करोल।

(19) श्री कन्हैयालाल।

(20) श्री लादूराम सुलानियां।

(21) श्री डूंगाराम राजोरिया।

(22) श्री कृष्णकुमार गोयल।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस विषय में स्थिति को स्पष्ट करते हुए कल दिनांक 17 मार्च, 1971, को वक्तव्य देने की कृपा करें। मैं इसको सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इसके अतिरिक्त निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:–

(1) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री रामकिशन व श्री कृष्णकुमार गोयल, सदस्य, विधान सभा, ने कोटा की नाईलोन फैक्ट्री में हुए गोली कांड के संबंध में स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें दी हैं।

(2) श्री जयनारायण सालोदिया, सदस्य, विधान सभा, ने राज्य में लोक सभा के मध्यावधि चुनाव में मंत्रियों द्वारा

(श्री अध्यक्ष)

सरकारी साधनों के उपयोग के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(3) श्री जयनारायण सालोदिया, सदस्य, विधान सभा, ने निवाई क्षेत्र में हजारों मतदाताओं को मताधिकार से वंचित रखने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है तथा श्री दुर्गालाल बाढ़दार, सदस्य, विधान सभा, ने जयपुर के करीब 50 हजार मतदाताओं के नाम हटा देने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

उपरोक्त तीनों स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की गई है । ये स्थगन प्रस्ताव स्वीकृति योग्य नहीं हैं । इसके अतिरिक्त ये मामले इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के भी नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जाए, अतः मैं इन्हें सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

इसके अलावा राजाखेड़ा (भरतपुर) थाना के अंतर्गत गढ़ी करीलपुर के एक व्यक्ति की पुलिस द्वारा तथाकथित हत्या के संबंध में श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा, द्वारा एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है । यह मामला भी अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है तथा पुलिस की मांग पर विचार करते समय इसे उठाया जा सकता है । अतः मैं इसको प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

कुछ और भी स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:—

(1) श्री भगवानदास शास्त्री, श्री श्रवणलाल, श्री वृजवल्लभ बोहरा, श्री लाभचंद वैद्य, श्री रामप्रसाद बोहरा व श्री अंबालाल, सदस्य, विधान सभा, ने अजमेर के जानवरों के अस्पताल के डा० श्री सुरेश शंकर जानी द्वारा एक महिला को फुसला कर फरार कर दिए जाने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(2) श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य, विधान सभा, ने बारां तहसील क्षेत्र की कुछ सभा ग्राम पंचायतों के ग्राम भडसूड, नियाना, खेडली केशो, रारोती, तिसाया एवं मियाड़ा के किसानों की खड़ी फसल को पारवती नहर से पानी सिंचाई विभाग द्वारा न दिए जाने से फसल सूख जाने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(3) श्री हरजीराम बुरड़क व श्री राम चंद्र आर्य, सदस्य, विधान सभा, ने लोकसभा के मध्यावधि चुनाव के समय नागौर जिले में गुंडागर्दी चरम सीमा पर पहुंचने की इत्तला पुलिस को दिए जाने पर भी कोई कार्यवाही न किए जाने व गुंडागर्दी को प्रोत्साहन देने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(4) श्री रामचंद्र आर्य व श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा, ने एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें विधायक श्री शीशराम पूनिया की हत्या के मामले में निर्दोष व्यक्तियों को राजनैतिक द्वेषता के कारण फंसाए जाने का उल्लेख किया गया है ।

उपरोक्त सभी मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है । जानकारी मिलने पर इन पर शीघ्र निर्णय लिया जाकर

(श्री. अध्यक्ष)

मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

विधायी कार्य, राजस्व मंत्री।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान विधान सभा के सदस्य, किशनगढ के भूतपूर्व महाराजा श्री सुमेरसिंह की हत्या के संबंध में जो स्थगन प्रस्ताव की सूचना मैंने और मेरे अन्य साथियों ने काफी संख्या में जो प्रस्तुत की है उस संबंध में आपने व्यवस्था दी है कि गृह मंत्री महोदय इस संबंध में कल वक्तव्य इस सदन में देंगे। आपने जो व्यवस्था दी है वह तो ठीक है, मान्य होगी लेकिन मेरा नम् निवेदन है कि गत 16 फरवरी को हत्याकांड हुआ और आज 16 मार्च है, एक महीना हो गया। यह सामान्य मृत्यु नहीं है इस विधान सभा के वे सदस्य थे जिनकी रात्रि के 8 बजे नेशनल हाई वे पर गोली मारकर हत्या की गई। तो गृह मंत्री महोदय यह तो मानकर चलते होंगे कि यह सदन में मामला आएगा और मेरा स्थगन प्रस्ताव नहीं भी आए तो भी उनका फर्ज है कि जब सदन के एक माननीय सदस्य को गोली मारकर रात्रि को 8 बजे नेशनल हाइ वे पर हत्या कर दी जाए तो राज्य सरकार को स्वयं एक स्टेटमेंट इस सदन में देना चाहिए था और जब आज से 9 दिन पूर्व मैंने 8 तारीख को स्थगन प्रस्ताव यहां पर कार्यालय में दिया, उन बातों को आज 9 दिन हो गए. तो मैं नहीं समझता कि आज राज्य सरकार और गृह मंत्री महोदय इस संबंध में एक दिन का समय और चाहते हैं। आखिर ये नहीं समझते कि हम लोगों की व्यग्रता इस संबंध में कितनी है। हमने कल यह प्रश्न नहीं उठाया कन्डोलेन्स के समय हमने धीरज व संयम रखा, तो इसका यह अर्थ नहीं कि इस प्रकार राजस्थान में वातावरण बनता चला जाए और मध्यावधि चुनावों के दौरान जो इस प्रकार हिंसात्मक राजनैतिक घटनायें हुई हैं, वह अत्यन्त खेद का विषय है। उस सम्बन्ध में चर्चा अलग उठाऊंगा लेकिन सदन के माननीय सदस्य की हत्या की जाए और उस सम्बन्ध में गृह मंत्री महोदय वक्तव्य न दे और इसके लिए समय चाहें, सदन के कम से कम 2 दर्जन सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, सभी इस सम्बन्ध में चिंतित हैं और गृह मंत्री महोदय उस समय जब इस मामले को प्रधान मंत्री ने सी० बी० आई० को सौंप दिया और जब सी० बी० आई० टीम किशनगढ़ आकर नहीं पहुंची तो इन्वेस्टीगेशन करने के लिए उससे पहले ही गृह मंत्री महोदय ने समाचार अखबारों में छपवाए और मनगढ़त कहानियां पेश करवाई....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: Absolutely false, fabricated and concocted story. मुझे अफसोस इस बात का है कि सदन के एक माननीय सदस्य की जिस प्रकार से चरित्र हत्या करने की कोशिश गृहमंत्री ने की है, इस प्रकार का लांछन लगाकर सारी हत्या......

श्री अध्यक्ष: वह प्रश्न आ रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: पिछले दिनों जिस समय यह मामला सी० बी० आई० को सौंपने की बात आई, सी० बी० आई० टीम आई उससे पहले सारी स्टोरी किस प्रकार रिलीज की गई, क्यों प्रचारित की गई...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न आ रहा है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सचाई पर पर्दा डाला। आज सी० बी० आई० इस प्रकार का बयान देती है..

श्री अध्यक्ष : कल यह प्रश्न लिया जा रहा है..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 164 में अदालत में बयान हुआ, अखबारों में छपा है, राजस्थान की ढाई करोड़ जनता को भ्रम पैदा हुआ है......

श्री अध्यक्ष : कल सरकार द्वारा स्टेटमेंट दिया जा रहा है। आप चाहेंगे कि आज ही दिया जाए ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान की पुलिस सारे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है और इस सारे मामले पर लीपापोती करने की कोशिश कर रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : मैं आज ही स्टेटमेंट देने को तैयार हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बकरी दूध देती है मगर मिंगनी करके देती है।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 16-2-71 की शाम पुलिस थाना किशनगढ़ पर यह इत्तिला मिली कि किशनगढ़ से कुछ दूर पर सिया गांव के पास एक फिएट कार झाड़ियों में अटकी खड़ी है और उसकी रोशनी जली हुई है। उसमें एक व्यक्ति घायल दशा में पड़ा है। मौके पर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि कार में महाराजा श्री सुमेरसिंह का मृत शरीर है और उनकी कनपटी पर गोली का घाव है।

सूचना मिलते ही उसी रात राजस्थान पुलिस का विशेष दल अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक श्री गनेशसिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री काशीप्रसाद के नेतृत्व में तफतीश के लिये भेजा। इसी बीच मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री से अनुरोध किया कि मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सुपुर्द किया जाय। अतः विशेष पत्रवाहक के साथ केन्द्रीय सरकार को पत्र भेज कर केन्द्रीय जांच ब्यूरो को तफतीश सुपुर्द करने के लिये प्रार्थना की गयी। दिनांक 18-2-71 को केन्द्रीय सरकार ने तत्सम्बन्धी आदेश जारी किया व सी० बी०आई० के डाइरेक्टर को शीघ्र ही तफतीश का दल भेजने के लिये कहा गया। सी०बी० आई०का दल दिल्ली से तत्काल रवाना हुआ लेकिन सी०बी० आई०के डाइरेक्टर ने विशेष तौर पर कहा कि राजस्थान पुलिस द्वारा शुरू की गयी तफतीश चालू रखी जाय जब तक कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो तफतीश अपने हाथ में न ले ले।

स्वर्गीय महाराजा श्री सुमेरसिंह के बारे में पुलिस सूत्रों से कोई भी ऐसी सूचना नहीं दी गयी जिसमें स्व० महाराजा के चरित्र पर कोई लान्छन किया गया हो। दिनांक 19-2-71 को गृह आयुक्त ने रेडियो व प्रेस को जो खबर दी वह इस प्रकार है। "Case has been worked out by Rajasthan Police Party headed by Shri Genesh Singh, Addl, I. G. P. and Shri Kashi Prasad, Addl. S. P., Bhimaram accused has been arrested, Revolvers belonging to H. H. Kishangarh and country made pistol alleged to have been used in the commission of crime have been recovered at his instance.

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सी० बी० आई० ने जांच दिनांक 21-1-71 को अपने हाथ में ली जब कि भीमाराम को दिनांक 19-2-71 को ही गिरफ्तार किया जा चुका और उससे देशी पिस्तौल और रिवाल्वर बरामद किया जा जा चुका था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है इस सदन में, मुझे खेद इस बात का है कि सही तथ्यों को आज भी सदन से छुपाने की कोशिश की जा रही है। मुझे खेद इस बात का है कि एक तरफ सदन के माननीय सदस्यों की हत्या कर दी जाय और सारे सवालों को गम्भीरता से लेने के बजाय उस पर पर्दा डालने की कोशिश करें उससे ज्यादा और खेद का विषय क्या हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, आपने गृह मंत्री महोदय का वक्तव्य सुना। सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने इसको सुना। इस सम्बन्ध में और हत्या के सम्बन्ध में इस समय कोई ऐसी बात कहने की स्थिति में नहीं हूं किन्तु जो तथ्य सामने आये हैं, उनके सम्बन्ध में, आपके माध्यम से मैं गृह मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि 17 फरवरी को प्रधान मंत्री ने यह आदेश दिया था कि सी०बी० आई० के द्वारा इसकी जांच करायी जावेगी। गृह मंत्रीजी ने अपने बयान में यह बताया कि डाइरेक्टर सेन्ट्रल इन्टलीजेन्स ने राज्य सरकार को यह पत्र लिखा कि राज्य सरकार अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखे। मैं गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि सी० बी० आई० की टीम के किशनगढ़ पहुंचने के पूर्व राजस्थान पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और पिस्तौल की रिकवरी करके भीमा जाट को गिरफ्तार किया और महाराजा सुमेरसिंहजी के चरित्र पर लांछन लगाते हुए एक स्टोरी को प्रसारित करवाया गया। सी० बी० आई० आयी नहीं, राज्य सरकार को यह जानकारी मिल गयी कि सी०बी०आई० आ रही है। मुझे खेद इस बात का है कि 19 तारीख को यह स्टोरी सब ही समाचार पत्रों और रेडियो के माध्यम से प्रसारित करवायी गयी कि भीमा जाट नाम के एक नवयुवक 18 साल के को गिरफ्तार किया गया है और उसकी बहिन के साथ किशनगढ के महाराजा का इल्लीगल सम्बन्ध था। इस हत्या के पीछे कोई पोलिटिकल मर्डर नहीं। सी० बी० आई० ने इन्वेस्टिगेशन किया और भीमा जाट के, जिसको महाराजा का हत्यारा राजस्थान पुलिस ने बताया, 164 के तहत अदालत में एक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में बयान कराया, उसमें भीमा जाट ने इस बात से इनकार किया है कि उसने महाराजा सुमेरसिंह जी की कोई हत्या की है। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की पुलिस जिस भीमा जाट को कल्प्रिट मान कर चलती थी वही सी०बी०आई० की जांच से राजस्थान सरकार की थ्योरी फॉल्टी साबित हुई है। सी०बी०आई० की जांच से भीमा ने महाराजा का मर्डर नहीं किया। राजस्थान सरकार की पुलिस ने भीमा का 161 में बयान लिया। उसको डरा धमका कर बयान लिया गया। चुनाव का वातावरण बना हुआ था और उस समय उसका जो असर हो रहा था, वह अपने विरुद्ध जाता हुआ नजर आता देख कर इस प्रकार की हत्या करवा दी जाय, गृह मंत्रीजी स्वयम् किशनगढ़ गये, फिर इस प्रकार के समाचार पत्रों में प्रसारित करवाये जाय कि महाराजा सुमेरसिंह जी का हत्यारा भीमा जाट है।

मैं, गृह मंत्रीजी महोदय से पूछना चाहता हूं कि भीमा जाट के 164 के अन्तर्गत बयान दर्ज हुए और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सी० बी० आई० ने जांच की । कहते हैं कि भीमा ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया । वह ज्युडिशियल लोक-अप में है ।

श्री शंकरलाल : वकीलों से मिलना हो गया होगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभी समाचार पत्रों में ये सारी चीजें निकली हैं । 19 फरवरी को जब सी० बी० आई० जांच करने आने वाली थी उस दिन ही इस प्रकार के समाचार पुलिस ने छपवाये । मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान पुलिस ने इन्क्वायरी की और भीमा से पिस्तौल बरामदगी बतायी गयी और सी० बी० आई० आये उससे पहले ही सरकम्स्क्राइब करके, रेस्ट्रिक्ट करके और स्कोप ओफ इन्क्वायरी को एन्सरकल करके इस प्रकार रख दिया कि भीमा मर्डरर है और उसके यहां से पिस्तोल बरामद हुई है। सारे तथ्यों को छान कर 164 के बयान हुए उससे राजस्थान पुलिस की सारी स्टोरी कम्पलीट फॉल्स साबित हुई है । आपके हिसाब से भीमा मर्डरर हुआ और सी० बी० आई० की इन्क्वायरी से वह साफ है । लेकिन आपको इसकी इतनी जल्दी क्या थी ? सी० बी० आई० के आने से पहले ही यह स्टोरी क्यों फैलायी ?

राजस्थान में ही नहीं किन्तु हिन्दुस्तान भर में जो हवा है गृह मंत्रीजी ने एक प्रयत्न पूर्वक इस प्रकार की स्थिति क्यों पैदा की ? वह भी सदन के माननीय सदस्य के बारे में । पोलिटिकल मर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों, चाहे उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों, हत्या का मामला हत्या है । राजस्थान को बंगाल बना रहे हैं यहां वायोलेन्स की स्थिति पैदा कर रहे हैं । दिन दहाड़े मर्डर किया जाय । शीशरामजी की इस प्रकार हत्या हुई । 14 फरवरी को महाराजा सुमेरसिंहजी की हत्या करने की कोशिश की गयी । नसीराबाद के थाने पर रिपोर्ट दर्ज करायी । क्यों नहीं राजस्थान सरकार ने और उसकी पुलिस ने वह रिपोर्ट मांगी ? राजस्थान पुलिस को सुराख मिला था । न ट्रक वालों के बयान लिये जो ट्रक में थे, कुरेशी का बयान प्रसारित किया । अखबारों में छपा था कि पुलिस की वर्दी पहने हुआ था, आगे जीप थी । न तो वर्दी वाले को पकड़ा और न ही जीप वाले को और जीप को पकड़ा ।

पुलिस की वर्दी वालों को पकड़ा नहीं गया और केवल एक झूठी मनगढन्त कहानी भ्रम फैलाने के लिये बनाई है । इस तरह से एक अत्यन्त गर्हित और निन्दनीय अपराध गृह मन्त्रीजी, आपने किया है ।

आपने फोटो छपवाये हैं । इलस्ट्रेटेड वीकली में छपवाये हैं । भिन्न भिन्न पत्रों में छपवाये हैं । सारी स्टोरी इस प्रकार छपवाई है कि किशनगढ़ के मर्डर में वाकई उनकी चरित्रहीनता कारण हो । इस प्रकार के लोगों को एप्रोच कर शराब पिलावें, दस दस हजार की रकमें दें । आप लोकतन्त्र का गला घोंट रहे हैं । यह वाकया विरोधी पक्ष के साथ ही नहीं है, किसी के साथ भी घट सकता है । मैं कह सकता हूं कि यह सारा इनवेस्टिगेशन जो हो रहा है सी० बी० आई० द्वारा उस पर पानी फेरने की कोशिश की जा रही है ।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आज किसी भी माननीय सदस्य का जीवन सुरक्षित नहीं है राजस्थान में । न जाने किस दिन किस सदस्य के लिये कन्डोलेन्स पेश करना पड़े सदन में । आज

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है। एक बिलकुल झूठी और मनगढन्त कहानी प्रस्तुत की गई। इस सिलसिले में आपके सामने एक लेख स्वरूपचन्द कोठारी का निकला जिसमें कहा गया कि हत्या किसने की 28 फरवरी, 71 का यह लेख है। वह अस्पताल में मौजूद था। मैं उसे यहां नहीं रख रहा हूं। पर एक निवेदन करना चाहता हूं। उसमें से दो तीन लाइनें बोलना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं। यह एक व्यापक मसला है। इसका इनवेस्टीगेशन चल रहा है। तो इससे सम्बन्धित कोई ऐसी बात नहीं कही जाय जो इनवेस्टीगेशन पर असर डाले।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं। इनवेस्टीगेशन को खराब करने की मंशा मेरी नहीं है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा। मैं तो केवल उन तथ्यों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो इस सम्बन्ध में सरकार ने जनता के समक्ष रखे हैं। किस प्रकार राजस्थान की पुलिस ने इस बारे में कहानी गढ़ी और किस प्रकार मुख्य मंत्री ने तुरन्त प्रधान मंत्री को निवेदन कर दिया 17 को ही कर दिया कि इस मामले की जांच केन्द्रीय पुलिस से करवाई जावे और किस प्रकार प्रधानमंत्री ने इस मसले की महत्ता को समझ कर उसी दिन इसकी अनुमति दे दी। रेडियो पर शाम को समाचार आ गया। 17 की शाम को ही कि इसकी सी० बी० आई० जांच करेगी। इस अनाउन्समेन्ट के बाद मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि सी० बी० आई० की टीम किशनगढ़ में पहुंचे उससे पहले ही राजस्थान की सरकार ने एक मनगढन्त कहानी प्रसारित कर दी। राजस्थान सरकार को, राजस्थान सरकार के गृह मंत्री को क्या जल्दी थी ऐसी कि एक प्रीमेच्यर्ड स्टोरी गढ़कर रख दी सी० बी० आई० के सामने। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं उस दिन अखबारों में प्रचार प्रसार करके गृह मन्त्रीजी ने एक जघन्य अपराध किया। मुख्य मंत्रीजी ने, जरूर, अपनी जबान इस बारे में बन्द रखी। मैं उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता। जब भी उनसे पूछा गया यही कहा कि सी० बी० आई० इस बारे में जांच कर रही है। पर गृह मंत्री के बारे में ऐसा लगता है कि जैसे इस की सारी जिम्मेदारी उन्होंने ले ली हो कि कोई कुछ न बोले, मैं इस सारे मामले से निपट लूंगा और मैं राजस्थान की सारी जनता के दिमाग में यह बात बिठा दूंगा कि यह कोई पोलिटिकल मर्डर नहीं है। यह तो केवल एक महाराजा के करैक्टर का मामला है। उसके एक लड़की से इल्लीगल रिलेशन्स थे इसलिये मर्डर किया गया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं इस पोलिटिकल मर्डर को छिपाने के लिये उस आदमी का करैक्टर ही असाइन करना और वह भी हत्या के बाद इससे ज्यादा निन्दनीय कृत्य और क्या हो सकता है। मैं स्वरूपचन्द कोठारी की तीन लाइनें पढ़कर सुनाना चाहूंगा:

राजस्थान के गृहमंत्री 19 तारीख को क्यों दिन भर वहां रहे,

गृह मंत्री और मुख्य मंत्री के उस लड़की से मिलने में क्या रहस्य है?

तो वास्तव में हत्यारा कौन है?

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन मिला?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप मिले होंगे?

श्री दामोदरलाल व्यास : किससे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उस लड़की से । रूक्मिणी से ।

आप लड़की से मिले कि नहीं ? बता दें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (मु. मं.) इसमें तो यह भी लिखा है, मुख्य मंत्री भी मिले हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका तो हवाला दिया गया है इसमें । और कुछ नहीं कहा गया है । यह सारा पाप का बोझा तो गृह मंत्री पर है । इनका मिसचीव्स रोल रहा है । किस प्रकार से हॉस्पिटल में ये गये हैं । मुझे तो यह भी जानकारी मिली है कि रुक्मणी का मेडिकल एग्जामिनेशन भी हुआ है । कहिये, नहीं हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस तथ्य को क्यों छिपाया जा रहा है । उस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट हुई । हर हारमोन इज इनटेक्ट । यह सर्टीफिकेट डॉक्टरों ने दिया है । इसको क्यों छिपाया जा रहा है । अगर जांच हुई तो वह कहां है जांच में कहा गया है कि इसका कभी सैक्सुअल इन्टरकोर्स नहीं हुआ है । मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मौजूद है । उसको छिपाया जा रहा है । झूठी और मनगढ़त कहानी बनाकर सत्य पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है ।

आज सी० बी० आई० का इन्वेस्टीगेशन हो रहा है । राजस्थान की पुलिस के लिये और गृह मन्त्री के सामने एक संकट पैदा हो गया । आज सी० बी० आई० के लिये भी एक समस्या पैदा हो गई कि जो रिपोर्ट इस सरकार की पुलिस ने दी है उससे बाहर कैसे निकला जाय । राजस्थान की पुलिस ने पिस्तोल की रिकवरी दिखाई भीमा के घर जब कि बताया यह गया है जब कि रिकवरी नहीं हुई वहां से । यह सब बतावेंगे गृह मंत्री ? सारा हाउस सुनेगा एक दिन हम भी बैठे हैं यहां और पता लगेगा एक दिन कि वह जुडीशियल लॉक-अप से छूटेगा । वह मर्डरर नहीं है । पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि आप चाहें इसे पोलिटिकल मर्डर न मानें, पर एक विधायक का मर्डर है, सार्वजनि क्षेत्र के एक कार्यकर्ता का मर्डर है यह मानकर वे इसमें कुछ कार्यवाही करें । इसकी जांच में जिस प्रकार की मदद की जरूरत हो वह दी जाय । यह नहीं कि मनगढंत कहानियां गढ़कर उछाली जाय यह नितान्त निन्दनीय है । कोई इण्डिपेण्डेन्ट एजेन्सी ऐसी बनाई जावे जो सी० बी० आई० को तथ्यों के नजदीक पहुंचने में मदद कर सके । इस सम्बन्ध में मैं चाहूंगा कि सरकार गम्भीरता से विचार करे । मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि गृह मंत्री तथ्यों को छिपावें नहीं । उसने 164 में बयान दिये उसको छिपाया गया । मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ उसकी रिपोर्ट को छिपाया गया । उसका कभी सेक्सुअल इन्टरकोर्स नहीं हुआ । वह हस्बैण्ड के पास नहीं गई । उसके कोन्ट्रेक्ट में नहीं आई । उसका हारमोन इन्टेक्ट है । ऐसी लड़की के सम्बन्ध में नाजायज सम्बन्धों की बात बताकर एक राजनैतिक कार्य-कर्त्ता के कैरेक्टर के एसेसिनेशन करने की कोशिश गृह मंत्री महोदय ने जानबूझकर की है, यह अत्यन्त गृहित कृत्य है । अजमेर, नसीराबाद और किशनगढ़ में रहकर वे षड़यन्त्र करते रहे । पर उनकी शव यात्रा में जाने की फुरसत नहीं थी । 17 तारीख

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

को शव यात्रा में नहीं गये। अजमेर में तीन दिन रहे। जयपुर से पुलिस अधिकारियों को ले गये। अजमेर के अधिकारियों को साथ में नहीं लिया गया। पलानिया को नहीं लिया। उस पर इनका विश्वास नहीं था। काशीप्रसाद जी को एडीशनल एस० पी० को ले गये। उनसे सारी रिपोर्ट तैयार करवाई गई। सारा किस्सा मनगढन्त और झूठा तैयार करवाया। जिस पुलिस अधिकारी के बारे में बेरी कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस पुलिस अधिकारी ने झूठे रिकार्ड तैयार किये। सारे झूठे केस बनाये। रेकार्डों को टेम्पर विद किया, बदला, ऐसे बदनाम पुलिस अधिकारी को जयपुर से साथ ले गये। झूठे और जाली रिकार्ड तैयार करने में बदनाम अधिकारी से इन्वेस्टिगेशन कराई गई। मैं यह उन पर सीधा चार्ज लगाना चाहता हूं कि इस किशनगढ के मरडर पर पर्दा डालने की जिम्मेदारी इन पुलिस अधिकारियों पर उतनी नहीं है जितनी सीधे गृहमंत्री की है जितनी उनकी जिम्मेदारी है उससे कहीं ज्यादा इसका उत्तरदायित्व गृहमंत्री पर है। इस सम्बन्ध में मैं चाहता हूं सदन के कुछ सदस्यों की एक कमेटी बनाई जावे जो इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सके।

मैं चाहूंगा, आप भी अध्यक्ष महोदय, इसमें दिलचस्पी लेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि कि यदि इस पर माननीय सदस्य बोलना चाहें तो संक्षेप में बोलें।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कुछ स्पष्टीकरण करना चाहूंगा ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पहले क्यों नहीं बोले थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उन्होंने कुछ मुद्दे ऐसे उठाये हैं जिनसे मेरे बयान का कोई सम्बन्ध नहीं है। मैंने स्पष्ट कहा है कि राजस्थान सरकार की तरफ से किसी पेपर या रेडियो को कोई ब्रीफ इस तरह का नहीं दिया। जो दिया वह पढ़कर सुनाया है। इसमें कहीं कोई करेक्टर एसिनेशन का सवाल नहीं है। इस तरह का न हमने कोई ब्रीफ किया न किसी प्रेस अधिकारी द्वारा या किसी सरकारी अधिकारी द्वारा या किसी मिनिस्टर द्वारा स्टेटमेन्ट निकला।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप ब्रीफ नहीं करते, आप तो पाप करते हैं और झूठ बोलकर सदन को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। पाप आप करते हैं और फिर इतना झूठ बोलने की हिम्मत करते हैं। और कहते हैं कि हमने किसीको कोई इत्तला नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : उनको स्पष्टीकरण देने दीजिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जो मंत्री होकर सफेद झूठ बोलता है जो पाप करने का और झूठ बोलने का आदी है और सदन को गुमराह करता है, जो पुलिस के अधिकारियों को स्वयं ले जाकर उनसे काले कारनामे करवाता है और फिर कहें कि हमने कुछ नहीं किया, ऐसे झूठे गृहमंत्री को हम नहीं सुनना चाहते।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। वे अभी स्पष्टीकरण कर रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जब आपने ब्रीफ नहीं दिया और पेपर्स में यों ही छप गया तो आपने उसका खण्डन क्यों नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

आर्डर प्लीज ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुख्य मंत्रीजी, वक्तव्य दें । गृहमंत्री सरासर झूंठ बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ऐसे गृह मंत्री पर हमारा विश्वास नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ऐसे राजनैतिक हत्याकांड के गम्भीर मामले पर वे वक्तव्य दें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : हम गृह मंत्रीजी का वक्तव्य नहीं सुनना चाहते हैं। वह स्वयं झूंठ बोले हैं और हत्याकाण्ड में इन्वाल्वड हैं । हम नहीं सुनना चाहते हैं उनसे....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर सख्त एतराज करता हूं......

श्री देवीदत्त गाड़िया : जैसा कि पता है किशनगढ़ की आम जनता में, मैं स्वयं तो नहीं कहता, इस बात की चर्चा है ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य । माननीय सतीशचन्द्रजी ने जो कुछ भी कहा है उस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण गृह मंत्री महोदय कर रहे हैं। इस प्रश्न पर कि उनको सुनना चाहे या नहीं चाहें यह प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न पैदा नहीं होता है। कृपया जैसा प्रश्न है उस प्रश्न का स्पष्टीकरण इधर से या उधर से आने दीजिये और उसमें व्यवधान न डालें । किससे सुनना है और किससे नहीं सुनना है यह प्रश्न इस सदन का नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : आप चाहते क्या हैं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं व्यवधान तो नहीं डालना चाहता । जो गृह मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया उसमें माननीय गृह मंत्रीजी ने यह नहीं बताया कि इन अखबारों में यह आया है......

अध्यक्ष: आप कई प्रश्न उठा रहे हैं जो स[illegible]शचन्द्रजी यहां पर उठा चुके हैं । आप उनका स्पष्टीकरण नहीं होने दे रहे हैं और फिर वही प्रश्न उठा रहे हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से यह अर्ज करना चाहूंगा कि यह एक बहुत ही नाजुक मामला है और इसको राजनैतिक कलर नहीं दिया जाये और इस बात की कोशिश न की जाये..

श्री देवीदत्त गाड़िया: हत्या हो जाये और......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह अर्ज करूंगा कि उधर बैठने वाले माननीय सदस्य भी इसकी गम्भीरता को लें, समझें कि मामला कितना नाजुक है । सी० बी० आई० की इन्वेस्टीगेशन चल रही है । 164 में क्या बयान हुए और 161 में क्या बयान हुए यह मैं यहां पर पढ़कर नहीं सुना सकता हूं।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

164 में क्या बयान हुए हैं यह भी नहीं जानता हूं अखबारों में जो समाचार छपे हैं उसी के आधार पर यहां सदन में नहीं कहा कि लड़की का मेडिकल हुआ है या नहीं क्योंकि सी०बी० आई० की इन्वेस्टीगेशन शुरू हो जाने के बाद हमको कोई सूचना नहीं दी जाती है। यह साफ कहा है कि वे जो इन्वेस्टीगेशन करते हैं, उनके क्या नतीजे हैं, उसकी कोई जानकारी हमको नहीं है। सी०बी०आई० इस मामले में सीज्ड है। फिर भी यहां पर यह बार बार कहा जाता है कि चरित्र हनन के लिये यह स्टोरी मनगढन्त अखबारों में छपवा दी है। मैं सदन की जानकारी के लिये यह अर्ज कर दूं कि हमारी तरफ से इतनी सी सूचना अखबार वालों को दी गई थी कि मुलजिम मीमा गिरफ्तार हो गया। उसकी निशान्देही पिस्तोल और रिवाल्वर बरामद हो गये। इसके अलावा कोई सूचना अखबार और रेडियो को नहीं दी गई। आप रेडियो की प्रोसिडिंग्स उठा देख लें। उनको जो इन्फार्म किया गया है, प्रेस को जो ब्रीफ किया गया है उसको आप देख लें। उसके बाद भी अखबार ने किस जरिये से यह मालूमात की कि यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है। यह अखबार की जिम्मेदारी हो सकती है और सही है या गलत है उसके लिये भी नहीं कहा जा सकता। यह मेरे ख्याल से उचित होगा कि आप इस पर अधिक जोर न करें क्योंकि आप इसको राजनैतिक षड़यन्त्र, राजनैतिक भृत्यु कहना चाह रहे हैं इसलिये इसकी यह शुरूआत की गई। इसके लिये मुख्यमंत्रीजी ने प्रधान मंत्रीजी को दरख्वास्त की, अर्ज किया कि इसके लिये, जांच के लिये सी०बी० आई० को भेजने के लिये आदेश दे दें क्योंकि इस मौत को एक राजनैतिक षडयन्त्र देने की बात कही जा रही है। इसलिये यह बेहतर समझा गया कि एक इन्डीपेन्डेन्ट एजेन्सी इसकी जांच करें, इन्वेस्टीगेशन करे ताकि जो गलतफहमी फैलाई जा रही है वह दूर हो। सी०बी०आई० को इन्वेटीगेशन दिया जाता है तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि स्टेट पुलिस का ज्युरिस्डीक्शन खतम हो जाता है। जब तक सी०बी० आई० को कनवे न कर दें उस वक्त स्टेट पुलिस इन्वेस्टीगेशन करने का कानूनी अधिकार है। उस अधिकार के तहत इन्वेस्टीगेशन जारी रखे गये। लेकिन सवाल इस बात का है कि सी० बी० आई० को बाकायदा फार्मल आर्डर लेना पड़ता है। इसके लिये एक नोटिफिकेशन इशु होता है। केवल मुख्य मंत्री जी ने जबानी कह दिया और प्रधान मंत्री जी ने जबानी मन्जूरी दे दी वही काफी नहीं है। इसलिये यहां से स्पेशली एक डिप्टी सेक्रेटरी को दिल्ली भेजा गया। वहां जाकर के उसने राज्य सरकार को चिट्ठी दी और वहां से फारमल आर्डर निकला, नोटिफिकेशन हुआ, उसके बाद सी०बी०आई० किशनगढ़ पहुंची और इन्वेस्टीगेशन शुरू की। 19 तारीख को अगर कोई बरामदगी हुई, उसका जितना स्टेटमेन्ट हुआ वह बता दिया है। यह कहना कि तीन दिन में किशनगढ बैठा रहा और अजमेर बैठा रहा यह सरासर झूठ है और केवल मैं 19 तारीख को जरूर वहां आया और अजमेर 20 को और किशनगढ़ महाराजा के कन्डोलेन्स करने गया। उसके बाद चला गया और बरामदगी मेरे पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी और रहा सवाल इस बात का कि अजमेर केवल तीन दिन इस काम के लिये बैठा रहा यह बिल्कुल गलत है। मुझे पता नहीं कि माननीय सदस्य ने किस जानकारी से ऐसी बात यहां पर कही है। राज्य मंत्री किशनगढ, अजमेर

(श्री दामोदरलाल व्यास)

गये हैं और उनके लिये आपने यहां पर कहा कि भीमा के भाई से मिले, यह बात भी बिलकुल ही झूठ है। उनको जानना तो दरकिनार रहा मैं उनकी शकल भी नहीं जानता हूं। इसलिये मेरा माननीय सदस्यों से अर्ज करना यह है कि इस नाजुक मामले में इतना लाइटली इसको न लें। जो कोई भी अपराधी है वह सामने आयेगा। सी० बी० आई० इन्वेस्टीगेशन कर रही है। यहां यह अजीब बात सामने आई कि एक कमेटी इस सदन के सदस्यों की बना दी जाय। एक कमेटी क्रिमीनल इन्वेस्टीगेशन के लिये सदन के सदस्यों की बना दी जाये। वह इसमें क्या फाइन्डिग करेंगी और वह किस कानून में बैठेगी और क्या सजा देगी, यह मुझ को पता नहीं है। आप इस बात में मदद कीजिये सी०बी०आई० को मदद कीजिये ताकि उसे इस केस में सहूलियत निकले और भीमा यदि निरापराध है तो वह छूटना चाहिये। लेकिन जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर यह बात कही कि काशीप्रसादजी को वहां पर भेज दिया क्योंकि वे झूठे मुकद्दमें बना सकते हैं और पिलानिया को नहीं रखा। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि एडीशनल आई० जी० पी० भी काशीप्रसाद जी के साथ रहे हैं और बरामदगी के समय पिलानियां भी वहां पर मौजूद थे। सारी तफतीश में वे साथ रहे हैं और यह कहें कि काशीप्रसाद जी ने ही तफतीश की है, यह गलत है।

आपने समाचार पत्रों के बारे में कहा। राज्य सरकार ने उनको जो ब्रीफ किया वह मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। यह आप चाहें तो आल इंडिया रेडियों से मंगा सकते हैं। जिन अखबारों को ब्रीफ किया है उनसे भी आप पूछ सकते हैं। यह चार लाइन का स्टेटमेन्ट है।

"Case has been worked out by Rajasthan Police Party headed by Shri Ganesh Singh, Addl. I. G. P. and Shri Kashi Prasad, Addl. S. P., Bhima Ram accused has been arrested. Revolvers belonging to H. H. Kishangarh and country made pistol alleged to have been used in the commission of crime have been recovered at his instance."

Nothing more nothing less.

इससे ज्यादा कही किसी को नहीं दिया गया है। अब 164 के बयान के अन्दर मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो जयपुर से आये हैं बहुत ही काबिल वकील हैं और जो उन्होंने अखबारों में पढ़ा है, मैंने भी उसको पढ़ा है। मैं 164 के बयान पर अभी उसके क्या इन्टरप्रिटेशन है, उसकी क्या वेल्यु है, यह नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि यह एक नाजुक मामला है। परन्तु मैं माननीय सदस्य से यह अर्ज करूंगा कि वे 164 के बयान को बिलकुल शान्ति से ठंडे दिमाग से टेबुल कुर्सी पर बैठ कर सोचें और पढ़ें और उसके जो नतीजे निकलते हैं उसके बाद ही कुछ कहें और उसके बाद कुछ कहने की हिम्मत करें। बाकी रहा सवाल इस बात का कि लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन मैंने आपको जैसा कहा है आप इसको मान लीजिये कि जहां सी० बी० आई० चली जाती है, तो स्टेट पुलिस को 'स्टेट गवर्नमेन्ट को उसकी कोई इत्तला नहीं मिलती है...... Everything is secret and they don't disclose that.

(श्री दामोदरलाल व्यास)

न हमको मालूम है कि तफतीश क्या कर रहे हैं और क्या नतीजा रहेगा उसका? परन्तु मैं आपको बहुत नम्रतापूर्वक अर्ज करना चाहता हूं इतना गंभीर मसला है इसको इतना लाइटली न लें और उसको पोलीटिकली एक्सप्लाइट करने की कोशिश न करें। आपके कहने से इधर बैठने वाली सरकार जो है उस पर कलंक नहीं लगने वाला है। सही बात है वह सही बात ही रहेगी और जो असलियत है वह सामने आ जायगी। अगर कोई लांछन लगता है तो हम कोई कमीने नहीं हैं जो उस पर बुरा करें। हमें दुख है परन्तु आप उसको एक्सप्लाइट करने की कोशिश मत कीजिये। मैं समझता हूं इससे तो आप ज्यादा प्रचार करना चाहते हैं। हम तो बमुकम्मिल उसको सही मायने में रखने की कोशिश करते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से माननीय सदस्यों से यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस इन्वेस्टीगेशन का इन्तजार करें और जो नतीजा आयगा वह अदालत में जायगा और उससे सारी असलियत सामने आ जायगी। इसमें आपके कहने से और मेरे कहने से कोई नई बात पैदा होने वाली नहीं है।

श्री दुर्गालाल बादशाह (हवामहल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय एक मिनिट म लेना चाहता हूं। आप मुझे माफ करें

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात भूल गया, मुझे क्षमा करेंगे, मैं एक बात और अर्ज : ा च हूं। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा सारी बात को लाइटली लेना चाहते हैं और इन्होंने कहा है राजस्थान बंगाल होने जा रहा है। मैं आपको साफ कह देना चाहता हूं राजस्थान को जो बंगाल बनाने की कोशिश करेंगे तो वह मुंहकी खायेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह अखबारों में आया है इसलिय कुछ तो कह दें। मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं केवल एक बात कहना चाहता हूं बहुत केटेगरीकली गवर्नमेंट सोर्सेज और पुलिस सोर्सेज से केवल अखबारों में इतनी बात कही है मीमा जाट-महाराजा किशनगढ़ का हत्यारा है और उसकी बहिन के साथ महाराजा के इल्लीगल सम्बन्ध थे ऐसी चार छः लाइनें पढ़ी है और कहा है कि केवल इतना प्रेस को दिया गया है। अब मैं आपके सामने 19 फरवरी के समाचार है, 16 को डेथ हुई है, 17 को क्रिमनल केस बनाया गया है और 19 तारीख को जो केवल 6 लाइनें बताई है उस सम्बन्ध में बताता हूं—

किशनगढ़ महाराजा का कथित हत्यारा गिरफ्तार। दोनों रिवोल्वर बरामद। किशनगढ़ के स्व० महाराजा सुमेरसिंह की हत्या के आरोप में पुलिस ने एक विद्यार्थी मीमा जाट को आज वहां पर गिरफ्तार किया है तथा उसके कब्जे से दोनों रिवोल्वर भी बरामद कर लिये हैं, जिनमें से एक महाराजा का बताया जाता है। महाराजा की गत 16 फरवरी की रात को किशनगढ़ से चार मील दूर फरासिया गांव के पास उनकी ही कार में गोली मारके हत्या की गई थी।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मीमा जाट अपने परिवार सहित फरासिया गांव के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

निकट महाराजा के फार्म के पास ही रहता था। उसकी छोटी बहिन से महाराजा के पिछले दो ढाई साल से ताल्लुक बताया जाता है। महाराजा वहां पर आते जाते थे। उन्होंने भीमा के परिवार के लोगों को नौकरी में रख लिया था यहां तक कि भीमा की पढ़ाई का खर्चा महाराजा ही देते थे। कहा जाता है कि महाराजा ने उसे फार्म का इन्चार्ज बना रखा था।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पुलिस के अनुसार हत्या का यह प्रयोजन बताया जाता है कि महाराजा ने अपना फार्म उसके नाम पर कर देने का पहले कहा था, लेकिन बाद में उनका इरादा बदल गया बताते हैं। इससे उसके मन में भारी रोष था। पुलिस का यह भी कहना है कि इस ताल्लुकात के कारण भीमा जाट को जाति से अलग कर दिया गया था और उसकी बहिन को उसके पति ने छोड़ रखा था। भीमा इस बदनामी से पीड़ित था। वह प्रथम वर्ष टी० डी० सी० उत्तीर्ण था और द्वितीय वर्ष की प्राइवेट परीक्षा दे रहा था। भीमा ने इसका बदला लेने के लिये महाराजा को फोन किया बताते हैं कि एक लड़की है। आप अकेले आना। पुलिस सूत्रों ने बताया कि महाराजा ने कहा कि वह दस मिनट में पहुंच रहे हैं। भीमा ने कहा कि वह उन्हें फाटक पर मिलेगा। उसने पुलिस के अनुसार महाराजा फाटक पर पहुंचे और भीमा को गाड़ी में बैठाया। उसने महाराजा से कहा कि लड़की आगे है। थोड़ी दूर जाने पर महाराजा ने मुड़कर पूछा कहां है? इसी बीच भीमा ने अपने देशी रिवोल्वर से उनकी दाहिनी कनपटी पर गोली मार दी।

भीमा के बयान के आधार पर पुलिस ने बताया कि महाराजा अपना रिवोल्वर उठाने लगे कि उसने उनके हाथ से वह रिवोल्वर छीन लिया इस छीनाझपटी में गाड़ी लहराती हुई धीमी चल रही थी। वह झाड़ी में जाकर रुक गई और भीमा दोनों रिवोल्वर लेकर बाहर आ गया और भाग गया। पुलिस ने बताया कि उसी समय अजमेर की ओर से आने वाली बस के चालक ने भीमा को भागते हुये देख लिया था और उसने जो पुलिस को हुलिया बताया वह उसी रंग का स्वेटर तथा कपड़े पहने हुये था। उसे उसी वेशभूषा में महाराजा का शव अस्पताल में पहुंचने के बाद देखा गया। पुलिस ने कहा कि उसके कपड़ों पर खास खून नहीं लगा था।

पुलिस ने बताया कि अतिरिक्त आइ० जी० पी० गणेशसिंह, जयपुर के अतिरिक्त एस० पी० श्री काशीप्रसाद श्रीवास्तव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उस हुलिये के आधार पर उसे पूछताछ के लिये बुलाया और उसने सारा अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसे आज गिरफ्तार कर लिया तथा उसके घर से दोनों रिवोल्वर बरामद कर लिये। उक्त सूत्रों ने बताया कि 18 वर्षीय भीमा के अभी तक अदालत में बयान नहीं कराये हैं। उक्त सूत्रों का कहना है कि महाराजा के चरित्र के बारे में कई लोगों को पता था। भीमा के परिवार ने वहां पर अपना मकान बना लिया था। उसका यह भी ख्याल है कि भीमा उनके लिये और भी लड़कियों का प्रबन्ध करता था। पुलिस ने बताया कि गाड़ी में जो फूलमाला थी वही महाराजा के महल से रवाना होते समय किसी ने दी थी।

यह सब क्या है– पुलिस ने बताया, पुलिस ने कहा, पुलिस का यह बयान है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

भीमा उनके लिये और भी लड़कियों का प्रबन्ध करता था पुलिस सूत्रों से ऐसा प्रचार करना और हाउस में खड़े होकर यह कहना सरासर झूठ बोलना नहीं है तो क्या है ? इस हाउस में सारे मसले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, 16 तारीख को महाराजा किशनगढ़ को सुबह एक फोन भीमा का आता है और उसमें यह कहा गया आपको दो राजनैतिक नेताओं से मिलाना है, वे आपको इस इलेक्शन में मदद देंगे–इस प्रकार की बात कही और शाम को टाइम रखा गया और आप अकेले आयेंगे और मैं आपको जो किशनगढ़ की चुंगी चौकी है, उसके पहले मिलूंगा । आपके अलावा और मेरे अलावा कोई नहीं होना चाहिए क्योंकि राजनैतिक नेता यह नहीं चाहते कि कोई अन्य व्यक्ति उसमें आये, यह बात केवल आपके और मेरे बीच ही रहेगी । इस तरह की बात उनके परिवार वालों ने मुझे कही है । हिज-हाइनेस वहां से रवाना हुए और उन्होंने कहा मैं आज बहुत जोरदार काम करने जा रहा हूं और मैं यह बात वापिस आकर ही बताऊंगा । एक बात मैं आपको और निवेदन करना चाहता हूं 14 तारीख को जो उन्होंने पुलिस में नसीराबाद थाने में केस रजिस्टर कराया है, वे जल्द बाजी में वहां पर गये थे क्योंकि चुनाव में लगे हुए थे और केस में यह बताया गया था कि मेरी हत्या का षडयन्त्र रचा जा रहा है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं वह एप्लीकेशन आज नसीराबाद थाने से गायब हो चुकी है और कहा जा रहा है कि इस प्रकार की कोई एफ०आई०आर० दर्ज नहीं हुई है । आप पता लगा सकते हैं, पुलिस क्यों इतनी दिलचस्पी ले रही है, नहीं तो एफ० आई० आर० में क्या बात थी, उसको क्यों छिपाया जा रहा है । महाराजा के काके के लड़के भाई उनके साथ थे । वे खुद कहते हैं मैं हिजहाइनेस के साथ था और मैंने खुद ने एप्लीकेशन लिखी है वह एप्लीकेशन गायब क्यों हुई ? और आज रतनलाल मदनगंज के थानेदार, इन्स्पेक्टर प्रभुलाल बोहारू का सरपंच, बद्री मीणा जो कांग्रेस का कार्यकर्त्ता है और हिस्ट्री शीटर भी है ये सब इस बात को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह रहस्य न खुले । पुलिस वाले सिविल ड्रेस में लोगों के घरों में घुमते है और बरगलाते फिरते हैं । कहते हैं सी० बी० आई० को बताया जायगा । मदनगंज, किशनगढ़ का थानेदार सिविल ड्रेस में जाता है और जब उनसे पूछा जाता है कि आप सिविल ड्रेस में क्यों हैं तो बताया जाता है कि मैं तो इसलिए आया हूं कि किसी अच्छे आदमी की इज्जत खराब न हो जाय । कहने का तात्पर्य यह है कि पुलिस को क्यों दिलचस्पी है जो लोगों के बयान लेने में लगे हुए हैं, लोगों को झूठे बयान दिलाने में लगे हुए हैं । वहां के जो डीवाई० एस० पी० हैं शिवराज वह गृह मंत्री जी के आदमी हैं हालांकि पुलिस में किसी का कोई आदमी नहीं होना चाहिए....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

आज यह बात स्पष्ट है कि फलां मंत्री का फलां डी वाई० एस० पी० है और फलां मंत्री का फलां डी वाई० एस० पी० है । जैसे ये उनको नौकरी देते हैं और एक घर की दुकान है उस पर बिठाते हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं। 19 तारीख को एक कन्डोलेन्स मीटिंग हुई उसमें जयपुर के महाराजा भवानी सिंह जी थे उनसे पूछताछ कर रहे हैं और कह रहे हैं आप भी किसी प्रकार की बात न करें, हम भी नहीं कहेंगे जब पेपर में इस प्रकार की बात आती है तो मैं पूछता हूं क्या पेपर वालों को सपना आता है। इसके बाद एक के बाद एक पेपर में निकलता है कि महाराजा किशनगढ का चरित्र इस प्रकार का रहा है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं राजनैतिक हत्या नहीं होती तो क्या इतना इन्ट्रेस्ट लेते और इस प्रकार से यह कहते। मैं एक खास बात यह बताना चाहता हूं–कि भीमा जाट और उसके परिवार वालों को महाराजा साहब ने किसी प्रकार की जमीन नहीं बताई थी और न फार्म पर कोई व्यक्ति काम करता था। भीमा जाट का बड़ा भाई अध्यापक है और उसके माता पिता साथ घर पर रहते हैं। तो पुलिस द्वारा यह कहा गया कि जो जमीन है वह महाराजा द्वारा बताई गई और जिसमें उसका मकान बना हुआ है–तो मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जो मकान बनाया गया है वह भीमा के पिता ने अपने रिश्तेदार से मोल लेकर बनाया है न कि महाराजा साहब ने बनवाया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार का किशनगढ़ में वातावरण है और जिस प्रकार से पुलिस लोगों को धमका रही है उससे साफ जाहिर होता है कि यह राजनैतिक हत्या है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, मैं भी दो शब्द इसके बारे में कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं केवल दो मिनट के लिए कहना चाहूंगा

श्री अध्यक्ष : इनके बाद मैं आपको अवसर दे दूंगा।

श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (वैर): अध्यक्ष महोदय, माननीय गृहमंत्री जी ने जो कुछ कहा है मैं समझता हूं कि उसे भी हम गंभीरता से लेते हैं लेकिन साथ ही साथ जो समाचार पत्रों में प्रकाशन किया गया और पुलिस सूत्रों का उसमें हवाला दिया गया तो क्या गृह मंत्री जी ने इसको उचित नहीं समझा कि इस बात का खण्डन किया जाता? एक बात साफ है कि इस हत्या के साथ ही साथ जो वातावरण बना था इस कहानी के आने के बाद यह तो गृह मंत्री जी भी समझेंगे कि उसका असर जनता पर क्या होना था और आप यह कहते हैं कि हमारा जो कम्युनिक निकला जो आपने पढ़ा है उसमें इसका हवाला नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं कि सारे राजस्थान के समाचारपत्रों में और देश के समाचार पत्रों में जब प्रकाशन हुआ पुलिस सूत्रों के अनुसार तो आपने जांच की या नहीं कि यह समाचार किसने दिये। एक तो मैं यह जानना चाहूंगा।

दूसरे मैं यह जानाना चाहूंगा कि आपने हर जिले में वायरलेस के द्वारा यह समाचार क्यों भेजा कि महाराजा साहब के भीमा जाट की बहिन से इल्लीगल कनेक्शन्स थे जिसकी वजह से मर्डर हुआ है? इसकी सूचना आपको मिल जायेगी कि इस प्रकार का प्रकाशन समाचार पत्रों में पुलिस सूत्रों ने कराया है।

Page No.56

(श्री राम किशन)

तीसरी बात कहना चाहता हूं कि 19 तारीख को समाचारपत्रों में निकला कि भीमा जाट की बहिन से महाराजा साहब के संबंध थे और इसलिए हत्या की गयी। लेकिन 18 तारीख को कोटा क्षेत्र के रायपुर स्थान पर नाथूलाल जैन द्वारा आमसभा आयोजित की गयी थी और उसमें उन्होंने कहा है कि महाराजा साहब का मर्डर इसलिये हुआ कि उनका भीमा जाट की बहिन से अनुचित संबंध था।

यह जो तीन-चार घटनायें हुई हैं उससे मुझे शंका होती है कि राजस्थान पुलिस ने चाहे राजनैतिक इरादे से या क्राईम को छुपाने के इरादे से या अपनी असफलता छुपाने के इरादे से तथ्यों को तोड़ा है और झूंठी कहानी प्रकाशित की है। मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस का इस प्रकार का रुख है तो वह सारे देश के लिए और लोकतन्त्र के लिए बड़ी लज्जा की बात है। मैं जानना चाहूंगा इन सब बातों के बारे में लेकिन अभी इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनवेस्टीगेशन हो रहे हैं और उसके परिणाम आयेंगे उसे हम स्वीकार करेंगे लेकिन यह कुछ बातें हैं जिससे साबित होता है कि अगर राजनैतिक कारण नहीं है तो किसी न किसी कारण से आपने इस राजस्थान में झूंठ को फैलाया है। अगर दूसरे इस प्रकार की कहानी फैला देते हैं तो आपको उसकी जांच करनी चाहिए थी। आपने जांच क्यों नहीं की ? यह तीन सवाल हैं जिनका आप जवाब दें। वायरलैस से सूचना गयी है और रायपुर की मीटिंग में 18 तारीख को एलान किया गया है और इसके साथ ही साथ समाचार पत्रों में प्रकाशन हुआ है 'पुलिस सूत्रों का हवाला देते हुए यह सारी घटनायें हैं' जिससे साबित होता है कि जानबूझकर झूंठी कहानी बनाई गयी है।

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रश्न ही पूछें भाषण नहीं हो।

श्री दुर्गालाल बाददार

श्री दुर्गालाल बाददार (हवामहल, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में जिस प्रकार का स्पष्टीकरण करते हुए यह बताने की चेष्टा की कि यह गम्भीर प्रश्न है और इस प्रश्न की गम्भीरता को विरोधी पक्ष को अच्छी तरह से समझना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष क्या इस बात को नहीं जानता है कि यह विषय इतना गम्भीर है ? यह समझाने की बात नहीं है लेकिन इस प्रकार के गम्भीर विषय पर गृह मंत्रीजी केवल यह चाहें कि इसकी गम्भीरता को बताकर मौन कर दिया जाये तो किसी की वाणी पर पाबन्दी नहीं लगाई जा सकती। मैं इस मामले की वस्तुस्थिति पर प्रकाश अभी कोई नहीं डालना चाहता। साथ ही मैं यह भी अच्छी तरह से जानता हूं कि मामला सबजुडिस है, जो भी इनवेस्टीगेशन हो रहा है सी० बी० आई० के द्वारा मामला कोर्ट में भी जायेगा इन सारी बातों को हम अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन गृह मंत्रीजी को यह अवश्य बाताना होगा कि क्या 15 तारीख को सी० बी० आई० की पार्टी किशनगढ़ पहुंच गयी थी ? क्या 19 तारीख से पहले जो आप कहते हैं कि कानकरेन्ट ज्युरिडिक्शन्स है, सी० बी० आई० और पुलिस दोनों का जुरिस्डिक्शन है और चाहे केन्द्रीय सरकार ने यह आदेश प्रदान कर दिये हैं कि सी०बी० आई० की पार्टी इनवेस्टीगेशन के लिए जा

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

रही है तो भी राजस्थान की पुलिस को अधिकार था कि वह इनवेस्टीगेशन करती। यदि उसने इन्वेस्टीगेशन किया तो क्या 19 तारीख से पहले कुछ इस प्रकार के राज राजस्थान पुलिस को मिल गए थे कि जो कहानी राजस्थान के सारे अखबारों और भारत के अखबारों नें पुलिस सूत्रों से बताया गया, यह दसियों बार दोहराया गया है। अगर इस इन्वेस्टीगेशन से यह राज मालूम हो गया था और जैसा गृह मंत्रीजी कहते हैं कि इस कहानी के बारे में किसी भी पत्र को समाचार पुलिस द्वारा रिलीज नहीं किया गया तो मैं केवल अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा गृह मंत्रीजी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान की पुलिस के महकमे में गृह मंत्रीजी के प्रति इस प्रकार के राजस्थान और हिन्दुस्तान के अखबार लांछन लगायें और गृह-मंत्रीजी मौन बैठे रह तो इनसे क्या यह आशा की जा सकती है कि साधारण व्यक्ति के प्रति लांछन लगाया जाये और यह प्रतिकार करने की चेष्टा करेंगे ? यह राजस्थान की पुलिस का सवाल है, यह राजस्थान के गृह मंत्री का सवाल है कि पुलिस के बारे में आक्षेप लगायें और उसके बारे में कोई कान्ट्रेडिक्शन नहीं निकाला जाये और उसके लिए गृह मंत्रीजी जांच करने की कोशिश नहीं करें, इसलिए यह प्रश्न गम्भीर हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : ... मैं यही पूछना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्रीजी ने अखबारों में स्पष्ट रूप से एक बार नहीं दसियों बार पुलिस सूत्रों से ऐसा हुआ कि कोई जांच करने की चेष्टा की ? अगर नहीं की तो यह मौन स्वीकृत लांछन है यह माना जायेगा कि इसमें आपका डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली हाथ है। इसका स्पष्टीकरण करना होगा।

श्री अध्यक्ष: श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, भीमा जाट के दो स्टेटमेन्ट्स अखबारों में छपे हैं। एक तो 19 तारीख का और दूसरी दफा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने। दोनों स्टेटमेन्ट्स कान्ट्रेडिक्ट्री हैं। इनमें कौनसा सही है और कौनसा गलत है यह तो इन्वेस्टीगेशन जो भी मजिस्ट्रेट ट्रायल कर रहा है वह किस नतीजे पर पहुंचेगा उससे मालूम होगा लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पहला स्टेटमेन्ट है उसके संबंध में भी गृह मंत्रीजी ने कुछ ऐसा बयान दिया है कि जिससे वह मान रहे हैं कि वह इस बात पर पहुंच गये हैं कि वह गलत है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह पहला स्टेटमेन्ट उस बयान पर आधारित नहीं है जो भीमा जाट ने पुलिस के सामने गिरफ्तार होते वक्त दिया है ? गिरफ्तार होते वक्त कोई न कोई स्टेटमेन्ट पुलिस ने लिये होंगे और इसी बिना पर उसको मुलजिम ठहराया है इसलिए मैं चाहूंगा कि आप उसके बयान को पढ़कर सुना दें जो भीमा जाट ने पुलिस के सामने दिये हैं। अगर उस बयान में यह करेक्टर की बात कोई नहीं और फिर इस तरह अखबारों में कहानी प्रकाशित की गयी तो पुलिस की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से खण्डन नहीं करना घोर अपराध है क्योंकि हम जहां तक इसको समझे हैं यही समझे हैं कि पुलिस के सामने ऐसा बयान दिया है। पुलिस दबाव देकर कहलवा सकती है। यह सभी हो सकता है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि भीमा जाट ने जो पहले स्टेट में

Page No.58

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पुलिस के सामने दिया है जिसकी बुनियाद पर उसको गिरफ्तार किया गया उस स्टेटमेन्ट को पढ़कर इस सदन के समने सुनाया जाये।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी पुलिस की तरफ से काम्युनिक बताया गया है गृहमंत्रीजी की तरफ से और अखबारों में जो बातें आई हैं, और मीमा के बयान जो पुलिस में और जो अदालत के अन्दर दिये गये हैं उनमें जो कन्ट्राडिक्शन है, तो इन सारी बातों में से कौनसी बात सही है वह तो इस वक्त नहीं कही जा सकती है, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सतीशचन्द्रजी ने और महारानी गायत्री देवी ने इसके बारे में जहां तक मुझे स्मरण है उसी दिन या दूसरे रोज जो बयान दिये उनको रेडियो पर सुना और उसमें यह बताया गया था सतीशचन्द्रजी का बयान तो यह था कि कांग्रेस की तरफ से महाराजाओं के बारे में जिस प्रकार का वातावरण फैलाया गया है उसी का परिणाम यह राजनैतिक हत्या है, और गायत्री देवी की तरफ से यह था कि यह राजनैतिक हत्या है । इस तरह का वातावरण फैलाना कि राजनैतिक हत्या है यह कहां तक उचित है । इस प्रकार के बयान उन्होंने दिये या नहीं या अखबारों में या रेडियो पर जो बयान आये हैं वे गलत हैं, और अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो, मैं समझता हूं कि इस सदन के एक माननीय सदस्य होने के नाते यह बात उन्होंने किस आधार पर कही ? उनका यह कहना उचित नहीं था जबकि एक मामला सबजुडिस है। एडजोर्नमेंट मोशन के अन्दर भी जो मामला सबजुडिस है उस पर विचार नहीं किया जा सकता है ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सबजुडिस नहीं है ।

श्री शंकरलाल : अदालत में बयान हो गये हैं । एफ० आई० आर० दर्ज हो गई है । अदालत में बयान हो जायं और इन्वेस्टीगेशन भी चल रहा है तो सारी बातें जो है वह इस तरह की है । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले को राजनैतिक कलर देने का प्रयास उनकी तरफ से किया गया है, और मैं समझता हूं कि यह अच्छी बात नहीं थी। इसको राजनैतिक कलर नहीं दिया जाय । कौन सही है और कौन नहीं है यह सामने आ जायेगा ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय......

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : सारे प्रश्न आ जाने दें । श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, रेडियो में जब यह खबर सुनी कि एक मर्डर राजस्थान विधान सभा के सदस्य का हुआ और उसके दूसरे दिन ही बाड़मेर, जोधपुर शहर में और जयपुर में हड़तालें की गईं और दुकानें बन्द की गईं, और वह पोलिटिकल पार्टीज ने करवाई और खासकर जनसंघ ने, और जनसंघ ने यह प्रचार किया कि यह कांग्रेस की तरफ से हत्या की गई है। तो इस प्रकार का प्रचार जबकि चुनाव चले रहे हों तो वह कहां तक उचित है। इस प्रकार

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

का प्रचार करना और गलत प्रचार करना जैसा कि अपने स्टटेमेंट में शंकरलालजी ने बयान किया है और रेडियो पर भी हमने सुना है सतीशचन्द्रजी अग्रवाल को और गायत्री देवी का भी अंश सुना है और यह इस तरह का जितना भी प्रचार किया जा रहा है वह खास तौर से जनसंघ की तरफ से किया जा रहा है, और जो अभी जनसंघ की तरफ से एडजोर्नमेंट मोशन रखा है यह भी पोलिटिकल, राजनैतिक दृष्टिकोण से ही प्रचार के लिए रखा जा रहा है। इस मामले को और सी० बी० आई० जांच कर रही है और वह इन्वेस्टीगेशन के लिए एक इम्पार्शियल बोडी है फिर चिन्ता क्या है। आप थोड़ा तो सब्र कीजिये और पहले भी सब्र करते और पोलिटिकल प्रेशर्स नहीं डालते तो इस प्रकार का हो हल्ला नहीं होता। आप शांति से सोचते। यह सी० बी० आई० जिसको कि आप इन्डिपेडेन्ट बोडी मानते हैं तो आप उसके इन्वेस्टीशन के रिजल्ट्स को तो आने दें।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कह दूं कि मेटर तब तक सबजुडिस नहीं होता है जब तक कि उसका चालान नहीं होता है। आप भी वकील हैं और वृद्धिचन्द्रजी भी वकील हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि मेटर सबजुडिस तब होता है जबकि उसका कोर्ट में चालान हो जाय। अभी उसका चालान नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। श्री बद्रीप्रसाद।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दूसरी बात यह है कि श्री वृद्धिचन्द्रजी ने यह बात कही है जनसंघ के बारे में तो इसलिय कही है क्योंकि जनसंघ उनके घर में घुस गया है और इनको डर दिखा रहा है....

श्री वृद्धिचन्द जैन : हमने तो जनसंघ को हरा दिया है। जनसंघ हमारे घर में नहीं घुसा है। हमने तो जनसंघ को बिल्कुल खत्म कर दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसीलिए तो मुद्दे की बात न कहकर यह बात कह रहे हैं। 19 और 20 तारीख को कांग्रेस कमेटी ने किशनगढ़ महाराजा का इस लड़की के साथ अनुचित संबन्ध के पेम्फलेट राजस्थान भर में बांटें हैं।

माननीय सदस्य (कांग्रेस पक्ष): नहीं बांटे। बिल्कुल गलत है।

माननीय सदस्य (जनसंघ): नहीं, बांटे हैं।

(व्यवधान)

श्री देवीदत्त गाड़िया : हमारे क्षेत्र के अन्दर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने......

(व्यवधान के कारण अश्रव्य)

इस बात को कहा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत है, बिल्कुल गलत है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस पेम्फ्लेट को हाउस में रखना चाहता हूं। कांग्रेस कमेटी ने यह पेम्फ्लेट बांटा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत है बिल्कुल।

श्री देवीदत्त गाड़िया: नहीं, बिल्कुल सही है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, देखिये माननीय सदस्य ।

श्री विजयसिंह : इन्होंने पेम्पलेट बांटा है ।

श्री रोशनलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री देवीदत्त गाड़िया : इन्होंने कहा है । हमारे गृह-मंत्रीजी ने केकड़ी में डाक बंगले के अन्दर कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं से कहा है । उन्होंने भीलवाड़ा में कहा है......

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ×××

श्री गिरधारीलाल व्यास : ×××

श्री देवीदत्त गाड़िया: ×××

श्री गिरधारीलाल व्यास :×××

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, बारबार भीमा जाट, भीमा जाट कहा जा रहा है तो यह कौनसी बीमारी है ?

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री रोशनलाल शर्मा:(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

××× अध्यक्षीयपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : गृह मंत्री के इशारे पर कांग्रेस के लोगों ने प्रचार किया है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने चुनावों में राजनैतिक फायदा उठाने के लिए इस प्रकार से किया है ।

श्री अध्यक्ष: जितनी गम्भीरता से यह प्रश्न लिया जा रहा है अब आप ही स्वयं सोच लें ।

श्री रोशनलाल शर्मा: इनको प्रचार करना है......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रश्न पर चर्चा हो रही है वह प्रश्न काफी गम्भीर है। उसकी असिलयत सामने आये इसमें दो राय किसी की नहीं हो सकती है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 16 तारीख की रात को जब यह समाचार मिला तो उसके आघात से मैं स्तब्ध रह गया । प्रधान मंत्रीजी भी काफी दुखी थीं। उनको भी आघात लगा था । 17 तारीख को सुबह जब हम पहुंचे तो वहां पर हमें समाचार मिला कि इस घटना का रात को जीप से चारों तरफ यह प्रचार किया गया है कि कांग्रेस वालों ने हत्या करवा दी तो उसके पहले वहां पर कोई अवसर नहीं था हैलिकोप्टर में बात करने का तो झुन्झुनू से ज्योंही हम रवाना हुए तो उसके पहले मैंनें प्राइम मिनिस्टर से यह निवेदन किया कि चूंकि एक राजनैतिक रूप देने की बात चल रही है तो इस मामले को सी०बी०आई० के तुरन्त हवाले कर दिया जाय ताकि किसी प्रकार का भ्रम किसी के दिमाग में न रहे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि न कभी हमारी यह मन्शा रही कि किसी प्रकार का

Page No.61

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

किसी पर लांछन डालने का प्रयत्न किया जाय और जो कुछ असलियत है वह सामने आनी चाहिए। लेकिन मैं इतना निवेदन कर दूं कि अभी यहां पर यह बात कही गई कि कांग्रेस कमेटी की तरफ से इस घटना पर लांछन लगाते हुए परचे बांटे गये तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की बात कांग्रेस की मीटिंग में तो हमने कभी नहीं कही है.........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने नहीं कही है ?

श्री रोशनलाल शर्मा : किसी ने भी नहीं कहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे कह लेने दें। तो इस सम्बन्ध में बहुत से पेम्फलेट और अखबार वगैरह आप अपने साथ लाये थे तो कांग्रेस कमेटी ने कोई पर्चा इस सम्बन्ध में निकाला हो तो कांग्रेस कमेटी के उस पर्चे को लाते और दिखलाते..

श्री देवीदत्त गाड़िया : सैंकड़ों बांटे गये और इस सदन में सोमवार को लायेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जब इस बात का प्रचार किया गया तो कि कांग्रेस कमेटी ने पर्चे बांटे हैं तो सामने लाने चाहिए थे।

श्री देवीदत्त गाड़िया: हमारे क्षेत्र में सैंकड़ों बांटे गये हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं। यह बात सही है। गृह मन्त्रीजी में हिम्मत नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सोमवार को आप लायेंगे क्या ? (व्यवधान)

श्री देवीदत्त गाड़िया : (अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल व्यास : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ×××

श्री गिरधारीलाल व्यास : शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, एक गम्भीर प्रश्न है। सार्वजनिक कोष से इसीलिए चीफ व्हिप् के लिए पैसा निकाला गया है कि वह सदन की कार्यवाही में मदद दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप गलत बात पेश करें उसका विरोध नहीं किया जाये ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री दौलतराम सारण: माननीय सचेतक की तरफ से अव्यवस्था पैदा की जाये। उत्तेजना पैदा करने के कारण पैदा किये जायें। शोरगुल में शरीक होकर इस प्रकार की अव्यवस्था पैदा करें यह अनुचित है। मैं आसन से इसकी व्यवस्था चाहूंगा। वह प्रतिबन्धित हों। उनका यह कार्य संसदीय प्रक्रिया और नियमों के खिलाफ है। आप उनको ताड़ना दें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल व्यास: यह गलत बात कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : (अश्रव्य)

××× अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): अध्यक्ष महोदय, जो सदन में चर्चा की गई, मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूं कि प्रारम्भ से मैंने महाराजा किशनगढ़ की हत्या को राजनैतिक हत्या माना है। आज भी हमारी मान्यता दृढ होती जा रही है। मान्यता ही सुदृढ नहीं बल्कि यह निश्चित रूप से राजनैतिक हत्या है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत है।

श्री अध्यक्ष : माननीय गोयल, स्थान ग्रहण करें। इस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। मैंने उस वक्त समय के लिए निवेदन किया था। भाषणों से नहीं प्रश्न से पूछें। मैं समय की सीमा लगाना चाहता हूं। मैं जल्दी से जल्दी अन्त करना चाहता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि किशनगढ़ महाराजा जिस भूतपूर्व रियासत का प्रतिनिधित्व करते थे, उसका बहुत सा भाग टोंक संसदीय निर्वाचित क्षेत्र में आता था ?

(भारी शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य......

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि महाराजा किशनगढ़ स्वतन्त्र पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार की तरफ, अपनी भूतपूर्व रियासत के उस हिस्से में स्वतन्त्र पार्टी की ओर से वह जिम्मेदार अधिकारी थे ? क्या यह सही नहीं है कि टोंक निर्वाचन क्षेत्र में जो कांग्रेस का उम्मीदवार था उसकी ओर राजस्थान के गृह मंत्री कांग्रेस की ओर से उसके प्रचारक नहीं थे ? क्या यह सही है कि हत्या के तुरन्त बाद लोगों के भिन्न भिन्न वक्तव्य आये ?

श्री अध्यक्ष (श्री महेन्द्रसिंह पंवार द्वारा कुछ व्यवधान उत्पन्न होने पर) : आप पंवार साहब, थोड़ा सा शान्त रहें। व्यवधान होता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : गुजरात के एक भूतपूर्व नरेश ने वक्तव्य दिया है कि इसमें निश्चित रूप से एक मन्त्री का हाथ है। उन्होंने जानकारी करने की कोशिश नहीं की है। क्या यह सही है कि गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया था कि ट्रक ड्राइवर था, उन्होंने इत्तिला दी है। इन लोगों से किसी प्रकार की राजस्थान सरकार ने जानकारी नहीं की है। राजस्थान सरकार ने कुछ भी बरामद करने से पहले कोई दरियाफ्त नहीं किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या कहा ? कलेक्टर अजमेर ने अपना वक्तव्य दिया। जिस समय मृत्यु हुई। जिस समय इत्तिला मिली। आप पढ़ लिया करें। आपको याद नहीं रहा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपका बुढापा आ गया है।

(अल्प विराम)

एक माननीय सदस्य : हमारा भी समय बरबाद हो रहा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिलाधीश बोर्डिया ने संवाददाताओं को बताया कि कल रात को करीब सवा 8 बजे राज्य सरकार के जनस्वास्थ्य विभाग के उप-निदेशक ने इस गाड़ी को देखा और कोई दुर्घटना होने का अनुमान कर वहां से कुछ दूर गेगल थाने को इत्तिला दी।

जिलाधीश ने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आ गया न ?

श्री कृष्णकुमार गोयल: क्या यह सही है कि इसके तुरन्त बाद ही राजस्थान के सारे क्षत्रों में कांग्रेस की ओर से पेम्फ्लेट के माध्यम से लाउड स्पीकर के माध्यम से यह प्रचार किया गया कि इस हत्या में मीमा का हाथ था । क्या यह सही है कि स्वयं गृह मन्त्री जी केकड़ी रेस्ट हाउस में मौजूद थे । उन्होंने इस प्रचार को करने के लिए वहां के कांग्रेस कार्यकताओं को यह आदेश दिया कि मीमा की बहन से महाराजा के अनुचित सम्वन्ध थे, इसके कारण मीमा ने हत्या की। क्या यह सही है जब इस प्रकार का प्रचार हुआ तो स्वयं गृहमंन्त्रीजी ने अथवा राजस्थान सरकार ने एक मृतक व्यक्ति पर, एक मृतक आत्मा पर इस प्रकार का लांछन लगाया ? क्या यह सही है कि डायरेक्टर इन्टेलीजेन्स ब्यूरो ने यह कहा था कि जब तक हम इन्क्वायरी हाथ में लें तब तक स्टेट गवर्नमेन्ट ही इन्क्वायरी करती रहे । उसके बाद आपने कुछ भी प्रेस में रिलीज नहीं किया । राजस्थान पुलिस जो आज तक निकम्मी रही है, अपने इतिहास से निकम्मी रही है, 24 घण्टे में मुलजिम को और हथियार को बरामद कर लिया ? क्या यह राजनैतिक हत्या नहीं थी ? इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि आज यह ठीक है कि सी० बी० आई० स्थिति की जांच कर रही है लेकिन सी० बी० आई० किस दायरे में जांच कर रही है ? राजस्थान सरकार ने और उसकी पुलिस ने जो जांच की है उससे आगे वह नहीं जा पायेगी, उससे बच कर निकलना मुश्किल है । इसलिये राजस्थान सरकार की जांच या सी०बी०आई को जांच से हमें यह आशा नहीं है कि सी० बी० आई० किसी प्रकार से निष्पक्ष रूप से जांच करके आगे जाकर दूध का दूध और पानी का पानी तफतीश के द्वारा कर सकती है । इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा, किसी रिटायर्ड आफिसर के द्वारा, जिसका इससे ताल्लुक नहीं हो, जांच कराई जाय, जो तफतीश करके सारी जानकारी करके डिटेल के अन्दर अपनी रिपोर्ट आगे जाकर प्रस्तुत करे ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : नया तरीका है।

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न को यहीं समाप्त करता हूं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : हमें और प्रश्न करने हैं ।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टी करण के बाद अब प्रश्न नहीं होता है । आपके दल के बोल गये हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है ।

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब यह नहीं है कि सब बोलें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इन्हें तो महाराज का प्रचार करना है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह जो खबर....

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं, दो प्रश्नों के बारे में जानकारी चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, । माननीय सदस्य । आप, महेन्द्रसिंह जी पंवार, बड़ा व्यवधान डाल रहे हैं । आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिये ।

Page No.64

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह तो गृह मंत्री जी की कृपा से शराब पी रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : बोलना चाहते हैं तो इजाजत दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : बोल रहे हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : इसलिये ही लाये हैं ।

श्री महेन्द्र सिंह पंवार (गांधी नगर, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस बात पर मेरा निवेदन है कि एक पुलिस ऑफिसर मेरे पास आये । क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसमें मैं नहीं जाऊंगा । मैं इतना कहता हूं कि इसमें राजनीति की बात नहीं है । मगर फिर भी क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ-इस पर मैंने बहुत सोचा है । इतना बड़ा यह प्रश्न है, इसलिये आपकी बात को डिस्टर्ब करके मैं कह रहा था । यह अन्दाज लगायें कि वहां कुछ हुआ होगा ऐसा जिससे हत्या हुई, तो उन्होंने विल लिखी होगी और विल लिख देने के बाद खयाल आया होगा कि काट दें । और उस समय नशे में हो। वरना इतना नहीं होता।

श्री रामकिशन : क्या कह रहे हैं ?

श्री रोशनलाल शर्मा : सुनो, क्या कह रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नशे की बात गृह मंत्री जी सच मान जायेंगे ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : दामोदर जी मानेंगे कि नशे की बात है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यही कहना है आपका ।

श्री जयनारायण सालोदिया : इसलिये लाये हैं ।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : गृह मंत्री जी चाहते थे कि यह बोलें ।

मैं ऐसा समझता था, अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी सारे मसले को गम्भीरता से सुन रहे थे । गम्भीरता से सुन रहे थे तो गम्भीरता का वातावरण ही रखना चाहिए था । लेकिन उन्होंने इन्हें देख कर कहा कि इन्हें बोलना चाहिये ताकि यह कोई अन्ट सन्ट बात कहें....

श्री देवीदत्त गाड़िया : पटा कर लाये हैं ।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके दल की तरफ ही बैठे हुए हैं ।

श्री दिग्विजयसिंह : वह होश में हैं यह आपको ज्ञान है । यद्यपि यह हमारे दल में बैठे हैं, लेकिन कैसे हैं–यह आपको ज्ञान है । इस समय माननीय सदस्य तेजी में हैं ।

श्री अध्यक्ष : आराम रखिये । आर्डर प्लीज । आर्डर आर्डर ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इनके दल में बैठने वाले होश में नहीं हैं तो क्या वह बिना होश में हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य शांत रहें।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं यह जानकारी चाहता हूं ..

श्री गिरधारीलाल व्यास : सही बात है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामकिशन : रात का नशा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

श्री दिग्विजयसिंह : मुख्य सचेतक यह यह जानते हैं कि किसी माननीय सदस्य के प्रति अपमान की बात मैंने कही है तो नियमों में प्रावधान है, वह प्रिविलेज मोशन ले आयेंगे। (श्री गिरधारीलाल व्यास के खड़े होने पर) आप विराज जायें।

मैं दो बातें जानना चाहता हूं, जैसा मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, जैसा गृह मंत्रीजी ने कहा कि पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया, तो उसका कान्ट्रेडिक्शन क्यों नहीं आया ? दूसरी चीज मैं यह जानना चाहता हूं, कि क्या यह सही है कि 19 तारीख को सी० बी० आई० किशनगढ पहुंच गई थी और 19 तारीख को सी० बी० आई० के कर्मचारी एस० पी०, डॉक्टर, फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट, फोटोग्राफर यह सब के सब स्पोट पर मौजूद थे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 19 तारीख को को मैं स्वयं कण्डोलेन्स के लिये वहां पहुंचा, वहां उनको देखा था। संस्कार के समय मैं नहीं जा सका था क्योंकि सूचना देरी से पहुंची, लेकिन 19 को पहुंचा। उस दिन अजमेर की तरफ गया, वापिस जब मैं लौट रहा था साढ़े चार बजे के करीब तब वहां गाड़ी खड़ी हुई थी। उसको देख कर मने गाड़ी रोकी। वह लोग वहां काम कर रहे थे। उनसे मैंने जानकारी चाही। वहां डी०एस०पी० स्थानीय राजस्थान पुलिस, श्री जीवराजसिंह उपस्थित थे। मैंने पूछा कोई क्ल्यू मिला है ? या किसी के प्रति सन्देह है ? उनका उत्तर यह था-यह मामला सी० बी० आई० के सुपुर्द है और सी० बी० आई० इसकी जांच कर रही है। मैं स्वयं सी० बी० आई० के एस० पी० जो पेड़ के नीच बैठे हुए थे छाया में और डॉक्टर खून की जांच कर रहा था, कार से ब्लड पड़ा हुआ था उसकी और फोटोग्राफर था। उसके दरम्यान सी० बी० आई० के एस० पी० आ जाते हैं। उनसे निवेदन किया कि कोई जानकारी मिली है क्या तो उन्होंने स्पष्ट कहा-कोई क्ल्यू नहीं है। वहां पर मौजूदा महाराजा श्री सरदार सिंह जी, जो स्वर्गीय महाराजा के बड़े भाई हैं, उनके सुपुत्र मौजूद थे। उनसे उन्होंने कहा कि आप जानकारी दीजिये, हार किसने पहनाया ताकि क्ल्यू लग सके। हार किसने पहनाया-यह पूछा तो उन्होंने कहा कि मालूम नहीं है। उन्होंने कहा कि यह रेलेवेन्ट चीज है, इसके बारे में बताइये, किसी जगह से मालूमात करने की कोशिश कीजिये कि किसने हार पहनाया ? क्या बात है ? इस दरम्यान मैं मौजूद था। तभी एक जीप अजमेर की तरफ से आती है, उसमें थे जिन्हें मैं शक्ल से पहचानता हूं, एडीशनल एस० पी० काशी प्रशाद जी। उन्होंने डी० एस० पी० को बुलाया और कुछ बातचीत की। क्या बात थी यह मेरी नोलेज में नहीं है। उसके पश्चात् जीवराजसिंह जी ने महाराजा सरदार सिंह जी के सुपुत्र थे, उनसे कुछ बातचीत की। और रवाना होने के लिए उन्होंने कहा कि हमें चलना चाहिये। मैंने उनको रोका और कहा हम देखें गोली, जिससे मर्डर हुआ है। वह उन्होंने दिखायी, मैंने देखा, चार छर्रे निकले हैं, गेंहू के दाने से मालूम होते थे। इस दरम्यान डी० एस० पी० विकास विभाग की जीप में बैठ कर रवाना हो जाते हैं ...

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाह रहे हैं ?

श्री दिग्विजयसिंह : मैं निवेदन कर रहा

(श्री दिग्विजय सिंह)

हूं कि पांच बजे तक क्ल्यू नहीं मिला, यह उस समय तक वहां बैठे थे। उसके बाद मैं जयपुर पहुंचता हूं, साढ़े छः बजे के आस पास और मैं मिलने गया, जयपुर की राजमाता साहब से। उन्होंने पूछा-कुछ नालेज में है क्या किशनगढ़ से आये हो। मैंने कहा–कोई नालेज में नहीं है। पुलिस सूत्र, या सी० बी० आई० से कोई कातिल नहीं पकड़ा गया है। तब, एक पेपर, जो घुमक्कड़ नाम से निकलता है वह पेश किया और कहा–यह देख लीजिये। यह पैपर में छप गया है कि भीमा जाट पकड़ा गया है। यह पेपर में छप गया है। उस दिन ही पब्लिक मीटिंग थी, उसी दिन घुमक्कड़ पेपर में पूरा विवरण जो छपा था, महाराजा का कातिल पकड़ा गया, क्या कारण था, वह कहा गया। जब कि आप कहते हैं कि पुलिस ने बयान नहीं दिखाया तो फिर इसको जानकारी कैसे हुई? इन दोनों बातों का आप जवाब दें। दूसरे प्रचार के संबंध में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि प्रचार इस बात का कराया गया है। मैं इतना निवेदन अवश्य करना चहता हूं कि उत्तेजना पैदा नहीं करनी चाहिये यह कह कर कि राजनैतिक हत्या है। यह सब चीजें हमारे सामने आ जावेंगी। लेकिन राज्य सरकार और गृह मंत्री जी का यह कर्त्तव्य था कि यह भ्रम फैल गया है तो उसका कान्ट्रेडिक्शन करती कि यह जो अखबारों में जानकारी आई है, यह निराधार है और अभी तफतीश जारी है, तफतीश सी०बी०आई० के पास है। मेरी ही कान्स्ट्रीट्यूएन्सी के माननीय सदस्य ने यह कहा कि महाराजा ऐसा करते थे, इसलिये एसे मारे गये। तो इन सब बातों का प्रचार किया गया, यह मैं निश्चित तौर से निवेदन करता हूं। मेरा निवेदन है कि इन बातों के संबंध में गृह मंत्री जी जानकारी दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप कहते हैं कि इसमें राजनीति नहीं है...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं एक प्रश्न पूछूंगा......

श्री गिरधारीलाल व्यास : लेकिन आपके ही भाई यह कहते हैं कि राजनीति है।

श्री दिग्विजय सिंह : आपके भी भाई बन्द कहते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता। सी० बी० आई० कह देगी तो मैं उसे मान लूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्री प्रसाद गुप्ता ! सिर्फ प्रश्न।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। पुलिस में जो मुल्जिम कस्टडी में होता है, उस समय कोई भी कन्फेशन कानून एवीडेंस में एडमिनिस्टर नहीं हो। मैं समझता हूं, यह कानून जानना चाहिये....

श्री रघुनाथ विश्नोई : एवीडेंस एक्ट की धारा 27।

श्री अध्यक्ष : That is an exception to this.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह स्टेटमेंट का सवाल है। मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, उसके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया उसे अखबारों में पब्लिश किया गया। यह कानूनन् गलत है। और पुलिस और राज्य सरकार की तरफ से इस तरह की कार्यवाही करना बेजा बात है। और इससे यह साफ बात मालूम पड़ती है (श्री रामानन्द अग्रवाल) के बोलने पर (अश्रव्य)....

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

उसका अखबारों में पब्लिश होना और उसका अखबारों में कोन्ट्राडिक्ट नहीं करना यह दोनों बातें गैर कानूनी हैं, यह बात गलत है। माननीय मंत्री कहते हैं कि वह स्टेटमेंट हमने पब्लिश नहीं कराया है तो उसको आपको कोन्ट्रोडिक्ट करना चाहिये था। जब सारे स्टटमेन्ट की अखबारों में मर्डर होते ही हिन्दुस्तान में चर्चा थी। दूसरे रोज प्रधान मन्त्री का स्टेटमेन्ट आया कि इस मामले की जांच के लिये सीधा सी० बी० आई० को आदेश दे दिया गया है और गृह मंत्री को इस बात के डाइरेक्शन दे दिये गये हैं तो राजस्थान में इस बात से सब लोगों को तसल्ली हुई थी और उसके तीसरे रोज ही राजस्थान पुलिस द्वारा मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने स्टेटमेंट दे दिया।मैं यह कहता हूं कि यह कितनी निन्दा की बात है। इस तरह से यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह सरासर पोलिटिकल फायदा उठाने की गरज से इस तरह का स्टेटमेन्ट अखबारों में पब्लिश कराया गया। अगर ऐसी बात नहीं थी तो इसको कोन्ट्राडिक्ट करना चाहिये था, गृह मंत्री को यह कहना चाहिये था ऐसी बात नहीं है यह मामला ओपनमें आता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न करिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जनता यह सुन कर स्तब्ध रह गयी कि ऐसे महाराजा पर इस तरह का लान्छन लगाते है और बाद में गवर्नमेंट यह कहती है कि ऐसा स्टेटमेंट गवर्नमेन्ट की तरफ से पब्लिश नहीं कराया गया यह अफसोस की बात है। गृह मंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिये कि यह कैसे पब्लिश हुआ ? और पब्लिश हुआ तो कान्ट्रोडिक्ट क्यों नहीं किया गया ? गृह मंत्री इस मामले में खामोश बैठ रहे। मैं गृह मंत्री जी से इसका स्पष्टीकरण जानना चाता हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बांरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि अब माननीय मुख्य मंत्री कोटा, बूंदी झालावाड़ क्षेत्र में चुनाव प्रचार का दौरा करके पिछली 15 व 16 तारीख को जयपुर में आये और आकर के प्रेस स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंनें राजा और महाराजा और विरोधी दल के नेताओं को धमकियां देते हुए खूनी क्रान्ति की बात कही ? क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री के वक्तव्य के बाद दूसरे या तीसरे रोज ही किशन गढ़ महाराजा की हत्या हो गयी। यह स्पष्ट है कि आज चाहे कांग्रस दल के नेता और मंत्री इस प्रकार का वक्तव्य दे कि कोई राजनैतिक हत्या नहीं हुई लेकिन वह सारी बातें विरोधी दल पर थोपना चाहते हैं मुख्य मंत्री कोटा, अलवर जहां जहां भी गये और अन्य मंत्री जो भी गये हैं उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट रूप से संकेत दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि कोटा जिले के अन्दर राजस्थान के मंत्री जहां जहां भी गये वहां के नताओं और उम्मीदवारों ने खुले आम सभाओं में परचे बांटे और इस प्रकार महाराजा के जीवन पर चरित्र सम्बन्धी कीचड़ उछाली। उसके बाद इस प्रकार मंत्री महोदय सदन में कहें। क्या गृह मंत्री ने यह नहीं कहा जीप के अन्दर कार के अन्दर 6 छर्रे निकले थ तथा इस प्रकार से गोली लगी ? यह वक्तव्य में क्यों नहीं बताया गया ? आपने बताया नहीं कार में छर्रे पाये गये और इस प्रकार गोली लगी। उसके बारे में मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपकी पार्टी के सदस्य कहते हैं कि राजनैतिक हत्या नहीं है और आप कहते हैं कि राजनैतिक हत्या है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज । इस पर गृह मंत्री अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें ।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यह बात कही है कि वायरलेस के जरिये इतिला की गयी में वह शब्द काम म लेना नहीं चाहता जो वह काम में लेते हैं। झूठ-मूठ में नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि कोई वायरलैस के जरिये इत्तिला नहीं की गयी। आपको किसी ने गलत सूचना दी है ।

दूसरी बात जो माननीय सदस्य कहते हु दफा 161 के बयान की। दफा 161 का बयान यहां पढ़कर सुनाया जावे । अध्यक्ष महोदय, आप खुद इस बात से वाकिफ हैं और माननीय सदस्य भी कि दफा 161 का बयान जो डायरी में रिकार्ड होता है वह प्रिविलेज्ड डोक्यूमेन्ट होता है और मुलजिम को उस वक्त दिखाया जाता है जब मुकद्दमा चालान होता है फोर स्पेसिफिक परपजेज । में पढ़कर उस बयान को नहीं सुना सकता, मुझ अफसोस इस बात का हुआ है कि एक पार्टी के सदस्य जो अलवर से आये हुए हैं उन माननीय सदस्य ने जोर दिया है कि मैं पढ़कर सुनाऊं । वह इतनी एलीमेन्ट्री बात भी नहीं जानते कि दफा 161 के अन्तर्गत रिकॉर्ड किये हुए बयान मैं भी नहीं देख सकता । आपको यह मालूम होना चाहिये कि पुलिस का प्रिविलेज्ड डाक्युमेन्ट है और उसे पुलिस ही देख सकती है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह वकील हैं,

श्री रामानन्द अग्रवाल : अखबारों की खबर इस पर आधारित है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं बड़े अदब अर्ज करना चाहता हूं कि अखबारों में खबर कैसे गयी लेकिन हमने गवर्नमेन्ट की तरफ से किसी को अखबार में ब्रीफ नहीं किया । आपने अखबार पढ़कर सुनाया है पुलिस सूत्रों का हवाला दर्ज है । मुझे यह जानकारी नहीं है कि कौनसा पुलिस का सूत्र है । जो ऑफिशियल कम्यूनिकेशन दिया गया है वह पढ़ कर सुना दिया गया है । रहा सवाल इसको कोन्ट्रोडिक्ट क्यों नहीं किया गया है । मैं अदब से आपको अर्ज करना चाहता हूं कि यह मसाला इतना नाजुक है और गम्भीर है कि सरकार के लिये यह जरूरी नहीं है कि वह हर चीज को कान्ट्रो-डिक्ट करे । बहरहाल जो इन्वेस्टीगेशन चल रहा है उसका जो नतीजा निकलेगा उसकी असलियत अदालत के सामने आवेगी ! सरकार इस तरफ या उस तरफ से पक्ष ले यह बिल्कुल गलत है । इसलिये मेरे लिये यह जरूरी नहीं था कि मैं कोन्ट्रोडिक्ट करता । एक बात अलवर बानसूर से आये माननीय सदस्य ने कही इसमें शक नहीं है कि बहुत ही कानूनी बात कही । तो फिर उसके साथ साथ में यह कहा कि फिर अखबारों में कैसे छप गया है । मेरी समझ में नहीं आता ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : यह बात है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी समझ में नहीं आता महेन्द्रसिंहजी ज्यादा समझते हैं वे काफी योग्य वकील हैं तथा लॉ को एप्रीशियेट करते हैं ।

श्री विजयसिंह : यह कह रहे हैं कि आप बेवकूफ हैं तो क्या आप ठीक समझते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह आप खुद कह रहे हैं आप खुद ही बेवकूफ हैं इसलिये कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रोशनलाल शर्मा : वह क्या कह रहे हैं देखलें।

श्री अध्यक्ष : ऐसा इन्टरप्रीट मत करिये स्वंय कहने दीजिये (श्री महेन्द्रसिंह पंवार की ओर संकेत करके) आप कह रहे हैं (विराम) नहीं कह रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : वह इसलिये कह रहे हैं कि वे खुद बेवकूफ हैं।

एक माननीय सदस्य : वह जो कह रहे हैं दामोदर जी सुन रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप सारे मसले का गम्भीरतापूर्वक इन्तजार कीजिये। सी०बी०आई० को इन्वेस्टीगेशन पूरा करने दीजिये। मैं कहना चाहता हूं कि जनसंघ के माननीय सदस्य आपको हथियार बनाते हैं। इनको इस बात में मजा आ गया है कि आपकी पार्टी पर लान्छन लगे। इसलिये राजनैतिक हत्या कहने वाली बात कहते हैं। और कैरेक्टर ऐसेनिसेशन करते हैं फिर यह कहते हैं कि कांग्रेस ने पेम्पलेट निकाले। अगर कांग्रेस ने पेम्पलेट निकाले हैं तो पेश करिये।

श्री देवीव्रत गाड़िया : सोमवार को करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह भी कहते हैं कि लाउड स्पीकर पर प्रचार किया कि किस कारण से हत्या हो गई है। मेरा मतलब यह है कि मैं किसी पार्टी पर लान्छन नहीं लगाना चाहता परन्तु यह जरूर है कि इस मामले को पोलीटिकली एक्सप्लोइट करने की कोशिश नहीं की जाय। असलियत आपके सामने आवेगी, हमारे भी सामने आवेगी और जनता के सामने भी आवेगी कि क्या बात है। इसलिये इस मसले को लाइटली न लिया जाय। यही मेरी प्रार्थना है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जनसंघ ने आपका फायदा उठाया है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पेम्पलेट वाला सवाल है तो केसरीसिंहजी बून्दी चले गये हैं उनके आने पर पेश कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : (प्रद्युम्नसिंह जी के खड़े होने पर) माननीय उप-मंत्री जी स्थान ग्रहण करें।

श्री विजयसिंह : उप-मंत्री जी नहीं हैं ये तू तू मंत्री है।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कोटा के गोली कान्ड के बारे में स्थगन प्रस्ताव के बारे में क्या व्यवस्था दी है जे० के० सिन्थेटिक्स के बारे में क्या व्यवस्था दे दी गई है?

श्री माननीय अध्यक्ष : व्यवस्था दे दी गयी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : 8 तारीख को दिया गया था।

माननीय अध्यक्ष : रिजेक्ट हुआ है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने स्टेटमेंट के लिये कहा है कल के लिये।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य लेकर फिर बतलाऊंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल: वह जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री रामकिशन : यह कोटा का मामला है इसमें 13 मजदूरों कि हत्या हो गयी है। मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से बयान होना जरूरी है। आप स्पष्ट बतावें कि कब वक्तव्य होगा।

श्री अध्यक्ष: मैं कल बता दूंगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : वोटरलिस्ट के संबंध में...

श्री अध्यक्ष : एक बात उधर से फरमाई जा रही है और फिर भी आप खड़े हो रहे हैं।

श्री रामकिशन: एक निवेदन और है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी कि राजाखेड़ा थाने में मोहनसिंह नामक व्यक्ति को डकैत बनाकर उसको मार दिया गया। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की यह पहली घटना है, आप ताज्जुब करेंगे। यह इस तरह का सवाल नहीं है कि बहस में ही उठाएं। सरकार कल वक्तव्य दे दे, परसों दे दे। लेकिन इस मामले पर सरकार की तरफ से बयान आना चाहिए। निर्दोष आदमी की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने यह दिखाया है कि वह डकैत है। इसलिए यह मामला गंभीर है।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): मेरा स्थगन प्रस्ताव स्पष्ट है कि 15 फरवरी, 1971 को डॉ० सुरेश शंकर जानी, जानवरों के अस्पताल के डॉक्टर ने जानवरी काम किया है। शिक्षा विभाग के अधिकारी की महिला जो दो बच्चों की मां है ...

श्री अध्यक्ष : जानकारी के लिए भेजा है।

श्री भगवानदास शास्त्री : डर दिलाकर...

श्री अध्यक्ष : जानकारी के लिए दिया है।

श्री भगवानदास शास्त्री : उनके पति को..

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण आ जाए उसके बाद...

श्री भगवानदास शास्त्री : दोनों गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं। एक महीने तक कार्यवाही नहीं हुई है। उस महिला से कहा कि तेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, मेरे साथ चल और...

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया है कि आपके स्थगन प्रस्ताव के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री भगवानदास शास्त्री : वह चिट्ठी भेज रहा है। वह उच्च कोटि की महिला है। तीन बच्चों की मां है, बच्चे बर्बाद हो गए, वह कोई करप्ट महिला नहीं है, बदमाशों के चक्कर में आने वाली नहीं है, महिला से उन्होंने कहा तेरे पति जो शिक्षा विभाग में हैं..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री भगवानदास शास्त्री : उस महिला से कहा कि तेरे पति का एक्सीडेंट हो गया मेरे साथ चलो, वह तुझे बुला रहे हैं, उसका प्राणांत होने वाला है, साढ़े सात बजे 15 तारीख को....,

श्री अध्यक्ष : उसका तो प्राणांत हो गया और यहां समयांत हो रहा है।

श्री भगवानदास शास्त्री : कम से कम उनको सस्पेंड तो करवायें, क्या मालूम..

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्री ।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या मालूम उस औरत को मार दिया हो ?

श्री रामकिशन : मेरे स्थगन प्रस्ताव पर क्या व्यवस्था है ?

विधायी कार्य

श्री अध्यक्ष : अभी व्यवस्था दे दूंगा । विधायी कार्य ।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान ग्रामदान विधेयक, 1970 को वापस लेने की आज्ञा का प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान ग्रामदान विधेयक, 1970 को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: कारण तो बताएं।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं विधेयक को वापस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद ।

श्री पी०चौधरी ।

(श्री रामचन्द्र आर्य के खड़े होने पर) कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है कि श्री शीशराम पूनिया की हत्या के संबंध में जो जानकारी सरकार को देनी चाहिए....

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : सरकार से जानकारी चाही गई । मैंने इस संबंध में मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । जानकारी मांग ली गई है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरे इलाके में एक आदमी बिल्कुल निर्दोष था....

श्री अध्यक्ष : मैंने आगे का कार्यक्रम ले लिया है । जानकारी मांगी गई है उस समय आप बोलेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य: ये कौरवों की सभा में बैठे हैं, विश्वास तो नहीं है। इस तरह से उत्तर देते हैं ।

श्री अध्यक्ष: माननीय श्री रामचन्द्र अभिभाषण पर बहस को ले लिया गया है । प्रोफेसर केदार आप इनको थोड़ा समझायें।

श्री रामचन्द्र आर्य : श्री शीशराम की हत्या के अंदर...

श्री अध्यक्ष : अंकित न किया जाए

श्री रामचन्द्र आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामचन्द्र आर्य आपका अवसर आएगा । मैंने जानकारी प्राप्त करने के लिए लिखा है । आने के बाद में बहुत उदार हो जाऊंगा जब आप बोलेंगे । अभी तो स्थान ग्रहण करें ।

×××अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप हत्या करने वालों का पक्ष ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जानकारी प्राप्त होते ही जब निर्णय दूंगा तो आपके संबंध में मैं बहुत उदार वृत्ति रखूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य: आपको मालूम होना चाहिए....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य :×××

श्री अध्यक्ष : मेरे इतने उदार होने पर भी आप अनुदार हो रहे हैं?

श्री रामचन्द्र आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री आर्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य :×××

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री आर्य।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप हत्यारों का पक्ष ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप भी व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य :×××

श्री अध्यक्ष : श्री आर्य। अंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य :×××

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप हत्यारों का पक्ष ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय श्री आर्य, मैंने आपसे निवेदन किया...

श्री रामचन्द्र आर्य:×××

श्री अध्यक्ष: मैं श्री आर्य को नाम से पुकारता हूं। आप बहुत ज्यादा उल्लंघन कर रहे हैं नियमों का।

श्री रामचन्द्र आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री आर्य। आप जब मिलते हैं तो बड़े सरल मालूम होते हैं, आज यह उग्रता कैसे है?

श्री रामचन्द्र आर्य :×××

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने तो यही निवेदन किया कि इसकी जानकारी मिलते ही मैं निर्णय दे दूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : कब?

श्री अध्यक्ष: अब।

श्री रामचन्द्र आर्य: कितने दिनों के बाद?

श्री अध्यक्ष: बैठिए कृपया। श्री पी० के० चौधरी।

श्री रामचन्द्र आर्य: पहले इस पर स्टेटमेंट दिलायें।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : बैठिए। श्री चौधरी।

×××अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय,..

श्री रामकिशन : चौधरी बोलें, पी० के० न बोलें, इससे बड़े परेशान होते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आपकी सरसता को पीकर बोलें-।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने कृपा पूर्वक सदन में दिया है, अत्यंत कृतज्ञ हैं ।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से साफ जाहिर होता है, राज्य सरकार का जो दृष्टिकोण है, वह समाजवादी दृष्टिकोण है। यह सही है कि इस अभिभाषण में लंबी चौड़ी बातें तो नहीं दी हैं लेकिन आप देखेंगे कि खास तौर से छोटे किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, बेरोजगारों के लिए सरकार ने पिछले साल जो कुछ काम किया है, उसका थोड़ा बहुत सिंहावलोकन किया गया है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : हाई कोर्ट के लिए ?

श्री पी० के० चौधरी : आने वाले साल में बेरोजगार लोग हैं या दूसरे लोग हैं, भूमिहीन हैं उनके लिए भी सरकार क्या क्या करना चाहती है, उसका भी संकेत इसमें दिया हुआ है ।

2.9 म० प०

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री रामचन्द्र आर्य: भ्रष्टाचार भी है।

श्री पी० के० चौधरी : राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में हिन्दुस्तान में नेशनल सीन पर राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण घटनायें हुई हैं उनका थोड़ा बहुत इशारा किया है। जरूर तीन लाइनों में है। तीन लाइनों में ही बहुत कुछ बातें रख दी गयी हैं । मध्यावधि चुनावों में साफ तौर से पता लग गया है कि हिदुस्तान की जनता किस तरफ जाना चाहती है । उसने प्रतिक्रियावादी ताकतों को ठुकरा दिया है, रिजक्ट कर दिया है। लोक सभा में स्वतन्त्र पार्टी, जिसको मैं प्रतिक्रियावादी पार्टी मानता हूं, पांच सीटें मिली हैं ।

एक माननीय सदस्य : जयपुर जिले में ?

श्री पी० के० चौधरी : सारे हिन्दुस्तान में। जनता ने साफ जाहिर कर दिया है कि कि जनता किस तरफ जाना चाहती है । समाजवाद और हरिक्रान्ति की ओर जाना चाहती है। इन चुनावों में यह साफ साबित हो गया है ।

श्री लादूराम सुलानियां : अभिभाषण पर बोल रहे हैं या चुनावों पर ?

श्री पी० के० चौधरी: अभिभाषण पर।

श्री लादूराम सुलानियां : चुनावों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है राज्यपाल ने ।

श्री पी० के० चौधरी : किया है ।

जो चित्र सामने आये हैं वह यह प्रकट करता है कि हिन्दुस्तान की जनता ने प्रतिक्रियावादी ताकतों को रिजेक्ट किया है और यह साबित किया है कि हिन्दुस्तान समाजवाद की ओर तेजी

(श्री पी० के० चौधरी)

से बैठगा और जो पार्टियां शुरू में व्यवधान पैदा करके चलना चाहती हैं उन सब को रिजेक्ट कर दिया है।

एक माननीय सदस्य : जैसे पी० के० चौधरी को रिजेक्ट किया है।

श्री पी० के० चौधरी : जयपुर से उभर कर आवेगा।

वेस्ट बंगाल के चुनावों ने साफ कर दिया है। जनता ने उन्हीं को पसंद किया है जिनको वह सीरियस मानती है। जो काम करने के लिये सीरियस हैं और जनता को भुलावें में नहीं डालना चाहते हैं।

एडजोर्नमेन्ट मोशन पर बहस हो रही थी। राजनैतिक बातें क्यों की जा रही थीं ? मेरी समझ में नहीं आया।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपको मालूम होगा। लोगों के साथ ज्यादतियां करना, गलत आदमियों को फंसाना यह जो प्रवृत्तियां आगयी हैं उसके लिये कुछ नहीं और कहते हैं मेरे समझ में नहीं आया।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कातिल को बचाना भी आपका परम कर्त्तव्य है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज।

श्री पी०के० चौधरी : मैं यह कह रहा था कि जो यह वातावरण बनाया जा रहा है..

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप जो कुछ कह रहे हैं वह अखिल भारतीय दृष्टिकोण से ठीक हो। किन्तु आप जो यहां कह रहे ह उससे आपके दल पर ही चोट पड़ रही है।

उनकी (श्री गिरधारीलाल व्यास) हालत बहुत खराब है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कोई चिन्ता नहीं है। आपतो बोलने लायक भी नहीं हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : उदयपुर डिविजन, कोटा डिविजन और जोधपुर डिविजन बिलकुल साफ हो गया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपके नेता भैरोंसिंहजी का हो गया है। 50 हजार वोटों से हराया है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। श्री चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी : मैं तो किसी पार्टी के लिये कुछ नहीं कहता हूं। किन्तु जनता का जो वरडिक्ट है उसके लिये अर्ज करता हूं। 515 का रिजल्ट निकला है। उनमें से 415 तो बिलकुल जो हमारी पार्टी का प्रोग्राम है उसको मान कर चलते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपके कई मिनिस्टरों को हटायगी इन्दिरा गांधी।

श्री दिग्विजयसिंह: Let the Swatantra Party have a chance to speak on this.

श्री पी० के० चौधरी : मेरा कहने का मतलब यह था कि मध्यावधि चुनावों ने यह जाहिर कर दिया है कि देश किस तरफ जाना चाहता है और जिन पार्टियों ने हवा के रूख को नहीं पहिचाना और दूसरी दिशा में लेजाने का प्रयास किया तो उनका प्रयास विफल रहेगा यही मैं कहना चाहता हूं।

आर्थिक क्रान्ति हमारे देश में लानी चाहिये थी और पीसफुल तरीके से लायी जानी

(श्री पी० के० चौधरी)

चाहिये थी उसके लिये चुनावों ने हमारा रास्ता खोल दिया। हम यह मानते हैं कि हमारा देश तेजी से समाजवाद की ओर आगे बढ़ेगा।

जहां तक राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उल्लेखित अलग अलग विषयों का सवाल है, पैरा चार पर जो उन्होंने लिखा है उसके विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें यह कहा गया है कि इस साल हमारी फसल अच्छी हुई और 76 लाख टन अनाज का प्रोडक्शन हुआ जो कि एक रिकॉर्ड है। साथ ही साथ इस ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इतनी अच्छी फसल हुई लेकिन कहीं फूडग्रेन के प्राइसेज टम्बलडाउन न हो जांय, ज्यादा नीचे न गिर जांय जिससे कि किसान को उसकी पूरी महनत का फल न मिले। रबी की फसल आने के बाद अनाज के भाव न गिर जाय उसके लिये सरकार ध्यान रखेगी यह निवेदन करना चाहता हूं।

एक बात की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राज्य पाल महोदय के अभिभाषण में यह कहा गया कि 68-69 की आय के मुकाबले में 8 परसेन्ट की वृद्धि हुई है वह इससे बढ़कर 17 परसेन्ट इस वर्ष हो जावेगी। यह देश के लिये अच्छी बात है और सरकार ने जो प्रयत्न किया है उसकी हम सराहना करते हैं।

दूसरी बात जो सरकार ने सीलिंग के लिये टाईमबाउन्ड प्रोग्राम रखा है उसकी मैं सराहना करता हूं।

श्री कृष्णकुमार : यू आर सेटिस्फाइड।

श्री पी० के० चौधरी : बहुत दिन हुए कानून पास किये। टाइमबाउन्ड प्रोग्राम पहले नहीं रखा था। राज्यपाल महोदय के भाषण से जाहिर होता है कि सरकार ने निश्चित तारीख तय की है। उसके अन्तर्गत सीलिंग के अन्तर्गत जो ज़मीन आती है उसका वितरण करके भूमिहीनों में बांट दी जावेगी। उसको मैं अच्छा कदम मानता हूं। निश्चित समय निर्धारित कर देना अच्छी बात है। 31 मई, 71 का टारगेट रखा है। सीलिंग से जो भी भूमि प्राप्त होगी, अधिग्रहण होगी उसका बंटवारा कर दिया जावेगा।

श्री कृष्णकुमार : मध्यावधि चुनावों के बाद माननीय सदस्य काफी बदल गये हैं। शायद ओंकार लाल बोहरा से कोई सबक लिया है।

श्री पी० के० चौधरी : कोओपरेटिव सैक्टर में जो प्रगति हुई है उसके सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने पैरा 9 में उल्लेख किया है। जहां तक मीडियम और शोर्ट टर्म लोन का सवाल है 69-70 में करीब 13 करोड़ रुपया दिया और इस साल 20 करोड़ बांटा जावेगा। इसमें 50 परसेन्ट की वृद्धि हुई है।

पर जहां तक लोग टर्म लोन का सवाल है पिछले साल इसमें 3 करोड़ 80 लाख का फिगर था, इस साल चार करोड़ का है। जो केवल पांच परसेन्ट ही होता है। हम चाहते हैं कि इस दशा में भी तेजी से ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात, राजस्थान कैनाल के संबंध म उसे पूरा करने की बात कही गई। हम मान कर चलते हैं कि राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट मान कर काम किया

(श्री पी० के० चौधरी)
जावे ताकि उसका काम जल्दी से समाप्त किया जा सके ।

औद्योगिक मजदूरों के वेलफेयर का जिक्र नहीं किया गया । मैं समझता हूं फिर भी सरकार इनके वेलफेयर को नजर अन्दाज नहीं करेगी ।

तीसरी बात, ड्रिंकिंग वाटर के लिये जो प्रोग्राम रखा गया है उसमें और वृद्धि करनी चाहिये ।

एक बात की मैं सराहना करता हूं आपने अपनी भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था रखी उसको सरकार ने फिर दोहराया है और जो उर्दू भाषा है उसकी शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जावेगा, इसको जानकर खुशी है ।

जहां तक छोटे किसानों को कर्जा देने का सवाल है इसके लिये एक एजेन्सी कायम करके करजे की सहूलियत जिस प्रकार चार पांच जिलों में दी गई है, वह सभी जिलों में दी जाय सरकार सभी के लिये गारन्टी दे बैंक से लोन लेने में । अलवर, भरतपुर, बांसवाड़ा आदि में चालू किया है मैं चाहता हूं सभी जिलों में लागू करें, जयपुर जिले में भी लागू किया जावे ।

भारत सरकार ने फैसला किया है कि हिन्दुस्तान के हरेक जिले में ऐसे काम चलाय जावेंगे जिनमें कम से कम एक हजार व्यक्तियों वहां काम मिल सके । इसको टाप प्रायोरटी देना चाहती है सरकार । जहां जहां बेरोजगारी है, राहत पहुंचाने के लिये यह अच्छा कदम है । पर सारे जिले यूनीफार्म नहीं हैं । काई जिला केवल तीन ही तहसीलों का है और कोई 17 का है जैसे जयपुर जिला । इसलिये मैं चाहता हूं कि यह फण्ड का एलोकेशन डिस्ट्रिक्टवाइज न होकर पापूलेशन के आधार परपोर्शनेट बेसिस पर हो । मसलन जयपुर जिला । तीन जिलों की आबादी से भी अधिक की आबादी वाला अकेला है तो इसको भी उतना ही मिले जितना दूसरे जिले को तो इक्वीटेबल नहीं होगा । ठीक नहीं होगा । तो इसलिये मेरा राजस्थान सरकार से निवेदन है कि यह जो क्राइटेरिया है इसको पापूलेशन के बेसिस पर रखा जाय और कम से कम जयपुर में तीन हजार को रोजगार मिल सके ऐसा प्रावधान किया जाय ।

विद्युतिकरण की बात कही गई, पर एक बात का संकेत नहीं मिला कि आगामी सत्र में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये क्या कदम उठावेगी और उसका क्या क्राइटेरिया होगा ।

हालांकि यह सही है कि इस साल 56 करोड़ में से 35 करोड़ खर्च करके लगभग 60 प्रतिशत कृषि विद्युतिकरण में खर्च किया है पर आनेवाले वर्षों में हम चाहते हैं ग्रामीण विद्युतिकरण में इस साल से भी अधिक ध्यान दिया जाय । खास कर हमारा जो जयपुर का इलाका है जहां पर नहर या लिफ्ट इरिगेशन की तरह की कोई योजना नहीं है पर कुए हैं और काफी अच्छे स्तर पर पानी है मैं चाहता हूं कि यहां रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पर काफी ध्यान दिया जाय, इसी तरह की स्थिति अलवर, भरतपुर जिलों में भी है । जहां कुए काफी हैं । इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी । प्रोडक्शन बढ़ेगा ।

राजस्थान में बेरोजगारी को मिटाने के लिये कृषि उत्पादन के साथ साथ विभिन्न उद्योगों की स्थापना की तरफ ध्यान देना जरूरी होगा । इनके विकास के लिये पिछले

(श्री पी० के० चौधरी)

साल जो सरकार ने कोशिश की है उससे अधिक कोशिश करनी पड़ेगी और खास करके जयपुर में शहर और जिले में जहां राजस्थान में सबसे अधिक बेकारी है। आप जानते हैं उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के और जिलों का जहां परसेन्टेज पांच पर्सेन्ट और 8 परसेंन्ट आया है वहां जयपुर जिले में तीन आयी है। जमीन भी कम है।

आप जानते हैं जयपुर में करीब आठ नौ पर्सेन्ट लेबर बिल्डिंग इण्डस्ट्री में काम करते हैं। यह बात भी सही है कि दिल्ली और पंजाब में यहां से काफी लेबर इस बिल्डिंग इण्डस्ट्री में लगी हुई है।

जयपुर में कोई बड़ी इन्डस्ट्री पिछले 20 सालों से स्थापित नहीं हुई है। हम भी यह चाहते हैं कि हमारे जयपुर शहर में जैसा राज्यपाल महोदय ने कहा है कि ट्रैक्टर फैक्टरी की स्थापना का विचार कर रहे हैं पब्लिक सैक्टर में। हम चाहते हैं कि कम से कम स्कूटर फैक्टरी हो या ट्रैक्टर फक्टरी, एक फक्टरी जयपुर में अवश्य ही लगाना चाहिये जिससे यहां पर जो बेरोजगारी की समस्या है, चाहे वह शिक्षित हो, अर्ध-शिक्षित क्षेत्र में हो उससे बेरोजगारी को मिटाने में कुछ राहत मिल सके। दूसरी एक बात हम यह चाहते हैं कि जयपुर शहर में और जयपुर के इलाके में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए सरकार यहां पर एक दो बड़ी इन्डस्ट्री लगाने का प्रयास करे, जो हम विचार रखते हैं। सरकार इसकी तरफ भी ध्यान दे। यह सही है कि यहां पर वेजीटेबुल के 2/3 कारखाने लगाये जा रहे हैं लेकिन यहां पर लेबर पोटेन्शल जो है वह इतना ज्यादा है कि जिससे हमारे यहां की बेरोजगारी की प्रॉब्लम को खतम कर सके। इसलिये मैं यह चाहूंगा जयपुर शहर के औद्यौगिकरण की दिशा में और अधिक ध्यान दिया जाये और उस पर इस संदर्भ में जयपुर में व्याप्त बेरोजगारी को देखते हुए यहां पर अधिक इन्डस्ट्री चाहे वे पब्लिक सैक्टर में लगे या प्राइवेट सेक्टर में लगे, कुछ बड़ी इन्डस्ट्री लगाने की दिशा में सरकार कुछ कदम उठायेगी ऐसा हम मान कर चलते हैं।

दूसरी बात की तरफ हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और वह है जयपुर शहर की आबादी की समस्या के संबंध में। राज्यपाल महोदय ने जरूर इस बात का जिक्र किया है कि आवास समस्या को हल करने के लिए कोआपरेटिव बेसिस पर, हाऊसिंग बोर्ड के जरिये इस समस्या को हल किया जायेगा। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर की हमारी जो समस्या है वह एक स्पेशल प्रॉब्लम है और वह हमारे सामने खड़ी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में आबादी के भूखण्ड का सवाल है। इस सवाल को जितनी अर्जेन्सी देनी चाहिए अभी तक राज्य सरकार ने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया है। आप को सुन कर आश्चर्य होगा कि जब से यू० आई० टी० बनी है पिछले दस सालों में इस जयपुर शहर में जहां पर कि आबादी पिछले 20 सालों में डेढ लाख से बढ कर 5 लाख के ऊपर हो गई है परन्तु यहां पर जो आबादी की भूमि है, जो प्लाट्स हैं उनकी इस दृष्टि से बिक्री नहीं हुई है। आप सुन कर ताज्जुब करेंगे कि पिछले दस सालों में यू०आई०टी० की जो स्कीम मन्जूर हुई वह आखिरी 1963 में मन्जूर हुई थी और सन् 1963 के बाद आज तक कोई नई योजना आबादी के प्लॉट्स की मन्जूर नहीं हुई है और सन् 1963 में

(श्री पी० के० चौधरी)

जिसकी मन्जूरी हुई थी उसमें 6,000 रेसीडेशियल प्लाट्स थे लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले दस सालों से आज तक सिर्फ 2,900 प्लाट्स का ही वितरण हो सका है, बाकी का नहीं हो सका है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां पापुलेशन 400 प्रतिशत, 500 प्रतिशत बढ़ गई है वहां पर 2,900 प्लाट्स का वितरण पिछले दस सालों में हुआ है। मेरी मान्यता है कि राज्य सरकार आबादी के प्लाट्स की जो समस्या है उसको सीरियसली ले और राज्य स्तर पर इसको हल करने की कोशिश करेगी। मैंने यहां देखा है, और यह बताना चाहता हूं कि जयपुर में मैं बरसों से रहता हूं लेकिन इस चुनाव के दरम्यान कच्ची बस्तियों और पुराने शहर की गलियों में जाने का मुझे मौका मिला है। यह दुख की बात है कि वहां पर किस स्थिति में लोग रह रहे हैं, किस प्रकार की गन्दगी में वे रह रहे हैं। कहते हैं कि जयपुर शहर गुलाबी शहर है और बड़ा अच्छा शहर है लेकिन जो पुरानी बस्तियां हैं, चाहे अल्प संख्यकों की बस्तियां हों, हरिजनों की बस्ती हो, चाहे कच्ची बस्ती हो, वहां गन्दगी है। मैं समझता हूं कि किसी इन्सान के लिए उन बस्तियों में रहना, उन मोहल्लों में रहना एक बहुत ही कष्ट की बात है। हम चाहते हैं कि जो आबादी की समस्या है, उस समस्या की ओर विशेषरूप से ध्यान दें और कम से कम इस शहर की जो समस्या हम देख पाये हैं, उसमें केवल दस हजार या कुछ हजार प्लाट्स से ही यह समस्या हल नहीं हो पायेगी। इस समस्या का हल 2-3 साल में एक योजना बद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। मास्टर प्लान की बात हम सुनते हैं। बरसों से मास्टर प्लान की बात कही जा रही है। कम से कम 5/7 हजार प्लाट्स प्रतिवर्ष वितरण किये जाने चाहिए ताकि तीन या चार सालों में जयपुर शहर की आबादी की समस्या को हल किया जा सकता है। इसलिए मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि जयपुर की आबादी की जो समस्या है उसकी तरफ भी वह ध्यान दे और अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो जनता ध्यान दिलाने की कोशिश करेगी, यह मैं मानता हूं। 20 साल उसे सहते हुए हो गये जनता अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, ऐसा मेरा मानना है।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर के विकास के लिए एक बात और कहना चाहता हूं। जयपुर शहर में ट्रेडीशनल आरटीजन्स् हैं, मीनाकार हैं, मूर्तिकलाकार हैं, उनके विकास के लिए जितना ध्यान देना चाहिए, सरकार की तरफ से उतना ध्यान नहीं दिया गया है और मैं समझता हूं कि जो मूर्तिकला है, वह हिन्दुस्तान में अपना विशेष स्थान रखती है। हिन्दुस्तान में उसका एक अलग से स्थान है। इसके अलावा यहां पर जो कलाकार हैं, चाहे वे मूर्तिकला कलाकार हों, मीनाकार हैं या दूसरे आरटीजन्स् हों उनका डवलपमेन्ट हो, उसके विकास के लिए स्पेशल एजेन्सी कायम की जाये। यह सही है कि यहां पर एक हेन्डीक्राफ्ट्स का एम्पोरियम है। फिर भी मैं मानकर चलता हूं कि जितना ध्यान उनके विकास के लिए दिया जाना चाहिये हम अभी तक उस ओर नहीं दे पाये हैं और जो प्राब्लम्स हैं उनकी तरफ भी उतना ध्यान नहीं दे पाये हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो ट्रेडीशनल आर्टस् हैं जयपुर के हैं जैसे मूर्तिकला वगैरह उनके विकास के लिए और डवलपमेन्ट के लिए सरकार अवश्य ध्यान देगी, ऐसा मेरा मानना है।

(श्री पी० के० चौधरी)

दूसरी एक बात में यह और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट के एम्पलाईज हैं, स्टेट के एम्पलाईज हैं वे एसा महसूस करते हैं कि जयपुर शहर 'बी' केडर के शहर से कम नहीं हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे इस शहर का क्लासीफिकेशन नीचे रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि जयपुर शहर का क्लासीफिकेशन 'बी–1' का क्लासीफिकेशन हो जिससे यहां के रहने वाले सरकार के कर्मचारियों को और सैन्ट्रल के कर्मचारियों को जो सिटी अलाउन्स मिलता है उसमें बढ़ोत्तरी हो सके।

दूसरी बात में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में राजस्थान में सीमेन्ट बनाने के लिए काफी रॉ मेटीरियल के उपलब्धि की बात कही है। मैं इसके साथ ही यह कहना चाहता हूं कि जयपुर जिले में और उसके आस पास काफी कच्चा मेटीरियल उपलब्ध है, लाइम स्टोन उपलब्ध है और जिससे हम चाहते हैं कि हमारे जिले में एक सीमेन्ट फैक्टरी जयपुर जिले में लगाई जाय। जैसी कि उदयपुर में लगाई गई है और दूसरी जगह भी इसी प्रकार से लगाई जाय। जयपुर शहर के आस पास एक सीमेन्ट फैक्टरी लगाई जाय जिससे यहां की बेरोजगारी की समस्या हल हो सके और यहां पर जो इन्डस्ट्री के लिए मैटीरियल है उसका उचित उपयोग हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद को प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकर लाल।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय सदस्य पी० के० चौधरी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद का रखा है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सुनने के पश्चात् और उसको पढ़ने के पश्चात् वास्तव में यह बात तो महसूस होती है कि हमारे देश में इस प्रकार का लक्ष्य और जिस समाजवाद की प्रगति की तरफ हम जाना चाहते हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए इस प्रान्त में गत वर्ष में जो कुछ उपलब्धियां की, जो कुछ कार्य किये उसका सिंहावलोकन एक तरफ है और आन वाले साल के अन्दर राज्य सरकार क्या करना चाहती है उसका भी संक्षिप्त चित्रण है। भारत के संविधान की धारा 176 के अनुसार जब राज्यपाल महोदय किसी विधान सभा के अधिवेशन को आमंत्रित करते हैं और जिस मकसद से और उस समय उनका जो अभिभाषण होता है उस अभिभाषण के अनुसार जो मौजूदा अभिभाषण है उसको सुनने के पश्चात् और देखने के पश्चात् यह लगता है इस राजस्थान की विधान सभा के अधिवेशन में इस बजट के लिए और जो कुछ विधायी कार्य के लिए यह सत्र आमंत्रित किया गया है उसमें वास्तव में कई महत्वपूर्ण निर्णय इस सदन के माननीय सदस्यों को लेने हैं। उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन सर्व प्रथम मैं इसलिए करना चाहता हूं, हमारा देश और जो प्रान्त हैं उसके अन्दर जो जनसंख्या है वह अधिकतर ग्रामीण जन संख्या है। हमारा प्रान्त अधिकतर गांवों में बसा हुआ है और गांवों में अधिकतर किसानों से बसा हुआ है। हमारे राज्यपाल महोदय ने आशा व्यक्त करते हुए कहा है कि कृषि उत्पादन के अन्दर आने वाले साल के अन्दर करीब 76 लाख क० खाद्यान्न उत्पादन होगा और यह रेकार्ड उत्पादन होगा।

श्री दौलतराम सारण : रेकार्ड उत्पादन है।

श्री शंकरलाल : आपने पढ़ा नहीं है......

श्री दौलतराम सारण : आपने पढ़ा नहीं है, मैंने तो पढ़ा है इसीलिए तो मैं बता रहा हूं।

श्री शंकरलाल : मैंने पढ़ लिया है। इसलिए 70-71 में 76 लाख का उत्पादन होगा जो अब तक का रेकार्ड उत्पादन है और मैं समझता हूं हमारे राज्य के लिए एक श्रेयकर है। इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ कृषि के क्षेत्र के अन्दर राज्य सरकार ने जो जो कार्य किये हैं और जिस दृष्टि से किये हैं उसका अगर हम अवलोकन करें और जिन काश्तकारों को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए जिस आर्थिक कठिनाई का अनुभव होता था वह बैंकों के राष्ट्रीयकरण होने के पश्चात् इस राजस्थान के अन्दर समस्या का काफी हद तक समाधान हुआ है। जब हम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अनुसार देखते हैं तो चार करोड़ 38 लाख का जो ऋण है वह छोटे छोटे काश्तकार को मुहैया हुआ है, उनके उत्पादन बढ़ाने के लिए हुआ है। यह हमारे प्रान्त के लिए श्रेयकर है।

इसी संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगा, राज्य सरकार द्वारा छोटे छोटे काश्तकारों को ऋण देने के लिए जो गारन्टी देने के लिए सात करोड़ की सीमा रखी गई थी वह समाप्त हो चुकी है और राजस्थान सरकार को इन छोटे छोटे काश्तकारों को ऋण देने के लिये··

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : रिण नहीं, ऋण।

श्री शंकरलाल : वह तो आप सिन्धी में इस प्रकार का उच्चारण करते हैं। आप मतलब समझ गये यह काफी है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का ऋण लेने में छोटे छोटे काश्तकारों को गारन्टी की आवश्यकता है वह गारन्टी एक-दो जिले में नहीं हो बल्कि सब जिलों में जहां जहां जरूरत हैं वहां गारन्टी दी जाय तो वहां पर इस बैंक के राष्ट्रीयकरण से फायदा मिल सकेगा लेकिन अभी हमारे छोटे छोटे काश्तकारों को इसका फायदा नहीं मिल पाया है–यह बात जरूर है कि अभी समय कम हुआ है लेकिन इस समय की कमी के कारण अधिकतर ऋण बड़े बड़े लोगों और प्रभावशाली लोगों ने ही प्राप्त किया है। इसका एक कारण और है उपाध्यक्ष महोदय जो बातें ऋण लेने के लिए रखी गई है उनको अभी हमारे छोटे छोटे काश्तकार समझ नहीं पाते हैं। आज भी मुझे इस बात को स्वीकार करने में और कहने में संकोच नहीं है और वास्तव में यह बात अच्छी नहीं लगती कि बैंकों के अन्दर ऋण प्राप्त करने के अन्दर भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : बिल्कुल ठीक है।

श्री शंकरलाल : ऋण प्राप्त करने में कई कई प्रकार के फार्म भरने पड़ते हैं। कई कई प्रकार की तस्दीकें होती हैं। उस सारे जंजाल के अन्दर अभी हमारा काश्तकार सन्तुष्ट नहीं है और हमारा कोई भी कार्यकर्ता सन्तुष्ट नहीं है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का वास्तव में फायदा हमारे छोटे काश्तकर को नहीं मिला है, इसके लिए कुछ करना होगा। राज्य सरकार ने एस० डी० ओ० पर जिम्मेदारी डाली है लेकिन मैं समझता हूं उसका वास्तविक फायदा काश्तकार को नहीं मिल पाया है, यह पर्याप्त नहीं है। इस पर

(श्री शंकरलाल)

चिन्तन करना चाहिए । इस भाषण में बताया है भरतपुर, उदयपुर और अलवर में इस प्रकार की विकास एजन्सी कायम की गई हैं उसके जरिए काम होता है और चतुर्थ योजना में डेढ करोड़ की योजना स्वीकृत है। मुझे पूरा पता तो नहीं है कि ये विकास ऐजेन्सी किस प्रकार का काम करेगी लेकिन ऐसी ऐजेन्सी होना बहुत जरूरी है जो काश्तकारों को ऋण दिलाने में मदद करे, यह बहुत बड़ा काम होगा। इस लोकतन्त्र के अन्दर सरकार को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस काम को पूरा करना चाहिए।

इसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि राजस्थान के अन्दर कृषि उत्पादन के लिए जो री-फाइनेन्स की योजना मंजूर हुई है और जो कृषि वित्त निगम को 8 करोड़ 30 लाख की योजना स्वीकृत हुई जिसके अनुसार 10 जिलों में काम चलेगा वह भी मैं समझता हूं राजस्थान के लिये कृषि उत्पादन के लिये बहुत जरूरी है लेकिन मुझे जो अनुभव है–जैसे मेरे क्षेत्र जैतारण की री-फाइनेन्स की स्कीम भेजे काफी अर्सा हो गया है लेकिन वह अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है। यह स्वीकृत होती है बम्बई में रिजर्व बैंक से तो सरकार की तरफ से परस्यू करना चाहिये। सरकार द्वारा योजना भेजना काफी नहीं है। योजना तैयार करके वित्त निगम को भेजी जा चुकी है तो मेरे कहने का मतलब है योजना भेजना काफी नहीं होगा। योजना 8 करोड़ तीस लाख की मंजूर हुई है – सरकार को परस्यू करना चाहिये अपने प्रतिनिधि को भेजना चाहिये जिससे यह योजना स्वीकृत हो और जिससे बहुत कुछ लाभ कृषि उत्पादन में मिलने वाला है। इसके साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस कृषि से सम्बन्धित यह बात तो सही है जैसे राज्यपाल महोदय ने बताया इस साल के अन्दर बहुत से फर्टिलाइजर्स, कीट नाशक दवाइयां बांटी हैं और उत्पादन के अन्दर काफी आशा है लेकिन इसके साथ साथ कृषि के जो दूसरे मामले हैं – लैन्ड रिफार्म के जो दूसरे मामले हैं उनको भी हम देखते हैं तो मैं समझता हूं कुछ प्रगति तो अवश्य हुई है, किसानों से बात की जाती है तो यह बात सामने आती है .....

श्री हंसराज आर्य: उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(विराम)

नहीं है।

(गणपूर्ती घंटी)

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, म यह निवेदन कर रहा था कि इस कृषि के क्षत्र में जब तक हम भूमि से संबंधित जो कानून और नियम हैं उनके अन्दर पूरी तरह से सुधार नहीं लायेंगे तब तक उत्पादन में बाधायें आयेंगी। वैसे राज्य सरकार ने गये वर्ष में जो भी उपलब्धि प्राप्त की है, जो कानून में संशोधन किये, उदाहरणार्थ जो इसमें हवाला दिया गया है भूमि आवंटन के सिलसिले में उन्होंने गये साल के अन्दर 1 सितम्बर, 69 से नवम्बर 1970 तक अनसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को जो आवटंन किया गया है उसके आंकड़े हैं कि 70,600 भूमिहीनों को जमीन आंवटन की गयी। मैं समझता हूं कि यह बड़ी भारी उपलब्धि है।

इसके साथ ही साथ राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि आने वाली मई तक 50 परसेन्ट भूमि आंवटन में प्राथमिकता इन लोगों को दी जायेगी। साथ ही

(श्री शंकरलाल)

साथ यह भी घोषणा की गयी है कि जो सीलिंग का कानून है इसके अन्दर 1 अप्रेल, 71 तक जितनी भूमि है वह ले ली जायेगी और मई के अन्दर उसका आवंटन कर दिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, घोषणा तो अच्छी है लेकिन साथ में कानून का क्रियान्वयन भी जरूरी है क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो घोषणायें होती हैं उनका इम्पलीमेन्टेशन नहीं होता इसलिये मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे सीलिंग के क़ानून के लिए जो राज्य सरकार ने घाषणा की है उसी घोषणा के अनुसार आने वाली अप्रेल तक सीलिंग से अधिक जो जमीन है उसके ऊपर सरकार कब्जा कर ले और उसको बांट दे भूमिहीनों को तो मैं समझता हूं कि यह समाजवाद के लिए बहुत बड़ा कदम होगा और इसके लिए मुझे तो शंका है कि यह कार्य मई तक हो सकेगा या नहीं। इसलिए मैं सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपनी इस घोषणा के अनुसार जो राज्यपाल महोदय के भाषण में की गयी है उसकी क्रियान्विति के लिए कारगर और मजबूत कदम उठाये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी सही है कि भूमि के कानून के अन्दर जो दिक्कतें आई उनको दूर करने के लिए राज्य सरकार ने जो अध्यादेश निकाले और जिन्हें अब कानून का रूप दिया जायेगा जिसमें म्यूटेशन के मामले भी हैं और दूसरे मामले भी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि आम किसानों के अन्दर धारणा है कि सरकार हमारे से सरचार्ज की अनुचित वसूली करती है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हकीकत यह है कि जिन किसानों के पुराने मामले पुराने खातों के अनुसार चले आ रहे हैं उनके अन्दर परिवार के सदस्य बढ़ गये उनके खाते अलग अलग होने चाहिए थे लेकिन अलग अलग नहीं हुए तो पुरान खातों के अनुसार उनके ऊपर सरचार्ज लगाया जा रहा है जिससे आम किसानों के अन्दर असन्तोष व्याप्त था। वैसे इस बात की राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गयी कि किसानों को छूट है कि जिनके खाते अलग अलग नहीं हुए हैं वह उनको अभी भी अलग अलग करा सकते हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि म्यूटेशन करने का जो प्रासीजर है, जो इसकी प्रक्रिया है जब तक उस प्रक्रिया के अन्दर सुधार नहीं लाया जायगा तब तक चाहे कितनी भी घोषणायें कर दी जायें उसका पालन नहीं होगा क्योंकि मौजूदा नियमों के अनुसार जो पटवारी होता है वह म्यूटेशन किसानों के पंचायतों को पेश करता है। यह प्रासीजर लगते हैं और इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है और जो म्यूटेशन होना चाहिए वह नहीं होता है क्योंकि पटवारी लोग नहीं करते और दूसरे रिश्वत मांगते हैं। इसके अलावा हमारे जो किसान भाई वह इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वह जाकर म्यूटेशन करवाय। तो यह जो अधिकार पटवारियों को है पंचायतों को भी अधिकार होना चाहिए कि पटवारी म्यूटेशन नहीं भरे तो पंचायतों का आर्डर पटवारी को मान्य होना चाहिए कि वह पटवारी को कह सकें कि तुम म्यूटेशन भरकर दो। अभी पटवारी इसके लिए बाध्य नहीं है और यह भी है कि बहुतसी पंचायतों के अन्दर जहां राजनीति घुस जाती है तो कईयों के म्यूटेशन साल साल तक नहीं हो पाते हैं। इसलिए इसके अन्दर अवधि होनी चाहिए कि पटवारी के समक्ष महीने, दो महीने के

(श्री शंकरलाल)

अन्दर म्यूटेशन नहीं हो तो काश्तकार को म्यूटेशन तहसीलदार से भी कराने का अधिकार होना चाहिए अन्यथा म्यूटेशन के मामले में, सरचार्ज के मामले में जो गांवों के अन्दर बड़ा भारी असन्तोष व्याप्त है वह इसी तरह से मिटाया जा सकता है कि इस प्रक्रिया में सुधार लाया जाये और म्यूटेशन करने का जिम्मा राज्य सरकार अपने हाथ में ले। तहसीलदार से जांच कराई जाये किन किन के म्यूटेशन हो गये हैं। लोकतंत्र और समाजवाद के अन्दर जहां जनता ही सर्वोच्च शक्ति है वहां किसानों को आगे लाने के लिए सरकार को काम करना पड़ेगा जिससे वह अपने नियमों का पालन करके किसानों को राहत पहुंचा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ जो गांवों के अन्दर समस्यायें हैं वैसे इस भाषण के अन्दर हमने यह देखा है कि शहरों के अन्दर रहने की जो समस्या है उसको हल करने के लिए तो कुछ बातें इस भाषण में अंकित हैं कि शहरों के अन्दर जो बढ़ती हुई आबादी है उसके अन्दर मकान और बना कर समस्या का हल किया जाये। उसके लिए बताया गया है कि अजमेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा एवं उदयपुर में अल्प आय वाले व्यक्तियों के लिए 428 व मध्यम आय वाले व्यक्तियों के लिये 85 निर्मित गृह उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि शहरों में वास्तव में आवास की दिक्कत है लेकिन गांवों के अन्दर भी यह समस्या कम नहीं है। गांवों के अन्दर हम जाते हैं तो टूटे हुए खपरेल के अन्दर 15-15 और 20–20 आदमियों का परिवार रहता है और जब हम इस प्रकार की स्थिति देखते हैं तो हमें बड़ा चिन्तन होता है और इस बात की लज्जा आती है कि आज आजाद होने के बाद भी हमारे किसान, अन्नदाता गांवों में रहने वाले 15-15 और 20–20 आदमियों का परिवार एक टूटे हुए खपरेल और झोंपड़ी में रहे। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। वैसे रिहायशी मकानों के लिए प्लाट देने की बात गये सत्र में की गयी थी। अगर इसको देखा जाय, राज्य सरकार को अपनी घोषणा करने के बाद कितनी इसकी पालना होती है उसके भी आंकड़े मंगाने चाहिए। यह घोषणा की थी और राजस्थान के अन्दर माननीय सदस्यों ने बड़ा हर्ष प्रकट किया था कि गांवों के अन्दर प्लाट्स मुफ्त दिये जायेंगे लेकिन कई जगह तो प्लाट्स हैं ही नहीं और कई जगह प्लाट्स नहीं मिले और कहीं पर एक्वायर करने की समस्या आई हुई है। तो रहने की जो समस्या है गांवों में उनको प्लाट्स उपलब्ध कराने के साथ ही साथ रहने के मकान के लिए जिस प्रकार से शहरों में अल्प आय वाले और मध्यम आय वाले लोगों को ऋण दिया जाता है उसी प्रकार से गांवों के अन्दर भी काश्तकार या दूसरे श्रमिक हैं वह अपने मकान बनाना चाहें तो उनको भी इस प्रकार का ऋण दिया जाना चाहिए यह मेरा ठोस सुझाव है राज्य सरकार को क्योंकि शहरों के अन्दर लोगों को ऋण मिले और गांव वाले ऋण लेने के लिए जायें तो कहें कि यह समस्या सिर्फ शहरों के लिए है–तो यह न्याय नहीं है और इस बात का तो मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए हर्ष प्रकट करता हूं कि सहकारिता के अन्दर जिस समस्या को सुधारने के लिए निश्चित रूप से घोषणा की, सहकारी समितियां बनाई गयीं और उनके माध्यम से पिछड़े हुए लोगों को गृह आवास की समस्या का सुधार किया

(श्री शंकरलाल)

जायेगा लेकिन गए साल में भी इसकी घोषणा हुई थी लेकिन उसका रूप हमारे सामने नहीं आया । उसके अनुसार कितने लोगों को मदद मिली यह मालूम नहीं हुआ । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों के अन्दर आवास की समस्या को सुधारना बहुत जरूरी है अगर हम आर्थिक दृष्टि से हमारी जनता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जो जनता गांवों में है उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे मैं यह निवेदन करना चाहता था कि समाजवाद में पिछड़ी हुई जाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कारगर कदम उठाने पड़ते हैं । वैसे राज्य सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं। नौकरी के बारे में घोषणा की गयी कि साढ़े बारह परसेन्ट पहले रिजर्वेशन था वहां 17 परसेन्ट अनुसूचित जाति के लिए और 11 परसेन्ट अनुसूचित जन-जाति के लिए रिजर्वेशन रखा है । तो यह पिछड़ी हुई जातियों के लिए प्रोत्साहन है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि इन पिछड़ी हुई जातियों के लिए जो दूसरी चीजें हैं जैसे शिक्षा के बारे में वह बड़ी उपलब्धि है और जो होस्टल्स चलाते हैं वह होस्टल्स जिस तरह से चलने चाहिए वह उस प्रकार से नहीं चल पा रहे हैं ।

इसी प्रकार गांवों के अन्दर जो दूसरे अन्धे, लूले, लंगड़े या बुड्ढे आदमी हैं और जो इनको पेन्शन देने का प्रावधान है उसका पूरा फायदा गांवों के लूलों, लंगड़ों, अन्धों या बुड्ढों को नहीं मिलता है तो इसके लिए मैं समझता हूं कि पंचायत समितियां हैं जो इनके पास कोई अधिक काम नहीं है तो इनको एग्रीकलचर का काम दिया जाये दूसरे जो समाज कल्याण और क्षेत्र के काम हैं वे करवाये जांय, क्योंकि अन्धे आदमी जो होते हैं उनको वोट के टाइम पर तो खवों पर बैठाकर ले जाते हैं और वोट डलवाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष: वापस भी पहुंचाते हैं कि नहीं ?

श्री शंकरलाल : पहुंचाते हैं लेकिन उसके जीवन का क्या ? वापस पहुंचाना ही काफी नहीं है, लेकिन वह इस लोकतन्त्र के अन्दर महसूस करें कि उनके जीवन की चिन्ता की जाती है या नहीं । समाज-कल्याण विभाग में बुड्ढों के लिए जो पेन्शन का प्रावधान है उसका उन लोगों को पूरा फायदा पहुंचाने के लिए पंचायत समितियों के ऊपर जिम्मेदारी डालना चाहिए और ग्राम सेवक पर डालें क्योंकि पटवारी के पास बहुत काम है और पटवारी के पास जाने पर भ्रष्टाचार फैलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : यह काम आपको हाथ में लेना चाहिए ।

श्री शंकरलाल: उसको अपन पूरा कर नहीं पायेंगे । कहने की बात तो ठीक है, लेकिन एक एक एम०एल०ए० के क्षेत्र में 100-100 गांव होते हैं तो हरेक गांव में जाकर वह ऐसा नहीं कर पायेगा । यह हो सकता है कि खुद 5-10 को अपने साथ ले जा सकता है, लेकिन एक योजनाबद्ध तरीके से काम किस तरह से किया जाय कि जिससे लोगों को यह महसूस हो कि हमें फायदा हो रहा है । इसकी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं पर तो है ही, लेकिन दूसरी जो मशीनरी है ग्राम सेवक हैं, पंचायतें हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाय तो समाज के जो पिछड़े हुए

(श्री शंकरलाल)

लोग हैं उनको काफी मदद दे सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है और मैं समझता हूं कि यह बहुत जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकलचर के क्षेत्र में तो वास्तव में कुछ तरक्की हो रही है और ऐसे भी ज्यादा तरक्की हो रही है, लेकिन अपने एक प्रान्त के चौमुखी विकास के लिए और प्रान्त के आर्थिक दृष्टि से विकास के लिए कृषि और औद्योगिक विकास दोनों ही अनिवार्य है। जहां तक औद्योगिक विकास का प्रश्न है तो इस भाषण के अन्दर कुछ बातें ध्यान में आती हैं। इसमें यह कहा गया है–16 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है जिनके विकास हेतु सस्ती दर पर ऋण-व्यवस्था औद्योगिक विकास बैंकों के माध्यम से की गई है एवं इन जिलों को अन्य जिलों की अपेक्षा अतिरिक्त सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी बताया गया है पब्लिक सेक्टर के अन्दर उन्होंने तीन कारखानें वनस्पति घी के जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में लगाये हैं। इसी प्रकार स्कूटर संयंत्र और ट्रैक्टर संयंत्र लगाने की बात कही है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार जब गांवों के अन्दर जो छोटे उद्योग करने वाले लोग हैं उनके उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं देंगे तब तक गांव आर्थिक दृष्टि से गांव आगे नहीं बढ़ पायेंगे। उदाहरण के तौर पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गांव का कुम्हार है, खेतिहर है, लुहार है और जो छोटे छोटे काम परम्परा से करने वाले लोग हैं उनका कोई विकास नहीं हुआ है। ऋण उन लोगों को दिया गया है जो बड़े उद्योग लगाने वाले हैं या ऐसे लोगों को मिलेगा जो गांवों में स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन लोगों को भी जैसे काश्तकारों को ऋण दिया जाता है उसी प्रकार कुम्हारों को, लुहारों को और गांवों में जो छोटे उद्योग करने वाले लोग हैं इनको भी ऋण देना बहुत जरूरी है, और इनको ऋण देने से ही गांवों की आर्थिक व्यवस्था सुधार सकती है। हम गांवों में जाते हैं तो कहते हैं कि खेती के लिए, काम के लिए पैसा चाहिए। तो इनके लिए भी प्रावधान होना चाहिए। तो, उपाध्यक्ष महोदय, ओद्योगिक दृष्टि से बड़े बड़े कारखाने लगाने की बात कही गई है वह ठीक है, लेकिन इनके अलावा और दूसरे कारखानें कोआपरेटिव सेक्टर में भी लगायें जांय जिससे कि हम समाजवाद की तरफ बढ़ सकें। गांवों में छोटे उद्योग करने वाले लोगों को भी ऋण देकर उनके उद्योगों को बढ़ाया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग और कृषि विकास के साथ-साथ दूसरी डेवलपमेन्ट की स्कीम हैं उनके बारे में इसके अन्दर जो बात कही गई है वह काफी सन्तोषजनक है। यह बताया गया है–"राज्य में विकास की गति को बनाये रखने हेतु चालू वर्ष में 56 करोड़ 34 लाख रुपये की वार्षिक योजना पर कार्य चल रहा है। इसमें से 35 करोड़ 67 लाख रुपये अर्थात 63 प्रतिशत सिंचाई एवं परियोजनाओं पर जिनको कि उच्चतम प्राथमिकता दी गई है, पर व्यय किये जाने का प्रावधान है।" उपाध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इसकी आवश्यकता को देखते हैं बिजली की, तो मैं समझता हूं कि बिजली के क्षेत्र के अन्दर हम बहुत पिछड़े हुए हैं। चाहे कृषि के लिए बिजली की जरूरत हो, चाहे उद्योग के लिए जली की जरूरत हो, चाहे आदमी के

(श्री शंकरलाल)

प्राइवेट काम के लिए जरूरत हो, इनके लिए जितनी मांग हमारे राजस्थान के अन्दर, गांवों के अन्दर है जितनी उसकी कैपेसिटी है उनकी मांग को महसूस करते हुए राज्य सरकार को चाहिए कि हम बिजली के क्षेत्र में और आगे बढ़ें। इसके लिए वैसे हरियाणा का उदाहरण हमारे सामने है-यह कहा जा सकता है कि हरियाणा छोटा सा प्रान्त है, लेकिन राजस्थान के अपने साधन हैं जिन्हें उसे केन्द्रित करना चाहिए, क्योंकि गांवों में जहां पर गहरे कुए हैं और पानी नीचे है उसको निकालने के लिए बिजली सस्ती काश्तकारों को पड़ सकती है और इससे गांवों के अन्दर विकास हो सकता है। तो बिजली का प्रश्न, मैं समझता हूं, आवश्यक प्रश्न है और इसकी तरफ सरकार को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए।

श्री विजयसिंह : यह पार्टी मीटिंग में कहिए।

श्री शंकरलाल : यह आप भी सुन लें। राज्यपाल महोदय का भाषण आपके लिए भी है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि इसके अलावा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर राजस्थान के अन्दर पेयजल की समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है, और यह भी बताया गया है कि शहरों के अन्दर कितनी योजनाऐं हो चुकी हैं। केवल ऐसे 10 शहर बाकी हैं जहां इन योजनाओं को लागू करना है, और गांवों के अन्दर पेयजल पर कितनी प्रगति की गई है, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पेयजल की समस्या के बारे में जो गैरसरकारी संकल्प लाया गया था माननीय रघुनाथजी विश्नोई की तरफ से और जिसका हम सदस्यों ने समर्थन किया था और शायद वह पारित भी हुआ था। उसी के अनुसार राजस्थान के अन्दर, चाहे बाड़मेर में हो, चाहे जैसलमेर में हो, लेकिन राजस्थान के अन्दर पेयजल की समस्या का निवारण करने के लिए जब तक स्पेशल प्रयत्न नहीं किये जायेंगे--अब तक जो प्रयत्न किये गये हैं वे तो सराहनीय हैं हीं लेकिन पर्याप्त नहीं कहे जा सकते हैं। इसलिए राजस्थान में पेयजल की समस्या के निवारण के बारे में बोर्ड की स्थापना के लिए संकल्प था तो उस बोर्ड की स्थापना होना चाहिए। राजस्थान के अन्दर कम से कम इस लोकतन्त्र के युग में समाजवाद के इस बुलन्द नारे के साथ-साथ गांवों के अन्दर लोगों को पीने के पानी के लिए मीलों न जाना पड़े, यह मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। इस समस्या की तरफ और भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की उपलब्धियों की ओर ध्यान दिलाते हुए राज्यपाल महोदय ने यह बताया है--"चालू वर्ष में 3,513 कुओं को ब्लास्टिंग द्वारा गहरा किया गया जिनसे लगभग 3 हजार हैक्टर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई हो सकेगी। 21 कुओं में बोरिंग किया गया था तथा 85 नल-कूप बनाये गये......

श्री उपाध्यक्ष : ये आंकड़े नहीं बताते तो ज्यादा अच्छा रहता।

श्री शंकरलाल : ये आंकड़े उत्साहवर्धक नहीं हैं राजस्थान में कुओं की संख्या को देखते हुए। इसका कारण है, उपाध्यक्ष महोदय, वह कारण यह है कि वास्तव के अन्दर राजस्थान में जो इकोनोमी है वह एग्रीकल्चर बेस्ड है और वह कुओं पर निर्भर है।

(श्री शंकरलाल)

वहां पर आज कमी क्यों होती है ? मान लें कि वह सक्सेसफुल नहीं होती है तो उसके लिए लीनियेन्सी रखनी चाहिए । जिससे कि काश्तकार फायदा उठाने के लिए आगे आवें । कई काश्तकार यह मान लेते हैं कि सफलता होती नहीं है । इसलिए अण्डर-ग्राउण्ड वाटर बोर्ड को यह बहुत जरूरी चीज है । इसके लिए राज्य सरकार को विशेष प्रयत्न करना चाहिए । यह अच्छी बात है जैसा कि बताया है कि जैसलमेर और बाड़मेर में भू-जल भण्डारों का पता लगा है। 75 नल-कूप का प्रस्ताव भी विचाराधीन है । उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में परीक्षण भी किया गया है । निम्बोद गांव में यह बनाया गया है । इसी तरह से पाली जिले के फोड़ गांव में परीक्षण किया है । उसकी रिपोर्ट है वह सक्सेसफुल हो सकती है। हो सकता है कि अर्थ व्यवस्था का कारण हो । राज्य सरकार को चाहिए कि एसे काम के लिए अर्थ को जुटाये । इससे गांवों की अर्थ व्यवस्था में काफी सुधार हो सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष : इससे छोटे कुए सूख जायेंगे ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं ।

श्री शंकरलाल : हर जगह एक ही बात नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप के यहां यह बात लागू होती है ।

श्री शंकरलाल : जी हां ।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, जैसा कि आप ने बांध बनाने के लिए किया है । जैतारण, चावंडिया में पानी नहीं आता है । वहां यह पता चला है कि वहां नल-कूप हो सकते हैं । सरकार वहां नल-कूप बनादे, वहां की पंचायत समिति भी तैयार है । ऐसी कई जगह है जहां अण्डरग्राउण्ड वाटर बोर्ड से फायदा पहुंचाया जा सकता है । उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने राजस्थान नहर के लिए जो कहा जो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने यह कहा है कि वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है क्यों कि हर साल रेत भर जाती है। राजस्थान नहर परियोजना के बारे में उन्होंने जो कहा उससे खर्चा पूरा होने वाला नहीं है । उन्होंने कहा है कि केन्द्रीय सरकार से हमने बात की है । मैं समझता हूं कि इस मामले को शीघ्रता से हाथ में लेना चाहिए । हमारे राजस्थान के जो एम० पीज० हैं चाहे वह इस पार्टी के हों चाहे वह उस पार्टी के हों उनको और विधान सभा का इस बारे में जोरदार ढंग से कहना चाहिए। यह राजस्थान नहर की योजना राष्ट्रीय योजना है । इसलिए जल्दी से फैसला लिया जाये और उसको पूरा किया जाये । तो मैं समझूंगा कि राजस्थान को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है । क्योंकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में केवल 7 करोड़ ही निर्धारित किया गया है । राज्य सरकार ने कई बार अनुरोध किया है। लेकिन इस अनुरोध को पूरा करके उसको राष्ट्रीय योजना बनाया जाये । यह राष्ट्रीय योजना है । इस नहर के द्वारा मैं समझता हूं कि राजस्थान का भविष्य और कितने दूसरे प्रान्तों का भविष्य उज्जवल हो सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार राज्यपाल

(श्री शंकरलाल)

पाल महोदय ने कई और बातें बताई हैं। अन्‌एम्प्लॉयमेन्ट के बारे में बताया है कि डिस्ट्रिक्टवाइज एक हजार बेरोजगार आदमियों को रोजगार देने का काम दिया जा रहा है। जिन परिवारों का कोई भी आदमी रोजगार में नहीं लगा है, उसको दिया जाएगा। तो इस प्रकार हर जिले में लोग रोजगार से लग सकेंगे। 26 जिले हैं। 26 हजार आदमी काम में लग सकेंगे। हम को एम्प्लायमेन्ट नियोजन विभाग से जो पुस्तिका मिली है, उसमें 31,706 आदमी अन्‌एम्प्लॉयमेण्ट में हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उसके बाद और भी होंगे।

श्री विजयसिंह : उससे तो आप को फायदा होगा, वोट मांगने में।

श्री शंकरलाल : वोट की बात तो चुनावों में कर ली है। जवाब भी मिल गया होगा।

हमें यह सोचना है कि अन्‌एम्प्लॉयमेण्ट की समस्या को किस प्रकार हल किया जाय। वैसे हमारी प्रधान मन्त्री ने और कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है। इसके लिए जल्दी से जल्दी कदम उठाये जायेंगे। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि राज्यस्तर पर जो यह कदम उठा रहे हैं वह उठाना चाहिए। वैसे यह कहा गया है कि हमने डिप्लोमा होल्डरों को काम दिया है। 65 डिप्लोमा होल्डरों को प्रशिक्षण दिलाया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रशिक्षण दिलाया है, रोजगार नहीं।

श्री शंकरलाल : ये आदमी जो··· ···

श्री विजयसिंह : ये जो 36 मिनिस्टर हैं ये भी बेरोजगार दिखते हैं?

श्री शंकरलाल : यह तो आप हमेशा ही कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो अगले चुनाव परिणाम पर निर्भर करेगा। (हंसी)

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है। जो भी आदमी धन्धा करता है उसको बैंक से पैसा मिल जाये। काश्तकार को लैण्ड पर कर्जा दे दिया जाता है। दूसरे जो आदमी है उनको किस प्रकार कर्जा मिले। इसके लिए जिस प्रकार से काश्तकारों के लिए सरकार गारण्टी देती है, उसी प्रकार से अन्य लोगों के लिए भी हो।

श्री उपाध्यक्ष : एक पुराना सागड़ी कानून भी था।

श्री शंकरलाल : क्या साहब?

श्री उपाध्यक्ष : एक सागड़ी प्रथा भी थी।

श्री शंकरलाल : वह तो गुलामी की प्रथा थी।

एक माननीय सदस्य : राजाओं के प्रिवीपर्स जायेंगे तब तक....

श्री विजयसिंह : सबसे बड़े मुगले आजम तो सुखाड़िया जी हैं।

श्री शंकरलाल : ये गुलामी उलामी सब मिट जायेगी।

श्री रामकिशन : राजस्थान में बेरोजगारों की संख्या कितनी है? कितने बेरोजगार हैं?

श्री शंकरलाल : ऐसा है, यह प्रतिवेदन आपको भी मिला होगा, कल मिला है सभी को, माननीय सदस्यों को, इसमें आंकड़े दिये गये हैं उसके आधार पर बताया ।

श्री रामकिशन : इसमें नहीं बताया है। 87 हजार बताये हुए हैं ।

श्री शंकरलाल : 87 हजार बताये हैं। मैं मानता हूं कि बेरोजगारों की संख्या, सही संख्या पता लगाना मुश्किल है। मानलो, बेरोजगारी की समस्या है-इससे इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस समस्या को मिटाने के लिए हमें गम्भीरता-पूर्वक, चाहे इधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों, चाहे उधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों-सुझाव सरकार को देने चाहिए और सरकार को गम्भीरतापूर्वक सोच विचार करके कदम उठाने चाहिए । जो आंकड़े राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में दिये हैं - उनसे नहीं लगता है कि बेरोजगारी की समस्या को सरकार जल्दी मिटा पायेगी, इसलिए इस पर पुनर्विचार करके राज्य सरकार को चाहिए कि इस बेरोजगारी की समस्या को कैसे खत्म किया जाय-इसके बारे में गहरा चिन्तन करना चाहिए और स्पेशल कार्यवाही इसके बारे में करनी चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, राज्यपाल महोदय ने अपने अभि-भाषण के अन्दर सब महत्वपूर्ण बातों का सिंहावलोकन करके आगे के लिए कुछ बातें बतलाई हैं । एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि जो राज्यपाल महोदय ने एक बात अभिभाषण में प्रारम्भ की कही है, उसके आगे मैं कहना चाहता हूं कि अकाल के अन्दर राज्य सरकार ने बहुत अच्छा और ऐतिहासिक काम किया है और अकाल का स्थाई हल निकालने के लिए राज्य सरकार ने दो करोड़ रुपये की स्कीम दस जिलों के लिए मंजूर करवाई है, लेकिन अभी तक वह कार्य चालू नहीं हुए हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि सड़कों के, सिंचाई के, भू-संरक्षण के जितने अधूरे कार्य ह वह हाथ में लिये जायं । अधूरे कार्यों को हाथ में लेना वास्तव में बहुत जरूरी है, उनको प्राथमिकता देना जरूरी है । एक और निवेदन करना चाहूंगा, खासतौर से सार्वजनिक निर्माण मंत्री यहां विराजे हुए हैं उनसे, कि यह जो सड़कें फैमिन में बनी हैं, उसमें से बहुत सी अधूरी रह गई हैं जो आगे आपके प्रोग्राम के अन्दर बनेंगी । इसके अलावा फैमिन में जो सड़कें बनी हैं उनके मेन्टेनेन्स की जिम्मेदारी आपके विभाग को लेनी चाहिए। जब सड़कें बन जाती हैं तो गांव वाले बड़े खुश होते हैं और हम भी खुश होते हैं, लेकिन जब बनने के बाद टूट जाती हैं और टूटने के बाद जो पहले रास्ता था उस रास्ते से भी बुरी शक्ल सड़क की बन जाती है। इस कारण लोग कहते हैं कि इससे अच्छा तो सड़क नहीं बनती। सड़क नहीं बनती तो जो सीधा रास्ता था वह रहता, उस पर रेत रहती, हालत यह है कि सड़क बनने के बाद मेन्टेनेन्स नहीं होती है और उनको देखने वाला कोई धनी धोरी नहीं होता है, इस कारण सड़कों की दुदर्शा होती है। इसलिए सड़कों की मेन्टेनेन्स करने के लिए पूंजी हो और इसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग को लेनी चाहिये, जिससे जो करोड़ों रुपया खर्च होता है, उसका सदुपयोग हो। इसके अलावा फैमिन में जो दूसरे सिंचाई के, भू-संरक्षण के कार्य अधूरे रह गये हैं उनको हाथ में लेना चाहिए और जो हाथ में लिये ह उन कामों को पूरा करना चाहिए।

(श्री शंकरलाल)

एक खास तौर पर शिकायत, उपाध्यक्ष महोदय, मिलती है वह यह है कि कई जगह अकाल राहत के कामों, जो हुए, की मजदूरी, छिटपुट मजदूरी कई गांवों के मजदूरों की बाकी रह गई है। इसके कई कारण हैं कई गांवों के अन्दर मजदूरी देने के लिये गये लेकिन वहां मजदूर हाजिर नहीं थे इसलिये उनको मजदूरी नहीं दी जा सकी, दूसरे कई गांवों में इत्तला नहीं दी, इसलिये मजदूर वहां न मिलने के कारण उनकी मजदूरी बाकी रह गई कई जगह, इसलिये बीस की बकाया है, कई जगह पचास की बकाया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में सेंदड़ा, चांद, शोडपुरा, रेलड़ा आदि हैं, जिनके मजदूरों की सिंचाई विभाग के कामों की मजदूरी बाकी है। यह जो अनपेड लेबर का प्रश्न है, यह दुर्भाग्य का विषय है। जो अनपेड लेबर रह जाती है, उसको लोग डिपार्टमेंट में जमा कर देते हैं अब जिन आदमियों की, मान लें कि दस आदमियों की मजदूरी बाकी है वह उसे लेने के लिये डिस्ट्रिक्ट में जायं तो आने-जाने में उनके दस रुपये खर्च हो जावें। इसलिये मैं समझता हूं कि जिनकी मजदूरी बाकी रह गई है, चाहे वह सार्वजनिक निर्माण विभाग की हो, चाहे सिंचाई विभाग की हो, चाहे भू-संरक्षण विभाग की हो उनको मजदूरी पहुंचाने का काम पंचायत समिति के मार्फत राज्य सरकार को करना चाहिए। आज पंचायत समिति के पास काफी स्टाफ बैठा हुआ है, उनके द्वारा जो काम होने चाहिए वह नहीं होते हैं, इसलिए यह काम उनसे लेना चाहिए और जो अनपेड लेबर हैं उसके लिए वह जिम्मेदारी लें कि जिन लोगों को मजदूरी नहीं मिली है उनको मजदूरी दिलवाई जायगी, वरना कई गांवों में इस कारण से असंतोष है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया, उसमें बताया कि कई महत्वपूर्ण बातें इस सत्र के अन्दर हमारे सामन आने वाली हैं। इस प्रकार का उन्होंने संकेत किया है। यह सब कुल-मिला कर देखते हैं तो वास्तव में उनका जो अभिभाषण है वह वास्तव में धन्यवाद के योग्य है। इसलिए माननीय पी०के०चौधरी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है उसका इन शब्दों के साथ समर्थन करता हूं और सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव को सदन द्वारा पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्पाल महोदय के अभिभाषण में गत मध्यावधि चुनाव शांति रूप से सम्पन्न हुए—इस संबंध में जो संकेत है उससे पूर्णतया मैं सहमत नहीं हूं। जनतंत्र के सिद्धान्तों के अनुसार हमको जनता जनार्दन का निर्णय है उसको मानना पड़ेगा, मानना चाहिये और मान लेना ही उपयुक्त होगा। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि जो कुछ चुनाव में हुआ है वह सभी हम मान लें। अगर चुनाव के अन्दर कमियां हैं तो विरोधी पक्ष के नाते जो हमारा अनुभव है, जो चीजें हमने देखी हैं, जो अनियमितता देखी हैं—उस संबंध में भी इस सदन के अन्दर चर्चा की जाय और अपने विचार व्यक्त किये जायं।

सर्व प्रथम मैं यह कहूंगा कि यह गत चुनाव शन्ति रूप से सम्पन्न राजस्थान में नहीं हुए। इतना मैं अवश्य कहूंगा कि दूसरे राज्यों

(श्री लक्ष्मणसिंह)

के मुकाबले में सम्भवत: राजस्थान में चुनाव शांति रूप से सम्पन्न हुए । बहुत से दूसरे राज्यों में तो बहुत कुछ निम्नस्तरीय हिंसा के काम, गुण्डागर्दी भी हुई, थोड़ी बहुत यहां भी हुई—यह निर्विवादित बात है और यह कह कर कर मैं चलूं कि शासनारूढ दल की तरफ से ही यह हुआ या कांग्रेस जगजीवनराम के पक्ष से ही हुआ और विपक्ष के लोगों के द्वारा नहीं हुआ तो यह भी अवास्तविक चीज होगी । दोनो पक्षों का थोड़ा बहुत दोष इस वातावरण को उत्पन्न करने का, उत्तेजना उत्पन्न पैदा करने का होता है—यह निर्विवादित बात है । लेकिन उसके साथ साथ मैं यह अवश्य कहूंगा कि शासनारूढ दल की तरफ से अगर दस बारह अनियमित्ता हुई होंगी तो विपक्षी दलों की और से सम्भवत: छ: आनी, चार आनी अनियमित्तायें हुई होंगी...

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : नहीं नहीं चौदह आना ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : खास तौर से मैं नहीं कहता.........

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हमारे यहां चौदह आना है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : लेकिन बहुत से ऐसे गांव हैं जहां कोई विपक्षी दल के लोग पहुंच नहीं सकते थे.........

श्री रामकिशन : चौदह आना इसलिये कह रहे हैं, अकाल के लिये समझ रहे हैं । इसलिये ज्यादा बढ़ा कर कह रहे हैं । इन्हें अकाल की आदत पड़ी हुई है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उस तरफ आऊंगा जिसके लिये माननीय सदस्य न संकेत किया है ।

बहुत से गांव ऐसे थे, जहां विपक्षी दल के लोग जाते तो मारामारी होती, पथराव होता । यह थोड़ा बहुत चुनाव के दौरान होना चाहिये, फिर आखिर होली का मौसम था, इसलिये होली फाग खेलनी चाहिये, लेकिन अनियमितता और इस प्रकार का वातावरण एक हद के बाहर होता है तो मेरे ख्याल में चुनाव निष्पक्ष रूप से सम्पन्न होना असम्भव है और जनतंत्रीय प्रणाली में यह प्रतिक्रिया शोभायमान होना मैं नहीं समझता कि उचित है । मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन बहुत से क्षेत्रों के अन्दर ऐसा हुआ कि जहां विपक्षी दलों के पोलिंग एजेन्ट तक भी नहीं भेजे जा सके, लोगों को दबाव के जरिये कहा गया कि मार डालेंगे अगर कांग्रेस को वोट नहीं दोगे । बहुत से जगह यह भी कहा गया कि आप मतदान करने के लिये आयेंगे और हमारे आश्वासन के विपरीत अगर मत देकर जायंगे तो हम आपको समझ लेंगे । ये सब चीजें बहुत अशोभनीय हैं और जनतंत्र के लिय एक हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न करने वाली चीजे ही नहीं हैं लेकिन जनतंत्र को ह्वास और नष्ट करने वाली चीजे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना मैं अपना पुनीत कर्त्तव्य समझता हूं कि इलेक्टोरल रोल्स अपटुडेट नहीं हैं । म्युनिसिपल इलेक्टोरल रोल्स जो थे उनमें मैं समझता हूं कि 90-92 प्रतिशत जो नाम लिखे हुए थे वे बिल्कुल दुरुस्त थे, वास्तविक थे लेकिन इस जयपुर नगर के लिये मैं दावे के साथ कह सकता हूं खास तौर से वाल्ड सिटी के अन्दर की आबादी कम से कम 30 हजार मतदाताओं के नाम वोटर्स लिस्ट के

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

के अन्दर नहीं हैं। इस बारे में मैं चुनाव फेयर और निष्पक्ष रखने के लिये पुरजोर शब्दों में संकेत करूंगा कि इस कमी को दूर किया जाय और मतदाताओं की सूचियों को वास्तविक रूप से ठीक किया जाय।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूं, यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है परन्तु निष्पक्ष चुनावों के लिये मेरे ख्याल से यह आवश्यक है कि जो सर्कट हाउसेज, डाक बंगलें वगैरह हैं, वहां ठहरने की व्यवस्था हो वह शासनारूढ दल के लिये भी वह व्यवस्था होनी चाहिये तो विपक्ष के लोगों के लिये भी वहां वह व्यवस्था होनी चाहिये। अगर शासनारूढ़ ही सर्कटहाउस और डाक बंगलों में मोनापाली करके बैठ जाय, दूसरे किसी को आने नहीं दें, ठहरने नहीं दें, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार के लिये प्रशासनिक रूप से यह अभद्र और पक्षपूर्ण नीति है। इसमें भी सरकार विचार करके मेरी शिकायत को निवारण करने की भविष्य में सरकार चेष्टा करे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

श्री विजयसिंह : ट्राई टू अंडरस्टेंड भीखाभाई।

श्री लक्ष्मणसिंह : धरियावद डाक बंगलों में कांग्रेस के लोग नहीं ठहरे थे। दो कमरे बिल्कुल खाली थे। वहां ए०ई एन० ने कहा, कहां तक ठीक है, मैं कह नहीं सकता लेकिन यह कहा कि मुख्य मंत्री के लिये दोनों कमरे रिजर्व्ड हैं। मुख्य मंत्री के लिये अगर रिजर्व्ड कमरे हों तो एक हो। मुख्य मंत्री अगर समाजवाद के हामी हों तो एक मुख्य मंत्री के लिये दो कमरे रिजर्व्ड हों, यह एन्टी-सोशल है अनुचित है.....

श्री विजय सिंह : एक में ड्राइवर ठहरता है।

श्री लक्ष्मणसिंह: संभवत : ए० ईएन० ठहरता हो या उसका सामान हो। दूसरी बात सरकारी वाहनों की भी कोई लिमिट होनी चाहिये। आखिरकार यह जनतंत्र है। इसकी निष्पक्षता एक महत्वपूर्ण विषय है। सरकारी गाड़ियों के अंदर आमतौर से प्रधान भी बैठते हैं, एम० एल० ए० भी बैठते है और दूसरे कर्मचारी भी बैठकर जो प्रचार करते हैं कांग्रेस के लिये, यह एक निंदास्पद बात है, मैं इसका विरोध किये बिना नहीं रह सकता। बहुत बड़े बड़े ट्रक्स सिंचाई विभाग के, उनके अन्दर मतदाताओं को लाया जाता है और उनसे मतदान करवाया जाता है, उनको फिर वापस भेजा जाता है। इस संबंध में मैंने बहुत सी शिकायतें कीं। उसमें मैं निष्पक्ष रूप से कहूंगा कि 50 प्रतिशत शिकायतों पर व्यवस्था भी की गई, रोकथाम भी की गई लेकिन 50 प्रतिशत शिकायतें थीं वह बिल्कुल बहरे कानों पर पड़ी जो सत्ता के अन्दर बिल्कुल बेहोश होकर बैठे हैं, कुछ ध्यान नहीं दिया। संभवतः कर्मचारियों को दवा भी दिया गया हो कि विरोधी पक्ष की ऐसी शिकायतें आयें तो सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज केवल मात्र शासनारूढ दल का मुख्य कर्त्तव्य है कि कुर्सी पर चिपके रहना किसी कीमत पर चाहे चुनाव ठीक तरह से हो या अनुचित रूप से हो .....

श्री विजयसिंह : अब तो बैंचें पकड़ी हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : शराब के ठेकेदारों से शराब की बिक्री के अनुपात में उनसे चन्दा और नजराना लिया गया, ट्रक मालिकों से चंदा लिया गया, पी० डबल्यू० डी० ठेकेदारों से चन्दा लिया गया, वह मेरे ख्याल से

(श्री लक्ष्मणसिंह)

जनतंत्र को जीवित रखने वाली प्रणाली नहीं है, धीरे धीरे भ्रष्ट अधिनायकवाद हमारे देश में लाएगी और विरोधी पक्ष की आवश्यकता नहीं रहेगी, विरोध नहीं कर सकेंगे। अगर इस तरह की प्रक्रिया चाहते हैं अपनाना तो एक दिन आएगा, क्रान्ति उत्पन्न होगी और क्रान्ति के साथ फिर सरकार का परिवर्तन हो सकता है।

यह हिंसा का वातावरण जो देश म है, इसका प्रारम्भ बंगाल में हुआ और शनःशनः इसका असर राजस्थान में होने चला है, यह दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है और अगर समय रहते हुए इस संबंध में कोई रोकथाम नहीं की गई तो फिर इस समस्या का हल निकालना भी बहुत मुश्किल हो जायगा।

स्थगन प्रस्ताव के द्वारा इस सदन में महाराजा किशनगढ की निमर्म हत्या के संबंध में बहुत सारी बातें कही गई। आरोप और प्रत्यारोपों के अंदर में नहीं जाना चाहता जो कुछ भी हुआ है, मैं आशा करता हूं निष्पक्ष रूप से तनदेही के साथ इस संबंध में जो सत्य है, उस पर सरकार पहुंचने का, भरसक प्रयास के द्वारा चेष्टा करती है।

उपाध्यक्ष महोदय, महाराजा किशनगढ़ की मृत्यु संदिग्ध वातावरण के अंदर हुई, यह निर्विवाद बात है। पहले चुनाव में महाराजा हनुवन्तसिंह की मृत्यु हुई, दूसरे चुनाव में महाराजा हरिश्चन्द्र की मृत्यु हुई और अभी इन मध्यावधि चुनावों से 12 दिन पहले महा राजा किशनगढ़ की मृत्यु हुई। यह सब कोइन्सीडेंस हुआ, मैं इस बात को मुश्किल से मानूंगा और मुझे दुख हुआ देखकर सदन के एक सम्माननीय सदस्य को। हम सब में कमजोरियां होती हैं, उनमें भी कोई दुर्बलता है, वह पीछे बैठ हुए कुछ न कुछ अपने मन में बातें कर रहे थे। खैर उसकी कमजोरियों कुछ भी हो लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय खड़े होकर और आसन की तरफ संकेते करते हैं कि पीछे वाले माननीय सदस्य कुछ बोल रहे हैं, उनसे भी कुछ पूछिये क्या बात है। खेद का विषय है कि एक तरफ सम्माननीय सदस्य के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो और दूसरी तरफ मंत्री महोदय, खास तौर से गृह मंत्री महोदय, खड़े होकर इस तरह से हास्यास्पद स्थिति इस सदन में उत्पन्न करें मेरे ख्याल से राज्य सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के लिये सर्वथा अशोभनीय है।

हमारे समाज में सबसे बड़ा स्थान किसान का है।

किसान सच्चे रूप में हमारे रीढ़ की हड्डी है। मैं समझता हूं कि सरकार की नीति किसान विरोधी नीति है। सन् 1967 के अन्दर छोटे किसान को खुशहाल बनाने के लिये, उसको लगान से मुक्त करने के लिये राजस्थान सरकार के द्वारा इसी सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह संकेत किया गया था कि पन्द्रह बीघा से कम भूमि वाले किसान को लगान से मुक्ति दे दी जावेगी लेकिन इस सरकार की कथनी और करनी बिल्कुल अलग है। वह आश्वासन जिस प्रकार थूक कर चाटते हैं उसी तरह सरकार ने उस आश्वासन पर मुकर करके जो राज्यपाल महोदय के द्वारा इस सदन के अन्दर आश्वासन दिये गये थे उसको भी वापिस लेकर छोटे किसान को 15 बीघा जमीन पर जो लगान की माफी दी थी उसको भी रद्द कर दिया है। जब इनकम टैक्स, आयकर से तीन हजार आमदनी तक

Page No.94

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

छूट देते हैं तो कम से कम किसान के लिये कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिये । मैं यह मानकर चलता हूं कि गरीब किसान और खासकर 15 बीघा से कम भूमि वाले किसान को यू० पी० और बिहार में भी इस प्रकार की नीति अपनाने का संकेत हुआ है, सरकार को भी इसको छोड़ना चाहिये और सन् 1967 में राज्यपाल महोदय के द्वारा जो सदन में आश्वासन दिया गया उसका पालन करना चाहिये ।

उड़ीसा सरकार सर्वप्रथम सरकार थी, जो हमारे दल की सरकार थी, उसने इस नीति को अपनाया और पूरा राजस्व माफ किया । आप उतने उदार नहीं, कुछ भी उदार हैं तो कम से कम 15 बीघा जमीन वाले किसान को तो लगान से माफ कर दीजिये ।

उसी तरह से व्यवसायी खेती के अन्दर 1 एकड़ जोत तक अग्रिम छूट दी लेकिन इसका कोई एलान या जानकारी राजस्थान भर में नहीं है । उदाहरणार्थ मैं यह कहता हूं कि एक किसान के तीन चार लड़के हैं तो वहां पर बिना इन्तकाल के, बिना म्युटेशन के, बिना नामान्तरण के चार भाग हो चुके हैं, चूंकि किसान को जानकारी नहीं है, चूंकि भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है, ऐसे छोटे किसानों के लिये आपका यह उसको वह लाभ प्राप्त करने से वंचित रखा जाता है, क्योंकि उसकी यह एलान ज्ञात नहीं है, इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी यह जो दुर्व्यवस्था है प्रशासनिक, उसको आप दूर करने की चेष्टा करेंगे ।

सिंचाई के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बहुतसी जगह सिंचायी संतोषजनकरूप से नहीं होती है तब भी किसान से पूरा लगान ले लिया जाता है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक गोल नाम गांव है वहां सिंचायी का मतालबा दस हजार रुपया लगाया है । किसान यह अच्छी तरह से जानता है कि गेहूं और चने के लिये चार दफा पानी पिलाने के लिये चाहिये लेकिन एक दो दफा भी पानी पिलाने को नहीं मिलता और पूरा लगान लगा कर मतालबा कायम करती है यह अनुचित है। वैसे ही डूंगर के पास थाना नाम गांव है वहां भी अन्धाधुन्ध रूप से सिंचायी कर लगाया गया और ताबड़ तोड़ रूप से वसूली उसकी की गयी उस ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

मकानों की पैनाल्टी किसानों से ली जाती है । किसान मकान तो बनायेगा । कहीं न कहीं जगह तो चाहिये । मकान बनाते हैं तो पैनाल्टी लगाते हैं । किसान अपनी जमीन पर मकान नहीं बनायेगा तो कहां बनायेगा ? दूसरी जगह तो मकान बनाने की जगह नहीं रही । मेरा यह कटु अनुभव है कि बहुत सारी किसान पर पैनाल्टी लगायी जाती है । अगर विरोधी पक्ष से दबाव डाला जाता है तो स्थगित कर दी जाती है । एक तहसीलदार आया और दूसरा गया तो वह किसान से रिश्वत मांगता है और उसी से पैनेल्टी भी वसूल करता है । यह सरकार की दुर्व्यवस्था की पराकाष्टा है और मैं इसका विरोध करता हूं ।

अलॉटमेन्ट के सम्बन्ध में मैंने देखा है कि धरियावद के अन्दर, जो विशुद्ध आदिवासी क्षेत्र है वहां पर भी, कलेक्टर आदि के रिश्तेदारों को भूमि अलॉट हुई है। मैं यह कभी नहीं

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कहता कि सरकारी कर्मचारियों को भूमि अलॉट न हो लेकिन जो क्षेत्र विशुद्ध आदिवासियों का है वहां पर 50 पर्सेन्ट भूमि भी आदिवासियों को अलॉटमेन्ट नहीं होती है और 70 : 80 पर्सेन्ट भूमि का अलॉटमेन्ट सरकारी कर्मचारी और पैसे वाले लोगों को होती है यह भी एक दुर्व्यवस्था की पराकाष्टा है।

किनारी बांध सिरोही जिले में है उसके कमान्ड एरिया की जानकारी प्राप्त करनी चाहिये कि कितने कमान्ड एरिया का अलॉटमेन्ट आदिवासियों और हरिजनों के खिलाफ हुआ है और दूसरे लोगों को और खास कर पूंजीपतियों को, सरकारी कर्मचारियों आदि को कितनी भूमि अलॉट हुई है सरकार उस बारे में निश्चित रूप से और निष्पक्ष रूप से जांच करे।

बार बार 16 वर्ष से यह सुनते आये हैं कि समाजवाद आवेगा और खुशहाली आवेगी उपाध्यक्ष महोदय, उस स्वर्णमयी दिवस की प्रतीक्षा करते करते इतने वर्ष तो हो गये। वह दिन कब उगेगा जब समाजवाद आवेगा और खुशहाली होगी।

एक माननीय सदस्य : आप नहीं आने देते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हमें तो कान पट्टी बांध कर बाहर निकाल दिया गया है। आपका बहुमत है और आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको कौन रोकता है ? फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो यही कहावत चरितार्थ होती है कि "नाच न जाने आंगण टेढा"।

आखिर यह समाजवाद क्या है ? यह तो बिल्कुल वेग टर्म है। सोशलिज्म सोशलिज्म लेकिन सोशलिज्म क्या है ? सोशलिज्म में तो वह चीज होनी चाहिये कि कम से कम रहने के लिये मकान की व्यवस्था हो, सब को काम मिले, रोटी मिले और रोजी मिले।

अभी माननीय सदस्य मेरे पूर्व वक्ता बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यहां जयपुर में कच्ची बस्तियां देख रहे हैं वर्षों से, यहां समाजवाद का नामोनिशान नहीं। झोंपड़ियां, कच्ची बस्तियां और बड़े शहरों में हजारों लाखों आदमियों को मकान नहीं, वे पेवमेन्ट्स और सडकों पर पड़े हुए हैं। आजादी के दिनों में गांव गांव में यह नारा दिया जाता रहा था कि आजादी मिलेगी तो "छोटासा मकान होगा बादलों की छांह में" बादलों की छांह तो दूर रही लेकिन धरती पर भी मकान नहीं है। एक एक घर से पन्द्रह और सत्रह आदमी निकलते हैं। यह तो समाजवाद नहीं है। यह तो भ्रष्ट अधिनायकवाद है।

बेरोजगारी की समस्या धीरे 2 सरकार के ऊपर एटोम बोम के रूप में मंडरा रही है और उसमें भी शिक्षितों की बेकारी की समस्या है वह मेरे खयाल से हाइड्रोजन बम के रूप में। उसका हाइड्रोजन बम के रूप में विस्फोट होगा इसको नहीं सम्हाल सकते।

अभी माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि बेरोजगारी की समस्या है वह बड़ी भयंकर और विस्फोटक है। पांच लाख आदमी ऐसे हैं राजस्थान में कि जिन्हें 24 घंटे मुश्किल से खाना मिलता हो। शिक्षित बेकार, मैं यह नहीं कहता कि लाखों की तादाद में है किन्तु ग्रेजुएट्स तो हजारों की तादाद में हैं। यह आपका प्लानिंग क्या है ? आप किंकर्त्तव्यविमूढ़ हैं।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

समाजवाद केवल स्लोगन्स और नारों से नहीं आवेगा और न समाजवाद के टुकड़े 2 करने से आवेगा। आपने 22 दफा संविधान में परिवर्तन किया है। आप आमूल चूल परिवर्तन करके भी समाधान करें। संविधान तो एक कागज का टुकड़ा है। जब तक आप की रीति और नीति ईमानदारी से क्रियान्वित नहीं होती और आप उसको नहीं कर सकते आप उसको चाहे समाजवाद कहें, चाहे साम्यवाद कहें, आप जो कुछ भी कहें, मैं कहता हूं कि तब तक सच्चे रूप से खुशहाली नहीं आ सकती। निष्पक्ष रूप से प्रशासन हो तब ही खुशहाली आ सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण म वनों के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा गया इस बार। वन हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति है। उसका काफी ह्रास होता जा रहा है। मैं मानता हूं कि उनको बचाना एक जनतान्त्रिक सरकार के लिय आसान नहीं है। पर आप आदिवासियों से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा उनको कुछ छूट देकर, उनको प्रोत्साहित करके उन जंगलों का संरक्षण कर सकते हैं। यह असम्भव मुझे प्रतीत नहीं होता अगर आप लगान की छूट दें अगर दूसरे मकान वगैरह बनाने की छूट दें और अगर फोरेस्ट इन्क्रीज करने की व्यवस्था करें तो अवश्य ही इस वन सम्पत्ति से हमें काफी लाभ मिल सकता है। वन्य पशुओं को लाभ मिल सकता है। इसलिये हमारा समझकर उनको संरक्षण देंगे और साथ साथ सरकारी कर्मचारियों का सहयोग और वहां पर रहने वालों का सहयोग लेकर कुछ न कुछ जंगलों की बरबादी की रोकथाम कर सकते हैं ऐसा मेरा निश्चित अभिमत है।

मैं निवेदन करूंगा कि अमुक जंगल को आप छूइये ही मत। कम से कम दस वर्ष के लिये उसका संरक्षण करिये। इस तरह उनमें वन्य पशु भी रह सकेंगे उनका संरक्षण भी हो जावेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हजारों चोर वगैरह, ठेकेदार वगैरह उनमें घुसते हैं और अन्धाधुन्ध काटते हैं तो इससे न जंगल रहेंगे और न वन्य पशु। इसलिये वह दिन हमारे लिये अत्यन्त दुर्भाग्य का होगा जिस दिन वन और वन्य पशु मटियामेट हो जावेंगे।

पश्चिमी रेगिस्तान के लिये मेरे पूर्व वक्ता ने कहा। उससे विशेष निवेदन नहीं करना चाहूंगा। पर यह निवेदन जरूर करूंगा चाहे आप 23 वर्ष की स्वतन्त्रता के बाद 15 वर्ष तक और भी समाजवाद का ढोल पीटते रहें आपकी आज की कार्यप्रणाली को देखते हुए उस इलाके में पेयजल की भी व्यवस्था आप नहीं कर पावेंगे। सरकार को इस पर गौर करना चाहिये और इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ करना चाहिये। आखिरकार एक पंचायत के अन्दर एक कुआ तो ऐसा होना चाहिये कि वहां स्वच्छ मीठा पेयजल वहां की जनता को मिल सके।

100 करोड़ रुपया, मैं समझता हूं, इससे अधिक भी हो सकता है अकाल राहत कामों पर सरकार ने खर्च किया। बार बार मैंने और सदन के अनेक सदस्यों ने मांग की कि इसमें हुए घोटालों और भ्रष्टाचार की जांच की जावे। हजारों मस्टर रोल फरजी है। अंगूठे उनमें जो है भी, वे भी फरजी हैं। इस पर भी सरकार अगर जांच करने को तैयार नहीं है तो मैं समझता हूं कि यह सरकार स्वयं गुनहगार है जानबूझकर इस भ्रष्टाचार और घोटालों

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
को प्रोत्साहन देकर बेईमान और रिश्वतखोरों की फौज को बढ़ा रही है।

श्री दौलतराम सारण : चुनावों के लिये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : चुनावों के लिये पैसा इकट्ठा करते हैं, घर भरते हैं।

श्री विजयसिंह मकराणा : यह तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : शिक्षा मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि आगामी सत्र में डूंगरपुर में उच्च माध्यमिक शाला प्रारम्भ की जावेगी। मैं आशा करता हूं वे इस आश्वासन को पूरा करेंगे। खास कर सम्माननीय सदस्य भीखाभाई यहां बैठे हैं उनको मालूम है माध्यमिक शालाओं की उनके यहां भरमार हो गई फिर डूंगरपुर पर ही क्यों राजस्थान सरकार की कोपदृष्टि है। यह मेरी कुछ समझ में नहीं आता।

इसके साथ साथ सरकार की नीति के बारे में थोड़ा निवेदन करूंगा आपके कांग्रेसी जिस क्षेत्र से चुनकर आवें वहां आप चाहें जो भी करें पर उन क्षत्रों में भी जहां से विरोधी पक्ष के आते हैं चार आना छः आना लाभ तो वहां के निवासियों को भी दीजिये। वहां भी जनता जनार्दन रहती है। अगर सारी राजस्थानी जनता को राजस्थान की सरकार समान भाव से नहीं देखती तो यह जनतन्त्र नहीं है। यह तो अत्यन्त दूषित अधिनायकवाद है, अन्यायपूर्ण अत्याचार है।

बिजली-नल के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। मेरा जिला पिछड़ा जिला है। बेकारी और गरीबी अत्यन्त अधिक है हजारों आदिवासी राजस्थान छोड़कर अहमदाबाद जाते हैं रोजी रोटी की तलाश में। तो इसके लिये सिवाय उद्योग खोलने के दूसरा रास्ता नहीं है जिसके द्वारा कि खुशहाली आ सके। सरकार को चाहिये अधिक से अधिक उद्योग खोले।

इसके साथ साथ परिवार नियोजन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आश्वासन दिया है कि राजनैतिक रूप से अनुचित लाभ परिवार नियोजन के सम्बन्ध में नहीं लेंगे। इस सम्बन्ध में मैं एक शब्द भी नहीं कहना चाहता। पर बढ़ती हुई आबादी की एक बड़ी भारी विस्फोटक स्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो रही है इसके लिये सरकार अगर साहसपूर्ण ठोस कदम नहीं उठावेगी और खास कर आदिवासी क्षेत्र में तो दिन बदिन स्थिति बुरी से बुरी से होती जावेगी। इसलिये परिवार नियोजन के सम्बन्ध में आदिवासी क्षेत्र में लोगों को समझा बुझाकर जनता का सहयोग प्राप्त करके, यह आसान काम नहीं है, पर चाहे जितना भी कठिन हो दृढ संकल्प करके सरकार को इस सम्बन्ध में अग्रसर होना चाहिए।

आज ही प्रश्नोत्तर के समय प्रश्न नम्बर सात में मेरे दल के साथी सदस्य लादूरामजी सुलानिया न इस सम्बन्ध में संकेत किया। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जो छात्रावास हैं उनमें एडमिसन की व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर अमुक छात्रावास में मीणा ही हैं तो मीणे ही रहें, अमुक में आदिवासी हैं तो वे ही रहें, अमुक में हरिजन ही रहें। खास खास काम कौम के ही हों तो मेरे ख्याल में यह सरकार की घोषित नीति के भी प्रतिकूल है। अगर यह व्यवस्था चल रही

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

है तो सरकार इसमें संशोधन करें। उनको चाहिये कि इस रुप में जो जातिवाद, संकीर्णवाद पनप रहा है उसको न पनपने दें। यह एक संक्रामक रोग है। डी०एम०के०है, बंगाल में नक्सलवाद है जो धीरे धीरे सारे देश में फैला, उसी तरह अगर यह जातिवाद की आग भी भड़कनी शुरू हुई तो फिर इसका आदि तो हम देख पावेंगे पर अन्त देखने के लिये शायद आप हम रहें या न रहें इसका पता नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, पाठशालाओं के बारे में जिक्र आया। पश्चिमी क्षेत्र में सात सात, आठ आठ मील में एक भी पाठशाला नहीं है। मैं यह निवेदन करूं कि मेरे जिले के अन्दर इस बारे में आपाधापी काफी है। मैं नहीं चाहता कि इसको प्रोत्साहन दिया जावे। एक मील के फासले पर तीन तीन पाठशालाएं हैं और वहां पर एक एक में 15-15 और और 12-12 छात्र आते हैं।

एक तरफ तो यह व्यवस्था है, दूसरी तरफ क्या व्यवस्था है, सात सात मील तक एक भी पाठशाला नहीं है। यह मेरे ख्याल से कोई प्लानिंग नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। सरकार को इस सम्बन्ध में में विचार करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह चौथा विधान सभा का आखिरी बजट है। मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि मेरा इसमें व्यक्तिगत लोभ या लालच नहीं है लेकिन अगर आप विरोधीपक्ष को जनतंत्र का अविभाज्य अंग, आवश्यक अंग समझते हैं तो मैं यह आवश्यक समझता हूं कि पब्लिक अकाउन्टस कमेटी की चेयरमेनशिप विरोधी पक्ष के नेता को मिलनी चाहिये। अगर विरोधी पक्ष के नेता आसन की दृष्टि में अयोग्य हो तो, उसका मैं दावा नहीं करता हूं। लेकिन चार वर्ष मैंने इस चीज को बर्दाश्त किया। आसन के द्वारा राजकीय उपक्रम समिति का नवनिर्माण हुआ तो मेरे मित्र जिनकी कि मैं इज्जत करता हूं, माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह उसके अध्यक्ष बनाये गये, इसमें मझे कोई आपति नहीं है। मझे नहीं चाहिय और मुझे दी जाये तो मुझ नहीं चाहिये लेकिन एक दल बदलू, उनके साथ मेरा कोई विरोध नहीं है, उन दल बदलू को आसन की ओर से, आसन के द्वारा, और वह भी मुख्य मंत्री के द्वारा नहीं जो भ्रष्टाचार के लिय तिकड़मी है, कहीं की ईट कहीं का रोडा, भानुमति ने ने कुनवा जोड़ा....

4.01 म० प०

श्री विजयसिंह, सभापति पदासीन)

उनके द्वारा अल्पमत से बहुमत बनाया जाये तो उसका स्वागत है। क्योंकि आजकल अवसरवाद की पराकाष्टा हो गई है। यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति आसन के उपर विराजमान है, वे दल गत नीति से परे रहतें हैं और अगर उन्होंने यह समझा कि सदन के अन्दर सर्वोत्तम व्यक्ति एक दल बदलु है जिसको ही चेयरमेनशिप दी जाये तो मैं बहुत ही अदब के साथ में निवेदन करूंगा कि यह आसन के लिये एक अशोभनीय व्यवस्था है। भविष्य में मैं सिर्फ यह निवेदन करूंगा कि जनतंत्र की स्वस्थ प्रणाली को कायम रखते हुए कम से कम आपके खजाने की चाबी विरोधी पक्ष को नहीं दें, वह हाथ नहीं लगा सकता है लेकिन व्यवस्था देखने का उसका अधिकार है। अगर यह आप नहीं कर सकते

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

है तो फिर जनतंत्र का समाजवादी ढोंग महज हो सकता है। यह अवास्तविक वाद है। यह समाजवाद नहीं है ।

इसके साथ साथ जिस तरह अकाल के संबंध में निष्पक्ष जांच की मांग की, यहां बैरी कमिशन के संबंध में मांग की है, हत्याएं हुई हैं, लोग मरे हैं, उसके उपर कमीशन ने लाखों रूपया खर्च किया है, उसके उपरान्त भी कमीशन के द्वारा जो लोग दोषी ठहराये गये हैं, उस निर्णय को भी यह सरकार नहीं मानती है तो यह कहां का जनतंत्र है । यह तो मेरे ख्याल में एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति की पराकाष्टा है । और तो मैं क्या कह सकता हूं ।

सभापति महोदय, मैं और भी विशेष बातें कहना चाहता था लेकिन मैं इतना ही कथन करके, इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि धनिकों और सरमायेदारों पर आप टैक्स लगावें, जो कुछ आप करना चाहें करें, लेकिन इसके साथ साथ मंत्रियों की आपा धापी के संबंध में भी देखिये, क्या परिस्थिति है। आज तो दीये के नीचे अन्धेरा है, आपा धापी हो रही है मंत्रीयों के अन्दर। उनको चाहिये कि कितनी उनके पास जमीन है, कितना उनके पास में धन है, उसका वे ब्यौरा दें। आखिरकार हरेक मंत्रिमण्डल की सीमा होनी चाहिये । केन्द्रीय मंत्रीमण्डल की अगर 50 की सीमा हो तो राजस्थान के मंत्रिमण्डल की भी कोई सीमा होनी चाहिये अगर यह सीमा न हो और जैसी भी मर्जी में हो मंत्री कायम हों तो यह मेरे ख्याल से जन तंत्र नहीं है, यह मौजवाद है। वातानुकूलित मोटरों में ये मंत्री लोग घूमते हैं और लाखों रुपयों के बंगलों में ये लोग रहते हैं। यह क्या कोई समाजवाद है । मेरे पास तो दौरे में एक जीप होती है लेकिन कोई मंत्री जिले के दौरे पर जाता है तो वहां पर एक एक मंत्री के पीछे 20।20 जीप दौड़ती रहती है और उनकी मीटिंगों में 100।100 पुलिस वाले रहते हैं। अगर इस तरह से 100 आदमियों को लोग देखेंगे और वे भी हथियार बन्द तो लोगों के सामने यह कहेंगे कि यह लोगों की सुरक्षा के लिये व्यवस्था की गई है । मुख्य मंत्री जी दौरे पर आते हैं –तो एक तरफ उनके लिये क्या व्यवस्था की जाती है । प्रधान मंत्री कहीं पर जाती हैं तो वे हवाई जहाज से हेलिकोप्टर से जाती है । अगर वे आफिशियल टूर पर जाती हैं, प्रधान मंत्री के नाते जाती हैं तो वह स्वागत योग्य है लेकिन चुनावों के अन्दर इस तरह से कोई एक मंत्री जाता है और उसके पीछे दस-दस जीपें चलती हैं और उसके साथ साथ 20 बीस पुलिस की जीपें चलती है, ट्रकों में बिठाकर पुलिस को भेजा जाता है वायरलेस की जीप साथ चलती हैं तो पता नहीं इस तरह से जो चुनाव होगें उसका परिणाम आपको लाभदायक हो सकता है, वह आपको मुबारक हो लेकिन मैं समझता हूं कि यह कोई जनतंत्र नहीं है । इसलिये मैं राज्यपाल महोदय के के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री सभापति : श्री भगवानदास शास्त्री

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर): सभापति महोदय, कल माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण पढ़ा गया उसको सुनने से मुझे भारी दुःख हुआ । इस अभिभाषण में जो मध्यावधि चुनाव हुए है, उस मध्यावधि चुनाव में हर पार्टी, हर दल

(श्री भगवानदास शास्त्री)

अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपना एक घोषणा पत्र, एक विचारधारा, एक उद्देश्य जनता के समक्ष रखता है। किन्तु मेरे पास एक बिना किसी नाम का एक पत्र 5 तारीख का लिखा हुआ है जो 8 तारीख को मुझे अजमेर में मिला है उस पत्र में उसकी भावना से साफ यह निर्णय देखने में आता है कि इस चुनाव परिणाम से चाहे जितने बहुमत से किसी भी पार्टी को बहुमत मिला हो, परन्तु यह चुनाव सन्तोषजनक वातावरण में नहीं हुए हैं। इस पत्र में जिस पर अजमेर 5-3-71 है, श्री भगवानदास शास्त्री.. लिखकर काटा है अजमेर। यह मध्यावधि चुनावों के दौरान मुझे मिला है। मेरी यह विचारधारा रखने के पश्चात जनता, सदन इस पर निर्णय करे। मैं उस समय ब्यावर में था। यह मुझे 8 तारीख को अजमेर में मिला। जनता इसका निर्णय करे। मुझे इसमें कोई शंका नहीं है।

आप को शायद ज्ञात होगा राज्य सरकार द्वारा फेमीन डिक्लेयर किया गया–बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में। इस निर्णय से जो फेमीन डिक्लेयर हो रहा है वह सिर्फ एक अच्छे वक्ता, कार्यशील कार्यकर्त्ता के साथ, जो नेता जनता की आवाज लोकसभा में पहुंचाते हैं उसको रोकने का एक उपाय है। सब जगह ऐसा ही किया गया है। कांग्रेस काम करे, दो तिहाई मेजोरिटी शायद् उसको मिल गई है। एक दिन की बात मुझे याद है। एक दिन हमारे माननीय भूतपूर्व प्रधान मंत्री जवाहरलाल जी नेहरू की यह बात है, उन्होंने कहा था आचार्य कृपलानी और दूसरे को लोकसभा में आने दो, इनको आने दीजिये। उस समय भी लोकसभा में कांग्रेस का दो तिहाई बहुमत था। उस समय जवाहरलाल जी ने कहा था मुझसे कोई प्रश्न करने वाला नहीं है। इसलिये चाहे लोकसभा हो, विधान सभा हो, विरोधी कहीं भी जाग्रत नहीं हो, वहां चाहे लोकसभा की कार्यवाही हो, चाहे विधान सभा की कार्यवाही हो, वह अच्छी तरह से नहीं चल सकती है और जनता को अपनी विचारधारा रखने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की विचारधारा में जो विशेष महत्वपूर्ण बातें थीं आप यह नहीं समझे कि पूर्वी पाकिस्तान इस पाकिस्तान से अलग हो जायेगा। हो या नहीं हो लेकिन आज जनरल याह्या खां इस कोशिश में लगे हुए हैं कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के विचार में कैसे पलटू। हमें भी विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि पाकिस्तान राजस्थान की सीमा पर अटैक करने वाला है। मेरे विचार में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पूरी सामग्री उपलब्ध नहीं है। लघु उद्योगों के बारे में अब मैं थोड़ा कहूंगा। हमारे अजमेर में माकड़ुपुरा को इन्डस्ट्रियल एरिया घोषित किया लेकिन वहां कोई सुविधायें नहीं हैं। लघु उद्योगों के काम में आने वाली जो सामग्री है और जो सस्ती उपलब्ध होनी चाहिए बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए इस सब से लोग वहां के वंचित हैं। पब्लिक सेक्टर की बात तो जब भी सत्र होता है हमें सुनने को मिलती है लेकिन लघु उद्योगों के बारे में हमें रास्ता नहीं मिलता, हमें कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई बात नहीं कही है।

पुलिस का आतंक अजमेर में भी काफी

(श्री भगवानदास शास्त्री)

फैला हुआ है । चुनाव तो खैर समाप्त हो गये । मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि तीन भाई सिनेमा देखने के लिए जाते हैं प्लाजा सिनेमा में और 11 बजे के करीब एक पानी पीने के लिए बाहर निकलता है तो पुलिस वाले कहते हैं क्यों बाहर निकले हो और पुलिस वालों ने गालियां बोलकर उस पर लाठियां मारी। उसके 26 बेतें मारी। जिसकी पिटाई की पुलिस ने वह कोई बदमाश नहीं, कोई गुण्डे नहीं । उसके बार बार हाथ जोड़ने के बाद भी सिनमा के दरवाजे बन्द करके पिटाई की गयी । तो सभापति महोदय, इस प्रकार का पुलिस का व्यवहार वहां की जनता के साथ है

सभापति महोदय, जहां तक ओल्ड एज पेन्शन का सवाल है मैंने पहले भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया था कि वहां के स्थानीय कलेक्टर श्री अनील बोर्दिया अच्छी विचार धाराओं के होते हुए भी जो शरणार्थियों के ओल्ड एज पेन्शन के मामले होते हैं उसमें लिखते हैं कि माईग्रेशन सर्टीफिकेट लाइये। जिस समय पाकिस्तान से आये थ उस समय क्लेम का निर्णय हुआ तो केन्द्रीय सरकार ने नहीं रोका, अगर वह एप्लाई करते हैं कि हमें माईग्रेशन सर्टीफिकेट मिलना चाहिए तो रूल्स के अन्दर उनको यह सर्टीफिकेट मिलने का अधिकार नहीं है तो जो ओल्ड हैं जो दो दो दिन तक भोजन नहीं कर सकते मैंने व्यक्तिगत रूप से समाज कल्याण मंत्री से पूछा था तो उन्होंने कहा कि मैंने कलेक्टर को कह दिया है और वह अब माईग्रेशन सर्टीफिकेट नहीं मांगेंगे लेकिन मेरे पास सबूत हैं कि उनसे सर्टीफिकेट मांगे गये हैं और गरीबों के साथ खिलवाड़ किया जाता है । आप समाजवाद की बात करते हैं आज बाजार से रेजगारी उड़ गयी, केरोसिन आइल उड़ गया । आज एक आंधी आयी और इन्दिरा जी के नाम से वोट लिए और वोट दोने से घासलेट किस के जलाने के लिए गायब कर दिया ? न तो जयपुर में है अजमेर में है और छोटी छोटी मातायें और बहनें लम्बे लम्बें क्यू में लगकर केरोसिन आइल लेती हैं । कोयले भी नहीं हैं । आज जनता किस को जलाये, क्या अपने हाथ पैरों को जलाकर रोटियां बनाये? समाजवाद की बात करते हैं पहले जहां घासलेट का पीपा 11 रुपये में मिलता था वह आज ब्लेक में 16 रुपये का मिलने लगा है । आपने नारा दिया है कि लोगों को मकान देंगे, जिनके पास दो मोटरें हैं उनसे मोटर दिलाई जायेगी । तो वहां अजमेर में डॉक्टर भगवादास के पास दो मोटरें हैं आप कहें तो एक मोटर मैं उनसे ले लूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि थोथे नारे तो मत लगाइये । आपको आगे भी जनता के समक्ष आना है । आज उत्थान उसी का होता है जिसको गिराना होता है । हमारी पार्टी का नियम होता है कि किसी कार्यकर्त्ता में सन्देह होता है तो उसको ऊपर चढा देते हैं और ऊपर से ऐसा फेंकते हैं कि जो पाताल में भी जगह नहीं मिल सकती । तो आप खुद में प्रसन्न नहीं हो । आपके दल को जनता ने शक्ति प्रदान की है और अगर आपने जनता की सुख सुविधा के लिए कुछ नहीं किया तो यही जनता आपको हरा सकती है । जो आपका नारा है 'गरीबी मिटाओ' यह तभी तक सफल हो सकता है जब कि आप लोगों को रोजगार दे सकें । आज पिलानी से फर्स्ट क्लास फस्ट है उसको आप रोजगार नहीं दे सकते । डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको आप नौकरी नहीं दे

(श्री भगवानदासशास्त्री)

सकते । एस०टी०सी० पास को आप नौकरी नहीं दे सकते ।

अजमेर में आवासन बोर्ड है इसाई मौहल्ले के अन्दर । तो जब आवासन बोर्ड है तो फिर यू०आई०टी० को समाप्त किया जाय । यू० आई० टी० की ड्यूटी यह है कि एक एसोसियेशन जिसको हाउसिंग सोसाइटी कहते हैं, 15 लोगों ने मिलकर एक सोसाइटी बनाई और उसके 50 मेम्बर्स हुए और फिर 50 से 60 मेम्बर्स हो गए । उन्होंने 92 हजार रुपया उस जमीन का दिया यह जमीन पुष्कर रोड पर है । अजमेर जिले के कलेक्टर न कहा कि आपको इसके डवलपमेन्ट चार्जेज और 92 हजार रुपये देने पड़ेंगे । गरीबों ने 50 हजार रुपया देकर जान छुड़ाई और कहा कि बाकी के पैसे बाद में देंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने हाउसिंग बोर्ड बनाया तो यू० आई० टी० को समाप्त कर दिया जाये क्योंकि यू० आई० टी० में चेयरमैन रहता है वह सोचता है कि जिन्होंने सोसाइटीज बनाई हैं और जमीन ली हैं उनके पास पैसा होगा । तो ऐसी एजेन्सी कि जो समाजवाद में रोड़े अटकाती है उसको खत्म किया जाये ।

अजमेर की कन्या महाविद्यालय के लिए हम चिल्लाते रहते हैं । कन्याओं के बारे में ऐसी स्थिति हो गयी है कि आज नवयुवकों का मानस दिनों दिन गिरता जा रहा है । महाविद्यालय में लड़कियां जाती हैं तो स्थिति यह है कि एक आदमी उनको देना पड़ता है जो छोड़कर आये और वापिस लेकर आये । अगर कन्या विद्यालय अजमेर प्रापर में हो तो अच्छा हो । कन्याओं के लिए आपने अजमेर के अन्दर कोई सुख सुविधायें प्रदान नहीं की है । प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को देखें तो हमारे यहां सतीत्व और चरित्र के बड़े बड़े उदाहरण रहे हैं जिसके लिए जौहर एक ज्वलन्त उदाहरण है ।

सभापति महोदय, बनास योजना के लिए 2 करोड़ 92 लाख रुपये दे दिये । मेरे कहने का मतलब यह है कि वह योजना पूर्ण नहीं हुई है । आपने सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन में कहा है कि हम राजमहल योजना से पानी देंगे, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार का प्रथम कर्तव्य है कि पीने के लिए पानी दे । हर नगर और गांव में इस समस्या को जरूर हल करें ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो सिन्धी भाषा का कहा गया और जो तीन भाषाओं का फार्मूला है मैं उससे सहमत हूं लेकिन जो बात राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में कहीं राज्य सरकार उसको कभी लागू नहीं करती । अजमेर में 30-40 प्रतिशत सिंधी हैं और हमारे जयपुर नगर में भी 40 प्रतिशत सिन्धी हैं तो जहां सिन्धी प्रतिशत में अधिक हैं वहां कम से कम एक सुविधा तो होनी चाहिए कि एक सिन्धी लेंग्वेज जिसके सारे सिन्धी शब्द लिये हुए हैं ऐसे टीचर को रखें जो सिन्धी हो । मैं कोई जातिवाद के नारे में नहीं आना चाहता हूं । कभी कभी लोकल स्कूल में सिन्धी मास्टर रखे जाते हैं जो कि लोकल भाषा भी नहीं जानते हैं और कभी कभी सिन्धी स्कूलों में लोकल मास्टर रखे जाते हैं जो सिन्धी भाषा नहीं जानते, वह कुछ बता नहीं सकते इसलिए मेरी शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना है कि कम से कम अजमेर में सिन्धी स्कूल में सिन्धी और लोकल स्कूल में लोकल मास्टर रखे जायें जिससे कि उनको भाषा का पूरा

(श्री भगवानदास शास्त्री)

ज्ञान हो। आपने ईसाई मोहल्ले में हरिजनों के लिए मकान बनाये। उसमें छत नहीं बनाई। गांधी शताब्दी आपने मनाई तो आपने हरिजनों के लिए जो मकान बनाये उसमें चारदीवारी तो बना दी लेकिन छत नहीं बनाई और उन्होंने छत पड़न के कारण अपन झोंपड़े तक हटा दिये और छत नहीं होने से वह पानी में डूबेंगे। और आगे चलकर हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने टीचर्स के बारे में जो सुविधा देने की बात कही है वह स्वागत योग्य है।

हमारे जमाने में जहां तक पाठ्य पुस्तकों का प्रश्न था एक या दो होती थी। चाहे अपनी मातृभाषा पढ़ो या अंग्रेजी, हिन्दी का प्रचार राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने किया। अब आजकल इनमें कटौती करने से जो किताबों की कीमतें हैं वे तो गरीबों के लिये असहनीय है ही, पर आज तो छोटे छोटे बच्चों को अपना किताबों से भरा बस्ता उठाना मुश्किल हो गया है। तो यह उचित ही है।

आगे कहा कि हमने लोगों को सर्विस में लगाने का प्रयास किया है, यह तो बहुत बार कहा जा चुका है। पर इससे देश में फैली बेरोजगारी नहीं मिट सकती।

होमियोपैथी के बारे में बोर्ड का गठन हो चुका है, पर फार्मों का आज तक पता नहीं। ये छपे ही नहीं। होमियोपैथ और बायोकेमिस्ट डाक्टरों ने पूछा है कई बार मुझे भी कि रजिस्ट्रेशन की सुविधा कब मिलेगी। तो रजिस्ट्रेशन के फार्म शीघ्रातिशीघ्र छपवाएं।

परिवार नियोजन के पोस्टर आपने सब जगह लगवाये हैं और लगवा रहे हैं। पर इनका हमारे बच्चों पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अनुसार 25 वर्ष की आयु तक बच्चों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये और इसकी पालना के लिये सरकार को पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिये। जिस तरह के ये अश्लील फोश पोस्टर लूप आदि की बातें सरे आम की जाती हैं इनका असर इन बच्चों पर ठीक नहीं पड़ता। आप सिनेमा में स्लाइड्स वगैरह के द्वारा इसका प्रचार भले ही करें, उससे जो सिनेमा जावेंगे उन्हीं के माध्यम से इसका काफी प्रचार हो जावेगा। और छोटे छोटे बच्चों पर जो बुरा असर पड़ता है वह नहीं पड़ेगा। हाकिमों ने फोश बीमारी का एक पोस्टर यू० पी० में उस जमाने में लगा दिया, इस पर उस समय की अंग्रेज हकूमत ने उनको जेल भेज दिया। मैं यह कहकर अंग्रेजों की कोई सराहना नहीं करना चाहता। पर आज छोटे छोटे बच्चों के सामने ये पोस्टर परिवार नियोजन के लूप आदि के पोस्टर सरे आम लगाना शोभनीय नहीं है।

अजमेर की बिजली कम्पनी 31 मार्च, 71 को आपको हैण्ड ओवर हो रही है। पर उसमें वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों को घर बैठने का नोटिस जो दिये गये हैं। वे बिलकुल अनुचित हैं। इनको भी हस्तान्तरित माना जाये और उनको भी राज सरकार की सर्विस में जूनियर या सीनियर जैसी पोजीशन हो फिक्स किया जावे और इस आशय का पत्र सम्बन्धित मंत्री महोदय द्वारा आज ही भेजा जावे 'जिससे इन गरीब कर्मचारियों को सान्त्वना मिले।

भूमि आवंटन का उल्लेख किया गया। इसमें भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त है: भूमि

(श्री भगवानदास शास्त्री)

आवंटन उनको करना चाहिय जिनके पास भूमि नहीं है और जो किसान है। ऐसा नहीं कि भूमि लेकर उसे ठेके पर दे दें और उससे कमाई करें।

जो भूमि आवंटन के आंकड़े हैं उनमें अपाहिज और सोल्जर्स को 25-तीस पर्सेन्ट तो मिली ही नहीं।

राजमहल योजना के साथ साथ राजस्थान नहर की क्या प्रगति हुई है, इसका विवरण नहीं दिया।

अजमेर में एच० एम० टी० का कारखाना आया, सोचा गया कि इससे काफी बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, पर वह सोचना पूरा नहीं हुआ। अजमेर 3।। लाख की आबादी का शहर है। इसको देखते हुए यहां की बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये काफी उद्योग धन्धे यहां भी खोले जाने चाहियें।

किशनगढ़ में छोटे मोटे कई कारखाने हैं। एक महीने में दो दो, तीन तीन मालिक बदलते हैं। एक मालिक दूसरे को बेचता रहता है : उनको पानी बिजली की कठिनाई है। सरकार का कर्तव्य है कि वह पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। बेरोजगारों को रोजगार देने का नारा जो सरकार लगा रही है वह यों ही न रह जावे।

आप यह न समझें कि विरोधी पक्ष विरोध करने के लिये यहां आया है हम यहां एवं लोकसभा में जाते हैं तो सरकार को सावधान करते हैं और उपाय सुझाते हैं कि जिससे जनता को राहत मिल सके। अब कौनसी चीजों की राहत मिले यह सोचना है।

एक रुपये किलो घी आता था पहले। ये भाव अथवा नेहरूजी के वक्त के भाव वापिस आज दिन तक नहीं आये। खाद्यान्न के पुराने भावों की बात आती है तो कहते हैं किसान बरबाद हो जाते हैं। आप किसानों को अमेरिका की जनता के बराबर मिलाना चाहते हैं। यह तो खुशी की बात है। जब जब चुनाव आते हैं पांच दस रुपया बढ जाते हैं। आन्दोलन से डर कर चुनावों में लाभ उठाने की गरज से बढा देते हैं। पर इससे जनता परेशान है। सभ्य नागरिकों का कर्तव्य नहीं कि धरना देने के लिये आपके पास आवे या केन्द्र के पास जावें। वे तो यह चाहते हैं कि रोजी रोटी आसानी से मिल जावे, आवास के लिये मकान और बच्चों की पढाई की सुविधा मिले।

तो यह राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार का सभी सरकारों का पुनीत कर्तव्य है कि वे इन बातों पर विचार करे और राहत दें।

समाजवाद की बात आप करते हैं। पर इसका लाभ तो तभी मिल सकता है जब आप स्वंय अपने पर आजमावें। मिनिस्टर को भी फिर मोटरें और ये आलीशान बंगले छोड कर छोटे छोटे मकानों में आना पडेगा। ऐसा आप करेंगे तभी जनता श्रद्धा से आपको देखेगी। आज जनता वह नहीं रही है कि जिसकी आंखों में धूल डाली जा सकती हो। आज जनता की आंखो में धूल नहीं झोंकी जा सकती।

(श्री भगवानदास शास्त्री)

आपको जनता पर शासन करते 23 वर्ष हो गये। जो आप कहते रहे उस पर अमल कभी नहीं कर पाये। आज भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आप उपहास कर रहे हैं। पुराने राजे महाराजे जागीरदार समाप्त हुए और नये पैदा हुए। हमने उनको भी देखा, इनको भी देख रहे हैं। हमारी जैसी उम्र के लोगों को आप बरबाद करें तो कोई हर्ज नहीं, एक जन रोटी नहीं भी मिले तो चिन्ता नहीं, पर जो नई जनरेशन आ रही है उसको आप भूखों न मारें। एक पोस्टर आपने छपवाया जिसमें इन्दिरा बहन की गोद में एक बच्चे को सुरक्षित बताया गया है। तो आप उन बच्चों की देखभाल करो, उनको स्वतन्त्र देश के योग्य शक्तिशाली नागरिक बनाओ। उनकी शिक्षा का रहन सहन का पूरा विचार करें, प्रबन्ध करें। मैं तो कहता हूं हायर सेकेण्डरी तक निशुल्क शिक्षण आप कर दें।

मेरी इच्छा है कि राजस्थान ऊंचा उठे। हमारी सभ्यता और संस्कृति का पुनर्जीवन हो। हम फिर उठें और सुखी और समृद्ध बनें। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री हरिदेव जोशी : सभापति महोदय, मैं सलाहकार समिति के 32 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार दिनांक 16 मार्च, 1971 को हुई। दिनांक 17 से 30 मार्च, 1971 तक लिए जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में समिति सिफारिश करती है कि इसके लिए समय का बंटवारा इस प्रकार किया जावे:—

बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार, दिनांक 17, 18, 19 मार्च, 1971	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद।
सोमवार, दिनांक 22 मार्च 1971	(1) राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद का सरकार की ओर से उत्तर। (2) राजस्थान भू-गृहादि (किराया) एवं बेदखली नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1971 पर विचार एवं उसका पारण।
मंगलवार, दिनांक 23 मार्च, 1971	निम्नांकित शासकीय विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण:– (1) राजस्थान होमियोपेथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1971। (2) राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक 1971।
बुधवार, दिनांक 24 मार्च, 1971	निम्नांकित शासकीय विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण। (1) राजस्थान टैनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1971। (2) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और

Page No.106

(श्री हरिदेव जोशी)

सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, 1971।

गुरुवार, दिनांक 25 मार्च, 1971 } निम्नांकित शासकीय विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण:—

(1) राजस्थान चलचित्र (नियमन) संशोधन विधेयक, 1968।

(2) राजस्थान सरकारी सेवक जांच (भ्रष्टाचार का साक्ष्य) विधेयक, 1969।

शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च, 1971 } निम्नांकित शासकीय विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण:—

(1) भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1969।

(2) राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1970।

शनिवार, दिनांक 27 मार्च, 1971 } वार्षिक वित्तीय विवरण (आयव्ययक) 1971-72 का उपस्थापन (प्रातः 11-00 बजे)

सोमवार, दिनांक 29 मार्च, 1971 } (1) लेखानुदान (वोट-ऑन एकाउन्ट) संबंधी प्रस्ताव पर विचार तथा तत्संबंधी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक पर विचार तथा उसका पारण।

(2) अनुपूरक अनुदानों की मांगों (द्वितीय संग्रह) 1970-71 पर मतदान।

मंगलवार दिनांक 30 मार्च, 1971 } (1) अनुपूरक अनुदानों की मांगों (द्वितीय संग्रह) 1970-71 पर मतदान।

(2) इन मांगों के सम्बन्ध में विनियोग विधेयक पर विचार तथा उसका पारण।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य सलाहकार समिति के 32 वें प्रतिवेदन से यह सदन अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के 32 वें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर मैं मेरे विचार रखना चाहता हूं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो समाजवाद के बारे में और आरम्भिक सुविधाओं के बारे में जो संकेत किया गया है यह जिस तरह से हमेशा इस

(श्री रामचन्द्र आर्य)

प्रकार के आंकड़े देकर लोगों को भ्रम में डाला जाता है उसी प्रकार से इस मर्तबा भी किया गया है और इस अभिभाषण में कोई खास नवीनता नहीं है। समाजवाद का नारा देने वाली इस सरकार द्वारा ताजा आम चुनावों मध्यावधि चुनाव जो लोक सभा के हुए हैं उन चुनावों के सम्बन्ध में जो खुशियां मनाई जाती हैं, और इन्दिरा गांधी के नाम पर वोट लेकर जितने भी समाजवाद की दुहाई देने वाले लोग हैं वे इस भ्रम में न रहें कि राजस्थान में वे सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन मैं, सभापति महोदय, सदन के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में चारों तरफ अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। शान्ति व्यवस्था के नाम पर जो ये कहते हैं कि यहां पर बिल्कुल शान्ति है राजस्थान के अन्दर तो यहां पुलिस के द्वारा आये दिन झूठे मुकद्दमे बनाये जाते हैं और निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है और जन-प्रतिनिधियों पर गोली चलाने में किस हद तक इसी वर्ग का पूरा हाथ है। कुछ दिनों पहले एक दुर्खद घटना सादुलपुर में हुई कि हमारे माननीय सदस्य शीशरामजी की हत्या हुई। उस सम्बन्ध में जो मुकद्दमा बनाया गया है, पुलिस की ओर से सत्ताधारी पार्टी की इच्छा पर जिन लोगों के विरुद्ध मुकद्दमे बनाये गये हैं उसके बारे में मैं आपको एक सनसनीखेज जानकारी दे देना चाहता हूं। मेरे इलाके में जसर्थ के नाम के जाट को गिरफ्तार किया गया जब कि उस रात को वह बीरानी के थाने में पुलिस की मौजूदगी में था और दूसरे दिन के 12 बजे तक वहां था। मैंने जानकारी की है और वहां के पुलिस अधिकारियों ने यह स्वीकार किया है कि इसका हाथ नहीं है। मैंने इसकी गहराई में जाने की चेष्टा की। जयपुर भी आया। यहां से कुछ जानकारी विशेष सूत्रों से मिली। यहां से कुछ आदमी शीशराम की हत्या करने के लिए गये वे उनके रिश्तेदारों में से और मिलिट्री केम्प से आदमी गये, और इस सम्बन्ध में ज्यादा तो नहीं कह सकता। यदि सी० बी० आई० से जांच करवाई जाय तो ये तथ्य सामने आ सकते हैं। मुझे किसी व्यक्ति के द्वारा यह जानकारी मिली। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी, गृह मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी। माननीय मुख्य मंत्रीजी का उत्तर आया कि मैंने गृह मंत्रीजी को इसके सम्बन्ध में लिखा है और गृह मन्त्रीजी का उत्तर आया कि आपको जानकारी है तो मुझे बतलाइये। यह कोई लिखने की बात थोड़े ही है कि इस तरह से जानकारी मिले और एक सदस्य की तरफ से इस प्रकार की जानकारी की जाय तो इसकी जांच गहराई में जाकर करानी चाहिए। इस सम्बन्ध में मैंने शीशरामजी ओला को सूचना करवाई थी कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वे बिल्कुल निर्दोष हैं। इस प्रकार से बिल्कुल ही झूठ मुकद्दमे बनाकर राजनैतिक लाभ उठाने के लिए षड़यन्त्र किया गया है, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। इस प्रकार की गुण्डागर्दी हम देखते हैं और हमारे इलाके में आये दिन गोलियां चलती हैं और पुलिस में कोई सुनवाई नहीं होती है। यह हालत है।

एक माननीय सदस्य : कोई चीज आपको मालूम है तो बता देना चाहिए।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपको क्या मालूम । आप बैठे रहें ।

सत्ताधारी पार्टी के लोग समझते हैं कि हम सुरक्षित हैं और सत्ता के अन्दर हैं तो यह आप लोगों की भूल है । इस प्रकार के घृणित कार्य जिस राज्य में होते हैं तो न आपकी जान की सुरक्षा है और न आम लोगों की सुरक्षा हो सकती है । यह हो सकता है कि समाजवाद की कुछ बातें आप लोगों पर लागू हों क्योंकि कांग्रेस में रहने वाले लोगों की, जन-प्रतिनिधियों की या उनके रिश्तेदारों की आज जांच कराई जाय तो हजारों की तादाद में लोग कठघरे में खड़े किये जा सकते हैं और यह पता लग जायगा कि समाजवाद का नारा देने वाले लोग किस प्रकार की कार्यवाही करते हैं और कितने पानी में हैं । समाजवाद इस तरह से नहीं आया करता है और समाजवाद लाने के लिए त्याग करना पड़ता है, जनता के दुखदर्द सुनने पड़ते हैं । सत्ता बनाये रखने के लिए गलत कार्य करने से कभी समाजवाद नहीं आ सकता है ।

शिक्षा के बारे में लिखा है, लेकिन हमारे इलाके में आज 5-6 मील तक प्राइमरी स्कूल नहीं है । यह शासन देहातों में प्राइमरी शिक्षा का प्रबन्ध नहीं कर पाया है और एम० एल० एज०, मंत्रियों, अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों के बच्चे सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन करोड़ों आदमियों की तरफ नहीं देखा जाता है जिनके बच्चों को प्राइमरी स्कूलों का भी मौका नहीं दिया जाता है और देहाती बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं । लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई खास प्रबन्ध नहीं है देहाती क्षेत्रों में । इस प्रकार की व्यवस्था शिक्षा की है । राज्यपाल महोदय ने राजस्थान कैनाल क्षेत्र में 20 स्कूल खोलने की बात कही है । बड़े शर्म की बात है कि कैनाल क्षेत्र में 20 प्राइमरी स्कूल तो क्या वहां पर सैकड़ों स्कूल खोलें तो उसकी जरूरत पूरी नहीं हो सकती है ।

इसी प्रकार से पांच वर्ष का पैसा सारे बजट का एक ही साथ में खर्च किया जाता है । पांच साल का बजट चुनाव के नाम पर खर्च करते हैं मुंह देख कर टीका निकालते हैं । आपाधापी करते हैं । जिनकी पूछ होती है वहीं स्कूल खोला जाता है । जब चुनाव होता है। तो उनके आदमी मंडराते हैं । बैठकर तय किया जाता है कि कहां स्कूल खोलना है । इसी तरह से चिकित्सा की बात की जाती है । देहातों में स्वास्थ्य लाभ के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है । कहीं पर मामूली दवाइयां होती है वह भी बाजारों में जाकर बिकती हैं । हमारे कस्बा नोहर में गंगासिंहजी के जमाने की डिस्पेन्सरी है। शहरों के लिए वह दिया जाता है उतना इन्तजाम हो जाता है। क्या उन गांव वालों का हिस्सा नहीं है ? जो करोड़ों की तादाद में रहते हैं । उनका भी खजाने में हिस्सा है । आपको विभागों का कोई ऐसा अधिकारी नहीं मिलेगा जिसका 400-500 रुपया मेडिकल बिल नहीं होता हो महीने में । एक तरफ तो लोगों को इस प्रकार का फायदा दिया जाता है । दूसरे मामूली लोगों को कोई फायदा नहीं होता है ।

हमारे क्षेत्र के कस्बा नोहर में 30 हजार की आबादी है । 10 साल से पीने का पानी नहीं मिलता है । वहां सेठ

(श्री रामचन्द्र आर्य)

साहूकार भी रहते हैं । मुख्य मंत्री भी वहां गये थे । उन्होंने आश्वासन दिया था । उन्होंने एक टैंक बनवाने का आश्वासन दिया था । 80 हजार रुपये की मंजूरी की थी । वहां ऐसे भी कुयें हैं जिनका पानी जहर है । लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हुई है ।

गंगानगर जिले में राजस्थान कैनाल आई । वहां भी पीने के पानी का कोई इन्तजाम नहीं है । नहर के नजदीक बारानी गांवों की जनता प्यासी मर रही है । क्या यही धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करें । मैं यह बता देना चाहता हूं, यह भाषण तो, मशीन की तरह से राज्यपाल आये और पढ़ दिया । मैं तो कल ही बीच में बोलने वाला था । यह क्या भाषण कर रहे हैं । पढ़ा तो उनसे जाता नही है । इस प्रकार की बाते हम को सुनाते हैं ।

श्री सभापति : कल आपने बहुत संयम से काम लिया ।

श्री रामचन्द्र आर्य : पीने के पानी के लिए एक घड़े पानी का एक रुपया देना पड़ता है । इसी प्रकार से भूमि की बात है । जो कोई रुपया देता है जमीन उसी को मिलती हे । आज तक कोई एक बीघा भूमि एलॉट नहीं की गई है यहां विधान सभा में घोषणा की थी कि जल्दी से जल्दी भूमि अलॉट करेंगे । मैंने एक बार यह सवाल उठाया था । आज भी वह जमीन उनके कब्जे म हैं । उसके बाल बच्चे और रिश्तेदार लाखों फायदे उठाते हैं । आबादी की भूमि के लिए घोषणा की थी कि हम पंचायतों को अधिकार दे देंगे । आज तक कोई अधिकार नहीं मिला है । कहते थे गरीबों को जमीन मिलेगी । भाषण दे देने से समाजवाद नहीं आ जाता है ।

इसी प्रकार से सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है । आज भी फसल सूख रही है । अधिकारियों को रुपया नहीं दो तो खेतों में पानी नहीं दिया जा सकता है । रेट भी बढे हैं । यहां से बजट में मरम्मत के लिए रुपया दिया जाता है । वह इस तरह से जाता है । आये दिन लोगों को परेशानी होती है । अदालतों के चक्कर काट रहे हैं । कोई सुनवाई नहीं होती है । इस प्रकार की अव्यवस्था राज्य के अन्दर है ।

अकाल के बारे में क्या है ? अकाल के बारे में एक बात जरूर हुई है । कुछ आदमियों ने अपने घर भरे हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि कहां विकास का काम हुआ है ? जितना रुपया था, आधे से ज्यादा रुपया कुछ लोगों की जेब में चला गया है । अगर इतने रुपयों का कोई और काम किया जाता तो अकाल समाप्त हो जाता । बरोजगारी समाप्त हो जाती । बरातों में सरकारी जीपें दौड़ रही हैं । कोई किसी का हिसाब नहीं देता है । उधर बरातों में जीप जा रही है । अधिकारी महोदय का भत्ता बन रहा है । फिर यह नारा देते हैं कि समाजवाद लायेंगे । कहते हैं, "इन्दिरा गांधी आयी हैं—नई रोशनी लायी है ।" (हंसी) मैं तो तभी समझूंगा जब कि इस प्रकार की गद्दारी करने वाले जेल में ठूंसे जायेंगे । लेकिन इन्दिरा गांधी भी तो चारों तरफ से बदमाशों से घिरी हुई है । आज महंगाई आसमान छू रही है । इन्होने

(श्री रामचन्द्र आर्य)

इन्दिरा गांधी के नाम से वोट मांगे हैं । लोगों ने यह समझा कि इन्दिरा गांधी के पास जादू होगा । उनको यह नहीं मालूम कि कुछ दिन के बाद समाजवाद आयेगा तो मालूम पड़ेगा कि जो वोट दिया था वह महान गलती की थी । चाहे लोक सभा में बहुमत आये ।

एक माननीय सदस्य : बी० के० डी० तो खत्म हो गया । सिर्फ एक आदमी आया है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसकी कोई परवाह नहीं है । हार-जीत का कोई सवाल नहीं है । यह सवाल तो नीतियों का है । आपकी नीतियां क्या है । आप लोगों की इन्क्वायरी कीजिये तो हजारों घोटाले मिलेंगे । आपने इस राजस्थान का विनाश किया है । पंचायत समितियों में करोड़ों रुपयों का घोटाला है । आप पर ब्लेम लगे हुए हैं । कोई इन्क्वारी नहीं की है । अधिकारियों पर ब्लेम लगे हुये हैं । कोई इन्क्वायरी नहीं की है । चोर चोर मोसेरे भाई । आप सुन तो लें कम से कम (किसी व्यवधान पर) । कहते हैं कि हमने बेरोजगारी को दूर करने की व्यवस्था की है । क्या की है ? क्या बनाया है ? जब तक नीतियां में परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा । गांवों में हम जाते हैं तो हमको पता चलता है । बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ सत्ताधारियों को फायदा हुआ । गरीब की पूछ नहीं है। अगर कोई चला भी जाता है तो 15% उससे बीच में ले लिया जाता है। यदि आपने इस प्रकार के कार्य राजस्थान में चालू रखे तो वह दिन दूर नहीं है कि यह लोग भी खड़े होंगे । जोर से खड़े होंगे । आपके खिलाफ भी बगावत खड़ी हो सकती है । क्योंकि आप लोग इस तरह सत्ता के मद में मदहोश हो गये हैं कि आपको अपने आपको याद नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं । करनी और कथनी में इतना अन्तर नहीं होना चाहिए । करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं । आपने हमेशा यहां वायदे किये हैं । पिछली साल यहां मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी कि गंगानगर जिले की सिंचाई व्यवस्था के लिए एक कमीशन नियुक्त किया है, उसकी रिपोर्ट तीन महीने के बाद प्रकाशित कर दी जायेगी । लेकिन साल भर बाद आज भी कुछ नहीं है । इस प्रकार घोषणायें करते हैं । शुरू शुरू में घोषणायें यहां की गई कि हम छोटी जोत के लगान को समाप्त करते हैं लेकिन दूसरे सेशन में उसे वापिस ले लिया गया इस प्रकार आये दिन सरकार वायदे पलटती जाती है । यह समझते हैं कि एकदम चुनाव करा कर कुर्सी पर बैठ जायं । मैंने यह चर्चा सुनी है......

श्री शंकरसिंह रावत : बिल्कुल सही सुना है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं समझता हू यह आप लोग भूल में हैं । इन्दिरा गांधी के नाम से वोट मिल गये, अब इस तरह मिलने वाले नहीं हैं । राजस्थान के लोग दुखी हैं । आप लोगां को, एक एक को जानते हैं । आप लोग वोट मांगते फिर रहे थे उस वक्त आप क्या कहते थे । मेरे इलाके में राज्य मंत्री और मंत्री गये । उन्होंने लोगों को कहा था, आगे के चनाव में कुछ भी करना, अभी तो इन्दिरा गांधी को वोट देना है । हमारी तरफ मत देखो।

(श्री रामचन्द्र आर्य)
इन्दिरा गांधी की तरफ देखो। लेकिन अब चुनाव लड़ोगे तो क्या कहोगे......

श्री शंकरसिंह रावत : आर्य हारेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : आर्य क्या ? सौ आर्य हारते हैं, सौ आर्य जीतते हैं। मैं हार जीत को मानने वाला नहीं हूं। जो दुनिया में आयेगा, वह सौ दफा पराजित होता है तो सौ दफा जीतता है। जो आदमी हार जीत पर बैठा है वह दुनिया म कुछ भी नहीं कर सकता। आज रामचन्द्र आर्य पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। मैं पच्चीस साल तक कांग्रेस म रहा, उससे पहले मिलिट्री में रहा, लेकिन मिलिट्री के हवलदारी पद को ठोकर मार कर आया और रियासती आन्दोलन के टाइम पर आन्दोलन में शामिल हुआ। आज भी मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी रामचन्द्र आर्य के बारे में यह कह नहीं सकता कि इसने यह बेईमानी की है। कोई कहे तो मैं त्याग-पत्र दे सकता हूं। लेकिन आपमें से कितने आदमी हैं जो खड़े होकर यह कहें कि मैंने कोई गलती नहीं की है। एक भी आदमी यहां खड़े होकर यह कहे......

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मनफूलसिंह जी खड़े होकर कहें. . .

श्री रामचन्द्र आर्य : केवल बात करने से काम नहीं चलेगा। राजस्थान की सवा दो करोड़ जनता की जिन्दगी और मौत का यह सवाल है। राजस्थान सरकार में राजस्थान के आज बड़े बड़े पण्डे जो बैठे हैं, सत्ताधारी समझ कर अपने आपको इस तरह बैठे हैं आपको नहीं मालूम है कि जो इतने साल तक आपने कुकर्म किये हैं वह किसी से छिपे हुए नहीं हैं जो सम्पत्ति आपने इकट्ठी की है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। जो घृणित कार्य किये हैं और जो भ्रष्टाचार के तरीके अपनाये हैं वह किसी से छिपे हुए नहीं हैं। आप कहते हैं कि मेरे इलाके में आपको वोट मिले। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि गंगानगर में पचास हजार वोट काटे गये हैं। आप इन्क्वायरी करिये, पचास हजार वोट किसको कहते हैं, सही वोट पचास हजार काट दिये गये। यह सूची में आपने संशोधन किया है। जिनका पता नहीं, जो मर गये, उनके नाम है। और किसी गांव में सौ का नाम नहीं है, किसी में दो सौ का नाम नहीं है। रावतसर में नौ सौ वोटरों के नाम नहीं हैं। यह हालत है आपकी सूची की। आपने यह बेईमानी की और इस तरह बेईमानी से चुनाव जीत कर घमण्ड करते हैं कि हमने समाजवाद के नाम पर वोट लिया है, हम समाजवाद लायेंगे। आपने फर्जी वोटर लिस्ट बनाई है। सही मायने में जो वोटर थे, उनके तो घर के घर के नाम रह गये, जो वोट डालने आये, उनका नाम सूची म नहीं था। यह गंगानगर म ही नहीं हुआ, सारे राजस्थान के अन्दर और सारे हिन्दुस्तान के अन्दर हुआ। इन्दिरा गांधी के नाम की, समाजवाद की दुहाई देने वाले जो पण्डे बैठे हैं, वही जगजीवन राम हैं, वही चह्वाण साहब हैं, जिन्होंने राजस्थान सरकार को यहां जबरदस्ती कुर्सी पर बैठाया, जौहरी बाजार में गोलियां चलवाईं और निर्दोष लोगों को भून दिया गया और जबरदस्ती आप लोगों को कुर्सी पर बैठाया। आज वही लोग इन्दिरा गांधी के साथ हैं। आप समाजवाद लायें–यह

(श्री रामचन्द्र आर्य)

आसान नहीं है, आपके द्वारा बरबादी जरूर आ रही है। लेकिन आप लोगों का जल्दी जनाजा निकलने वाला है क्योंकि सारी पार्टी के लोग इस चुनाव में साफ कर दिये गये, मैदान में केवल एक आप रह गये हैं। अब बन्दूक चलाने वाले लोग आपके सामने खड़े हैं। जिस तरह से बंगाल के लोग बन्दूक लिये खड़े हैं, बन्दूक धारी खड़े हैं, वहां इन्दिरा गांधी की नीति कहां गई। वहां इन्दिरा गांधी नहीं जीती, जिस प्रकार यू० पी० में पूरी की पूरी सीट ले गई। अगर यू० पी० में भी विधान सभा का चुनाव साथ होता तो मालूम पड़ता.....

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : एक लाख जीती है, उनमें से तेरह हजार मान लो, कम कर दो।

श्री रामचन्द्र आर्य : यू. पी. के मुसलमानों के वोट लेने के लिए मुस्लिम लीग के लोगों को लगा दिया, नवाब लोहारू गये और रात में बैठ कर सौगन्ध खिलाई गई कि मुसलमानों के वोट इन्दिरा गांधी को मिलने चाहिए। यू० पी० से लोग मेरे इलाके में गये यह मैं साबित कर सकता हूं। उन लोगों से चन्दा लिया गया, उनसे कहा गया कि इन्दिरा गांधी के पक्ष में वोट दो क्यों कि मुस्लिम लीग का समर्थन इन्दिरा गांधी करती है। इसी तरह से हरिजनों को भड़काया गया कि हरिजनों का कल्याण केवल कांग्रेस के हाथ में है। इस तरह गंगानगर में डेढ़ लाख वोटों से पचास हजार वोट काटे गये.......

एक माननीय सदस्य : 72 में क्या होगा?

श्री रामचन्द्र आर्य : 72 क्या? 72-73 में नहीं जानता हूं। आप लोगों को अपनी आदत ठीक कर लेनी चाहिए और रास्ते पर आ जाना चाहिए........

श्री जयनारायण सालोदिया : हरकतों से बाज आना चाहिए।

श्री रामचन्द्र आर्य : जो पाप किये हैं उनका आपको प्रायश्चित करना चाहिए, आपको जनता की सेवा करनी चाहिए। आपको घमण्ड है कि इन्दिरा गांधी की सरकार दिल्ली में बन गई है इसलिए हम हिल नहीं सकते हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम है, आपके पैरों के नीचे की जमीन खोखली हो चुकी है, जो आप लोगों के कुकर्म हैं, वह लोगों से छिपे नहीं है। इसलिए आपको घमण्ड नहीं रखना चाहिए और सहयोग से काम करना चाहिए। आपने जो भी कुकर्म किये हैं उनको जनता के सामने रख देना चाहिए तब समझेंगे कि आपने समाजवाद की दुहाई दी है, आप समाजवाद लाना चाहते हैं। आज राजस्थान में भले आदमियों की क्या इज्जत है। जो अधिकारी रिश्वत नहीं लेता है, उसकी आज क्या हालत है? जो रिश्वत के चक्कर में है वह मजे करता है, दोनों हाथों से लूटता है, लेकिन जो अधिकारी ईमानदारी से काम करता है वह रोजाना मारा मारा फिरता है, उसके बच्चे कहीं हैं और वह कहीं फिरता है, लेकिन फिर भी इस राजस्थान के अन्दर कुछ आदमी ऐसे नजर आते हैं। वैसे राजस्थान जैसे राज्य में अच्छे आदमी मिलना मुश्किल है क्योंकि भ्रष्टाचार के शासन के अन्दर किसी भी आदमी के लिए अपना अस्तित्व बनाये रखना मुश्किल है। मंहगाई के जमाने में अपने बच्चों का भरण पोषण सबको करना पड़ता है। इसलिए राजस्थान की यह दुर्दशा इस शासन ने की है पिछले तेइस सालों में, इसलिए राजस्थान के लोग आपको बख्शने वाले नहीं है। वह आने वाले जमाने में इस बात को महसूस

(श्री रामचन्द्र आर्य)

करेंगे । आपका इलाका है, वहां इस राज्य के अन्दर क्या हुआ है, राजगढ़ में क्या हुआ है वहां शीशराम जी मर गये, वसे आपको और हमें भी मरना है लेकिन वहां पर फर्जी मस्टर रोल बनाये गये । उनके बारे में जो शिकायतें हुई, क्या उनकी आपने जांच की है ? क्या उनका कोई नतीजा सामने आया । करोड़ों रुपये लोग खा गये और आप यहां चुपचाप बैठ कर डींग हांकते हैं कि समाजवाद लायेंगे। समाजवाद आपका नारा है। अभी गृह मंत्रीजी किशनगढ़ महाराजा की मृत्यु के सम्बन्ध स्टेटमेंट दे रहे थे, तब वह हिचकिचा रहे थे, जिस तरह से चोर हिचकिचाने लगता है, उस तरह से हिचकिचा रहे थे । हम जानते हैं तुम सब क्या कुछ कर सकते हो, जिस तरह से आपने किया है । हम यह सोच सकते हैं कि आप लोगों के हाथ में सत्ता रहे, उसका आधार वोट है........

श्री रोशनलाल शर्मा : पांच बजने वाले हैं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : उसके लिए आप इस प्रकार के घृणित काम कर सकते हैं। आप सत्ता के मद में मदहोश हैं, आप ऐसे काम कर सकते हैं । जो काम अहिंसा मानने वाले नहीं कर सकते वह आप कर सकते हैं।

अन्त में मैं ज्यादा न कहते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन बेंचों पर बैठने वाले जो सज्जन हैं, वह समाजवाद का नारा दें तो वह अपने कामों को सम्भालें और सही तरीके से राजस्थान की सवा दो करोड़ जनता के भले के लिए सही तरह से काम करें । इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं, इसे रद्दी की टोकरी में डाला जाना चाहिए। यह राजस्थान सरकार कोई काम नहीं कर रही है।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल 5 बजे बुधवार, दिनांक 17-3-71 के मध्याहन पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न सं० 1 की सूची)

छात्रों के मांगों की सूची एवं उनके उत्तर

मांगें	उत्तर
1. ब्यावर में एल० एल० बी०, एम० ए० (हिन्दी) व एम० एससी० की कक्षाऐं प्रारम्भ की जावें।	1. वर्ष 71-72 में वित्तीय साधनों की उपलब्धी पर ब्यावर में एल एल० बी० कक्षायें एवं विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर स्तर (रसायन शास्त्र) की कक्षायें प्रारम्भ करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।
2. विश्वविद्यालय परीक्षायें 15 दिन आगे खिसकाई जायें।	2. विश्वविद्यालय द्वारा मध्यावधि चुनाव एवं जनगणना के कारण सभी परीक्षायें 5 अप्रेल से पूर्व प्रारम्भ नहीं करने की घोषणा की जा चुकी है।
3. महाविद्यालय सभा भवन का विस्तार करवाया जावें।	3. वित्तीय साधनों के अभाव में यह कार्य सम्भव नहीं हैं।
4. छात्र कामन रूम एवं छात्रा कामन रूम का निर्माण करवाया जावें।	4.
5. महाविद्यालय भवन में कम से कम 6 अध्ययन कक्ष इस वर्ष बनवाये जावें।	5. स्थानीय जनसहयोग द्वारा 50 प्रतिशत अनुपात में धनराशि एकत्रित कर राज्य सरकार को उपलब्ध कराने पर राज्य सरकार भी आवश्यक योगदान देने पर विचार कर सकती है।

(उत्तर 3 व 4 एक साथ — "3 व 4")

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न-सं० 5 की सूची)

गंगनहर व भाखरा नहरों में सन् 70–71 में धूल भरी आंधियां चलने के कारण मिट्टी नहरों से निकालने का खर्चा

क्र० सं० 1	नहर का नाम 2	खर्चा 3
1.	गंग नहर	47,685
2.	एम० एम० डिस्ट्रीब्यूटरी	4,708
3.	एफ० ,, ,,	56,255
4.	एच० ,, ,,	73,307
5.	क्यू माईनर	74,951
6.	एफ० जी० माईनर	38,089
7.	जेड डिस्ट्रीब्यूटरी	48,157
8.	एफ० ए० माईनर	35,129
9.	रूपनगर डिस्ट्रीब्यूट्री	32,588
10.	एफ० डी० माईनर	25,978
11.	जी० जी०–11 डिस्ट्रीब्यूट्री	88,315
12.	यू० माईनर	47,205
13.	ओ० माईनर	56,601
14.	जी० जी० माईनर	22,169
15.	एच० हैड माईनर	31,147
16.	जे० जे० माईनर	21,097
17.	जे० माईनर	21,285
18.	एफ० एफ० ए० माईनर	22,564
19	सी० छोटा माईनर	34,356
20.	सी० बड़ा माईनर	6,739
21.	डी० माईनर	2.026
22.	पी० ,,	729
23.	एफ० एफ० डिस्ट्रीब्यूट्री	15,248
24.	एफ० एफ० वी० माईनर	1,594
25.	न्यू माईनर	8,506
26.	एन० एन० माईनर	6,024

1	2	3
27.	एम० एम० माईनर	881
28.	डी० डी० माईनर	9,836
29.	पी० पी० डिस्ट्रीब्यूट्री	15,666
30.	पी० पी० ए० माईनर	16,851
31.	आर० माईनर	15,232
32.	टी० माईनर	13,213
33.	पी० माईनर	9,300
34.	एच० ए० माईनर	13,704
35.	एफ० बी० ,,	11,952
36.	एफ० सी० ,,	12,444
37.	एफ० एस ,,	2,266
38.	बी० माईनर	6,370
39.	एल० एल० माईनर	21,171
40.	एल० माईनर	14,102
41.	ई० ई० माईनर	7,216
42.	डी० डी० माईनर	17,750
43.	सी० सी० माईनर	2,967
44.	एल० एन० जी० ब्रांच	4,013
45.	जी० जी० आई डिस्ट्रीब्यूट्री	10,141
46.	एल० माईनर एट हैड	1,579
47.	बोर्डर क्षेत्र की नहरों पर लाईनिंग करना	22,50,000
48.	आर० पी० डिस्ट्रीब्यूट्री	62,261
49.	पी० एल० डिस्ट्रीब्यूट्री	67,988
50.	एल० एन० पी० डिस्ट्रीब्यूट्री	18,403
51.	मन्डी माईनर	51,629
52.	एम० के० डिस्ट्रीब्यूट्री	57,005
53.	सतजन्वा माईनर	13,859
54.	श्यामगढ़ माईनर	2,222
55.	जी० बी० माईनर	4,253
56.	एच० एच० डिस्ट्रीब्यूट्री	20,634
57.	करनीजी ,,	29,629
58.	डिस्ट्रीब्यूट्री नं० 8	10,319
59.	टी० के० माईनर	33,634

1	2	3
60.	अरनावली माईनर	2,380
61.	संगरना ,,	4,354
62.	जालीकों ,,	25,006
63.	सूलहमान की डिस्ट्रीब्यूट्री	7,021
64.	फार्म डिस्टीब्यूट्री	7,529
65.	मोमपुरा माईनर	37,193
66.	डिस्ट्रीब्यूट्री नं० 4	4,186
67.	,, ,, 7	12,052
68.	,, ,, 6	8,476
69.	बोर्डर क्षेत्र की नहरों पर लाईनिंग करना	2,50,000
70.	अमरसिंह ब्रांच	77,702
71.	जसाना ब्रांच	41,488
72.	साउथ घग्घर ब्रांच	54,400
73.	सादूल ब्रांच	7,05,506
74.	करनीसिंह ब्रांच	1,94,834
75.	खारा सब-ब्रांच	40,766
	योग	31,24,700

Page No.118

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न सं० 8 की सूची)

सूची 'अ'

जसाना व अमरसिंह ब्रान्चों में तीव्रता 62 प्रतिशत से कम प्राप्त होने के मुख्य कारण निम्न हैं:–

(अ) इस क्षेत्र में सिर्फ भाखरा बांध, जो पूरा नहीं भर पाता है, का ही पानी मिलता है इसलिए समस्त नहरों में पूरा पानी नहीं मिल सकने के कारण अनुमानित तीव्रता नहीं मिल पाती है ।

(ब) इन नहरों में हरियाणा की फतेहबाद शाखा से पानी मिलता है जो कच्ची है जिसमें पानी राजस्थान की सीमा तक आते आते अनुमान से अधिक जज्ब (losses) हो जाता है । इससे निर्धारित तीव्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

(स) यह क्षेत्र भाखरा प्रणाली के अन्य क्षेत्रों से अधिक सूखा व रेतीला है तथा इस क्षेत्र में वितरण शाखाएँ भी कच्ची हैं । इस कारण इस क्षेत्र में डेल्टा भी अधिक है जिससे पूरा क्षेत्र सिंचित करना कठिन है ।

(द) इस क्षेत्र में उपलब्ध सिंचाई साधनों को और सप्लीमेन्ट करने के साधनों की कमी है ।

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 9 की सूची)

तारांकित प्रश्न सं० 2 म०प०

भीलवाड़ा जिले की पंचायत समितियों की ओर से चलाये जा रहे फार्मों के सम्बन्ध में विवरण

क्र० सं०	पंचायत समिति	फार्मों की संख्या	रकबा	लाभ हानि 1967-68 लाभ	1967-68 हानि	1968-69 लाभ	1968-69 हानि	1969-70 लाभ	1969-70 हानि	विशेष विवरण
1.	सुवारा	1	65 बीघा	—	7715-56	—	4947-44	—	5276-62	
2.	बनेड़ा	1	60॥) 1 बी०	—	—	—	—	629-50	—	
3.	आसिन्द	1	100 बीघा	—	5031-06	—	8272-24	—	6300-72	
4.	हुरडा	1	100 एकड़	3516-12	—	28586-55	—	4703-37	—	
5.	जहाजपुर	1	29॥) 3	—	4520-26	2569-14	—	73-94	—	
6.	कोटडी	3	1-4 एकड़ 2-4 एकड़ 3-50 बी०	1286-67	—	—	742-85	—	4121-21	
7.	रायपुर	1	—	25221-49	—	9158-80	—	—	646-05	
8.	शाहपुरा	4	1-1935 ए० 2-741 ए० 3-1056 ए० 3732 ए०	—	3795-57	—	392786-80	—	29950-10	
			4-50 ए०	—	6038-98	3762-87	—	13358-47	—	
9.	सहाडा	1	100 बीघा	1341-72	—	—	5600-56	—	8809-49	

फार्मों में हानि रहने के कारण

1. सुवाना	वर्षा की कमी, कुए में पानी न होना व मेजा बांध की नहर न चलना ।
2. आसिन्द	नई जमीन होने के कारण ।
3. जहाजपुरा	भूमि व्यवस्थित काश्त के काबिल नहीं होना और वर्षा का अभाव
4. कोटड़ी	स्थायी सिंचाई के साधनों का अभाव तथा अकाल के कारण।
5. शाहपुरा	पूर्व में भूमि काश्त के लायक नहीं थी । केवल जूंमला व गाडंर होती थी । अतएव जमीन को तैयार करवाना पड़ा और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करने के लिये डांगर धोरे बनवाए गए ।
6. सहाड़ा	पंचायत समिति को आवंटित भूमि, अन्न-उपजाऊ व असिंचित होने, भवन (फार्म पर) इत्यादि बनने से ही अभी तक हानि रही है ।

परिशिष्ट 5

(अ० प्र० सं० 6 की सूची)

राज्य की विभिन्न पंचायत समितियों में ट्रेक्टर्स को सूची

जिला	नाम पंचायत समिति	ट्रेक्टर की संख्या	जिला	नाम पंचायत समिति	ट्रेक्टर की संख्या
1	2	3	1	2	3
जिला चुरू				(10) कोटपुतली	1
	(1) रतनगढ़	1		(11) लाल सोट	1
	(2) राजगढ़	1		(12) चाकसू	1
	(3) रतननगर	1	झुन्झुनू ..		
गंगानगर				(1) चिड़ावा	1
	(1) रायसिंहनगर	1		(2) खेतड़ी	1
	(2) करणपुर	1	सीकर		
अलवर				(1) पिपराली	1
	(1) कोटकासिम	1		(2) दांतारामगढ़	1
	(2) गोविन्दगढ़	1		(3) खंडेला	1
	(3) मन्डावर	1		(4) नीम का थाना	1
	(4) उमरैन	1	अजमेर		
	(5) बांसूर	1		(1) पिसांगन	1
जयपुर				(2) जवाजा	1
	(1) बस्सी	2		(3) मसूदा	1
	(2) झोटवाड़ा	1		(4) केकड़ी	1
	(3) फागी	1		(5) भिनाय	1
	(4) बांदीकुई	1	भरतपुर		
	(5) जोबनेर	1		(1) राजाखेड़ा	1
	(6) मोजमाबाद (दूदू)	1		(2) कामां	1
	(7) गोविन्दगढ़	1		(3) बयाना	1
	(8) जमवारामगढ़	1		(4) धौलपुर	1
	(9) शाहपुरा	1		(5) सेवर	1

1	2	3
सवाई माधोपुर		
	(1) करौली	1
	(2) सपोटरा	1
टोंक		
	(1) टोंक	1
	(2) मालपुरा	1
	(3) निवाई	1
	(4) देवली	1
	(5) उनियारा	1
	(6) टोडारायसिंह	1
झालावाड़		
	(1) झालरापाटन	1
	(2) डग	1
	(3) पिड़ावा	1
	(4) बकानी	1
	(5) मनोहरथाना	1
बूंदी		
	(1) हिंडोली	1
	(2) नैनवा	1
	(3) केशोरायपाटन	1
कोटा		
	(1) लाडपुरा	3
	(2) सुल्तानपुर	1
	(3) छीपाबड़ोद	1
	(4) छाबड़ा	1
बाड़मेर		
	( ) गुड़ामलानी	1
	(2) सिणधरी	1
	(3) चौहटन	1
जैसलमेर		
	(1) जैसलमेर	1
जालोर		
	(1) आहोर	2
	(2) सांचोर	1
	( ) भीनमाल	1
	(4) रानीवाड़ा	1
	(5) जसवंतपुरा	1
जोधपुर		
	(1) ओसियां	1
	(2) जोधपुर	2
	(3) शेरगढ़	1
	(4) बालेसर	1
नागौर		
	(1) डेगाना	1
	(2) रियां	1
	(3) मेड़ता	1
पाली		
	(1) बाली	1
	(2) खारची	1
	(3) देसूरी	1
	(4) रानी स्टेशन	3

1	2	3	1	2	3
पाली					
(5)	रायपुर	1	भीलवाड़ा		
(6)	पाली	1	(1)	मांडलगढ़	1
			(2)	मांडल	2
सिरोही			(3)	शाहपुरा	7
			(4)	सुवाना	1
(1)	सिरोही	1	(5)	आसिन्द	1
			(6)	हुरडा	1
बांसवाड़ा			(7)	जहाजपुर	1
(1)	गढ़ी	1	(8)	कोटडी	2
(2)	पीपलखूंट	1	(9)	रायपुर	1
			(10)	सहाडा	3
चित्तौड़गढ़			उदयपुर		
(1)	बेगूं	1	(1)	राजसमन्द	1
(2)	चित्तौड़गढ़	2	(2)	रेलमगरा	1
(3)	राश्मी	1	(3)	गिर्वा	1
(4)	कपासन	1	(4)	सलूम्बर	1
(5)	प्रतापगढ़	1	(5)	सराडा	1
(6)	निम्बाहेड़ा	2	(6)	मावली	1
(7)	भदेसर	1	(7)	माडर	1
(8)	छोटी सादड़ी	1	(8)	गोगन्दा	1
(9)	अछनेरा	1	(9)	देवगढ़	1
(10)	भैंसरोड़गढ़	1	(10)	भीम	1

नोट:—पं० सं०, किशनगढ़ (जि० अजमेर), करौली (जि० सवाई माधोपुर), खानपुर (जिला झालावाड़), व अंता, जि० कोटा से सूचना एकत्रित की जा रही है।

———

Page No.124

परिशिष्ट 6

(अ. प्र. सं. 7 की सूची)

लिफ्ट केनाल द्वारा पीने के लिये दिये जाने वाले लूणकरणसर तहसील के गांवों की सूची

तहसील लूणकरणसर

1.	फूलेजी	26.	मादेरा
2.	कनियासर	27.	कांकरवाला
3.	चक जोर	28.	लक्ष्मीनारायणसर
4.	चक अमरासर	29.	देलाना
5.	रामसरा	30.	रामन
6.	मोधोरियां	31.	फूलदेसर
7.	जसवन्तसर	32.	खिनावाला
8.	ललिरां	33.	उदाना
9.	रतनोसर	34.	फूलदेसर चक
10	चक मघसियां	35.	लूनकरणसर
11.	घेसरा	36.	नाथवाना
12.	सूरजपूरा	37.	जाला रावला
13.	रामबाग	38.	सूरनाना
14.	महाजन	39.	दूखमेरा
15.	अर्जनसर	40.	हंसेरा I
16.	रानोसर	41.	घीसेरा
17.	चक अर्जनसर	42.	हंसेरा II
18.	शेरपुरा	43.	उत्तमदेसर
19.	मौसमपुरा	44.	क्षारी
20.	मलकोसर	45.	मकराना
21.	कपूरोसर	46.	जेसन
22.	गोपालन	47.	बामनवांली
23.	मोममलकोसर	48.	किस्तूरिया
24.	राजेना	49.	हेफासर
25.	लक्ष्मीनरायणपुरा	50.	देनासर

परिशिष्ट 7

(अ० प्र० सं० 10 की सूची)

अनुबन्ध 'क'

बसें 1	समय-सारिणी 2	
6 बसें निम्नांकित 30 गाड़ियों के प्लोट में से	6 बजे से 9–30 बजे तक, आधा घन्टे के अन्तर पर।	1. रेल्वे स्टेशन, जयपुर
		2. कलेक्टरी
1. आर० जे० एल० 7961		3. अशोका होटल
2. „ 9231		
3. „ 9001		4. पोलो विक्ट्री
4. „ 9721		
5. „ 9881		5. सिन्धी केम्प
6. आर० एस० एल० 1011		
7. „ 2681		6. जनाना अस्पताल
8. „ 3621		
9. „ 4091		7. चांदपोल
10. „ 4584		
11. „ 4586		
12. „ 541		
13. „ 5011		
14. „ 5171		
15. „ 5231		
16. „ 5609		
17. „ 6011		
18. „ 9067		
19. „ 2047		
20. „ 7754		
21 „ 7491		
22. „ 8001		
23. „ 8208		
24. „ 8911		

1			2	
25.	आर० एस० एल०	9329		
26.	,,	9802		
27.	,,	9903		
28.	,,	4415		
29.	,,	6431		
30.	,,	741		
चांदपोल से झोटवाड़ा			6 बजे से 9–30 बजे तक, आधा घन्टे के अन्तर पर ।	1. चांदपोल शिवमार्ग चौराहा पीतल फैक्टरी
1.	आर० जे० बी०	627		2. टी० बी० अस्पताल बर्फ खाना मार्ग
2.	आर० जे० बी०	898		
3.	आर० जे० एल०	5622		
4.	आर० एस० एल०	8702		3. लेबर कोलोनी मार्ग, पानी पंप, कटला अमानी शाह झोटवाड़ा
5.	आर० जे० एल०	7715		

'अनुबन्ध 'ख'

शिकायत कर्ता	विषय	प्राधिकार का निर्णय एवं दिनांक
1. परिवहन निरीक्षक	बस नं० आर० जे० एल 5622 का बिना टैक्स एवं सही कागजात के अनियमित चलाना	आर० टी० ए० द्वारा दिनांक 16-2-70 को रुपये 11/- की अदायगी पर सन्धान किया गया।
2. मंत्री, औद्योगिक मजदूर यूनियन, झोटवाड़ा	बस नं० आर० जे० बी 627 बिना किराये की लिस्ट लगाये चली एवं कंडेक्टर का व्यवहार अभद्र था। पब्लिक बस नं० आर.जे.बी. 627 ने किराया अधिक लिया।	आर० टी० ए० द्वारा दिनांक 18-4-70 को रुपये 51/- की अदायगी पर सन्धान किया गया एवं 27-1-71 को रुपये 5/- की अदायगी पर सन्धान किया गया।
3. यात्री जनता, झोटवाड़ा	बस नं० आर.जे.एल. 3814 नियमानुसार बराबर नहीं चलाई गई।	आर० टी० ए० द्वारा दिनांक 15-5-70 को रुपये 1251/- की अदायगी पर सन्धान किया गया।

अनुबन्ध 'ग'

क्रमांक	बस मालिक का नाम व पता	बस नम्बर
1.	मानसिंह मेहरसिंह, चार दरवाजा, जयपुर	आर.जे.बी. 627
2.	सोमनाथ मलहोत्रा, आदर्शनगर, जयपुर	आर.जे.बी. 898
3.	जय हिन्द कॉपरेटिव सोसायटी, राजामल का तलाब, जयपुर	आर.जे.एल. 5622
4.	नरेश भार्गव, 52 बापू नगर, जयपुर	आर.एस.एल. 8702
5.	सयैद अहमद, नाहरगढ़ रोड़, जयपुर	आर.जे.एल. 7715

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्र० सं० 12 की सूची)

APPENDIX 'A'

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

Statement showing the number of localities electrified upto January, 1971.

S. No.	District	No. of localities electrified upto 31-1-71
1	2	3
1.	Ajmer	126
2.	Alwar	194
3.	Banswara	67
4.	Barmer	30
5.	Bharatpur	114
6.	Bhilwara	115
7.	Bikaner	59
8.	Bundi	46
9.	Chittorgarh	136
10.	Churu	105
11.	Dungarpur	44
12.	Jaipur	428
13.	Jaisalmer	3
14.	Jhunjhunu	152
15.	Jalore	56
16.	Jhalawar	136
17.	Jodhpur	95
18.	Kota	115
19.	Nagaur	118
20.	Pali	120
21.	S. Madhopur	95
22.	Sikar	100
23.	Sirohi	45
24.	Sri Ganganagar	129
25.	Tonk	75
26.	Udaipur	159
	TOTAL ..	2862

परिशिष्ट 9
APPENDIX 'A'
(अ० प्र० सं० 14 की सूची)

List of applications received from 1965 to 31st March, 1967 for agriculture connections from village Jalpali (Tehsil Sri Madhopur).

S. No.	Date of application	Name of the consumer	H.P.	Date of connection	A/C No.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	18-9-65	Sh. Dula Das Munshi Dass Swami	7.5 HP	25-3-66	14/95	
2.	1-11-65	Sh. Puran Mal Ladu Ram	5 HP	28-2-66	14/13	
3.	7-4-66	Sh. Hari Narayan Laxmi Narayan	5 HP	29-9-66	14/89	
4.	14-4-66	Sh. Prabhu Dayal Saini	Ext. 2.5 HP	..	14/52	The application was for extension of connected load of existing connection from 5 HP to

1	2	3	4	5	6	7
						7.5 HP. The extension has been all.)wed.
5.	22-4-66	Sh. Arjun Bhima Hanuta	7.5 HP	11-10-66	14/109	
6.	7-6-66	Sh. Narayanlal Jhunthalal	7.5 HP	8-4-66	14/102	
7.	22-11-66	Sh. Mahabux Singh S/o Bhakatawar Singh	7.5 HP	28-1-67 (Date of issue of orders as per priority register).	14/33	
8.	12-12-66	Sh. Amara Ram Jat	7.5 HP	20-1-68	14/108	
9.	21-12-66	Sh. Narendra Kumar S/o Govind Dass Swami	10 HP	..	..	Cancelled as the party has not shown the site to the Junior Engineer.

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 16 मार्च, 1971)

स्कम्भ संख्या		पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1		2	3	4
1	शीर्ष	1	जतुर्थ	चतुर्थ
,,	,,	,,	दशम्	दशम्
4	अन्तिम से	12	सेंगशन	सेंक्शन
5	,,	13	तयार	तैयार
8		13	सन्देश म	सन्देह में
15		12	कर	करें
23		8	पढ	पढ़ें
24	अन्तिम से	10	इसलिय	इसलिये
39	,,	11	रसराम मर्दणा	श्री परसराम मदेरणा
53	शीर्ष		` हता)	मेहता
59	अन्तिम से	2	वि ृस्त	विस्तृत
68			अत्यधिक	इनमें अत्यधिक
71		7	।	—
,,		14	नारयणसिंह	नारायणसिंह
72	अन्तिम	6	है	—
73		11	1970.	1970 में
75		1	b-fore	before
77		14	(प्रथम संशधन)	(प्रथम संशोधन)
83		14	नम्	नम्र
84		14	गह	गृह
,,	अन्तिम से	3	सीपने	सौंपने
85	शीर्षक	1	माच	मार्च
,,		9	भ्म	भ्रम
,,		13	श्री सतीशच द्र	श्री सतीशचन्द्र
104		8	इसलिय	इसलिये

1		2	3	4
106		15	खून	खुन
„		16	आइ०	आई०
111		14	छुपाने	छिपाने
129	अन्तिम से	16	इसलिय	इसलिये
131	„	4	एसा	ऐसा
„	„	4	एसे	ऐसे
132	„	5	कानूनन्	कानून
133		7	स्टटमेन्ट	स्टेटमेन्ट
134		8	बूदी	बूंदी
„		17	कांग्रस	कांग्रेस
134	अन्तिम से	5	थ	थे
135		11	इतिला	इत्तिला
„		18	ह	है
137	अन्तिम से	7	ऐसेनिसेशन	ऐसेसिनेशन
137	शीर्ष	1	1971—अध्यक्षीय व्यवस्था	1971—विधायी कार्य
138	शीर्ष	1	अध्यक्षीय व्यवस्था	विधायी कार्य
139	„	1	„	„
140		9	डिलाकर	दिखलाकर
141	अन्तिम से	5	श्री पी० चौध ी	श्री पी० के० चौधरी
147	अन्तिम से	3	दृष्टिकाण	दृष्टिकोण
„	„	2	ह	हैं
148		4	बालने	बोलने
„	„	6	डिवि-न	डिविजन
„	अन्तिम से	13	हटायगी	हटायेगी
„	„	14	Swatane-	Swatantra
149	„	16	महनत	मेहनत
„	„	1	श्री कृष्ण कुमार	श्री कृष्ण कुमार गोयल
150	„	9	लोग	लांग
„	„	7	पसन्ट	पर्सेन्ट
„	„	1	ोजेक्ट	प्रोजेक्ट
151		5	समभत	समझता
„		11	बत	बात

1	2	3	4
151	10	भाष	भाषा
,,	9	सरकर	सरकार
अन्तिम से	10	मरत	भारत
,,	9	चलाय	चलाये
,,	4	काई	कोई
,,	1	हूं	ही
152 अन्तिम से	11	इरिगसन	इरिगेशन
,, ,,	3	ि ये	लिये
,, ,,	1	इनवे टिवा- के लिय	इनके विकास के लिये
153 ,,	15	फक्टरी,	फैक्टरी
154	1	को	—
,,	3	दिशाा	दिशा
155	2	रेसीडेंशियल	रेजीडेन्शियल
161	3	एजन्सो	ऐजेन्सी
162	17	म	में
164	5	पुरान	पुराने
166	15	दिय जायेंग	दिये जायेंगे
168 अन्तिम	1	हु	हुए
182	2	न	ने
183 अन्तिम से	9	बंगलो	बंगले
,, ,,	2	रिजव्ड	रिजर्व्ड
184 ,,	4	चन्द्रा	चन्दा
186	2	बैठ	बैठे
186	3	कमजोरियों	कमजोरियां
,,	5	संकेते	संकेत
193	1	रिश्तखोरों	रिश्वतखोरों
194	18	से	—
,, अन्तिम से	9	न	ने
,, ,,	7	एडमिसन	एडमिशन
195 ,,	10	में	—
,, ,,	7	कर्तव्य	कर्त्तव्य
196	9	चाहिय	चाहियें

1	2	3	4
196	13	उपर	ऊपर
198	2	।	?
,,	14	जहाज से	जहाज से,
,, अन्तिभ से	10	महोदय के	महोदय –
199 अन्तिम	19	व्यावर	ब्यावर
,, ,,	10	नता	नेता
201	,,	सिनमा	सिनेमा
,, अन्तिम से	13	थ	थे
202	5	दोने	देने
,,	6	है	हैं न
,, अन्तिम से	3	फस्ट	फर्स्ट
203	2	इसाई	ईसाई
,,	3	मौहल्ले	मोहल्ले
,,	13	डवलपमेन्ट	डेवलपमेन्ट
204	10	देंग,	देंगें,
,,	10	हू।	हूं
,,	9	कर्तव्य	कर्त्तव्य
,,	9	पींने	पीने
205	3	शताब्दी	शताब्दी
,, अन्तिम से	6	पड़न	पड़ने
205 ,,	13	लोगो	लोगों
,, ,,	6	बायीकेमिस्ट	बॉयोकेमिस्ट
206	4	ब्रह्मचर्य	ब्रह्मचर्य
,, अन्तिम	13	अज`र	अजमेर
,, ,,	9	हैं ।	हैं –
,,	8	जा-	जावे
,,	8	राज	राज्य
,,	7	मैं	म
,,	1	समें	उसमें
207	1	चाहिय	चाहिये
,,	5	उ . में	उनमें
,,	6	सोल्जर्स	सोल्जर्स
,, अन्तिम से	11	कि नाई	कठिनाई

1		2	3	4
207	अन्तिम से	8	कराए	कराये
„		8	बैरोजबार	बेरोजगार
208	अन्तिम से	6	मैं	में
„			पडेगा	पड़ेगा
209	„	13	निशुल्क	निःशुल्क
„	—	9	जन	जन
„	„	9	अप--	अपना
„	ऊपर से	12	आपन	आपने
210		1	जान	जानें
„		9	22 मार्च 1971	22 मार्च, 1971
„		11	और	ओर
„	अन्तिम से	9	विधेयक 1971।	विधेयक, 1971 ।
„	„	5	टैनेन्सी	टेनेन्सी
213	„	7	सासनीखोज	सनसनीखेज
„	„	6	चा-ता हूं	चाहता हूं
214		13	मख्य	मुख्य
„	अन्तिम से	9	झूंठ	झूठे
		9	उठान	उठाने
217		2	गय	गये
„		6	पी े	पीने
„		18	बाते	बातें
„	अन्तिम से	13	पी े	पीनें
„		9	हे।	है ।
„		4	म है	में है
„		3	उसके	उनके
218		1	दगे ।	देंगे ।
„		8	पनी	पानी
„		13	न्हीं	नहीं
„	अन्तिम से	12	बरोजगारी	बेरोजगारी
„		6	लार्य	लायी
„		4	करन	करने
219		13	है।	हैं ?
„	अन्तिम से	14	मोसेरे	मौसेरे

1		2	3	4
219	अन्तिम से	9	नीतियां	नीतियों
220		9	न	ने
,,	अन्तिम से	5	थ।	थे।
,,		1	देखा	देखो
221	शीर्ष	1	वद-विवाद	वाद-विवाद
,,		10	म	में
,,		13	म	में
222		9	वेट	वोट
222	अन्तिम से	12	म	में
222	,,	5	गोलिट	गोलियां
223		6	व-ले	वाले
,,		8	खड़ ह	खड़े हैं
,,	अन्तिम से	15	लोहारू	लोहारू
224	अन्तिम से	5	मरण	मरण
225		3	वसे	वैसे
,,		5	गय।	गये।
,,	,,	6	शिका-तें	शिकायतें हुई
,,		7	उनक	उनका
,,	अन्तिम से	14	हांक-है	हांकते हैं
226	,,	11	धयवाद	धन्यवाद
,,	अन्तिम से	4	(	—
227		2	एलएल०बी०	एल०एल०बी०
,,		2	उपलब्धी	उपलब्धि
,,		9	करन	करने
228	शीर्ष	2	नहरों	नहरों
,,	क्र० सं०	2	डिस्ट्रीब्यूटरी	डिस्ट्रीब्यूट्री
229	,,	33	पी० माईनर	पी० माईन
,,	,,	45	डिस्ट्रीब्यटरी	डिस्ट्रीब्यूट्री
,,	,,	48	,,	,,
230	N	63	सूलहमान	सुलेमान
231	अन्तिम से	3	क्षैत्र	क्षेत्र
,,			डैल्टा	डेल्टा
,,		1	साधनों	साधनों

1	2	3	4
232 क्र० सं०	1	सुत्रारा	सुवाना
233	1	को	की
234	2	चिडावा	चिड़ावा
,,		खेतडी	खेतड़ी
235	3	पिडावा	पिड़ावा
,,	2-1	आहेर	आहोर
236	1	गढी	गढ़ी
,,	2	चितौड़गढ	चित्तौड़गढ़
,,	6	निम्बाहेडा	निम्बाहेड़ा
,,	10	भैसरोडगढ़	भैंसरोड़गढ़
नोट:-		कशनगढ़	किशनगढ़
238	2	प्लोट	प्लॉट
239 अन्तिम	3	कोलौंनी	कॉलोनी
240	3	कॉपरेटिव	कोऑपरेटिव